द्वितीय माला, खण्ड १८—अंक २

१२ अगस्त, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

124 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, १२ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विजागापत्तम पत्तन का विकास

†*३८. **श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजागापत्तम पत्तन के विकास के लिये जापानी वित्तीय सहायता के विषय पर हुई चर्चा के परिणामस्वरूप किन्हीं प्रस्तावों की सर्जना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के मुख्य लक्षण क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो चर्चा की वर्तमान अवस्था क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** विवरण से यह प्रकट होता है कि विजागापत्तम पत्तन के विकास पर लगभग २.०९९ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इसका विकास सम्पन्न होने के पश्चात् इस पत्तन से कितना अयस्क बाहर भेजा जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** समझौते के अनुसार हमने इस कार्य के लिये २० लाख टन की वार्षिक सीमा निश्चित की है । यह अधिक भी हो सकती हैं अथवा सीमानुसार या उससे कम भी ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** वस्तुत: अयस्क निर्यात समझौते में यह स्वीकार कर लिया गया था कि ७० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा । उड़ीसा निक्षेप से २० लाख टन और बेला-डिला से ५० लाख टन । क्या विजागापत्तम पत्तन की विकास योजना तैयार करते समय इस दिशा में विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** विजागापत्तम पत्तन के विकास के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं और इनमें रेलवे यार्ड का प्रतिष्ठापन, रेलवे यार्ड, सिग्नल और संचार, बैंगनों को खाली करने की पद्धति, रोटेरी वेगन डम्पर, लोडिग टावर्स, कन्वेयर्स और शोवल इत्यादि के विकास के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या इस पत्तन से ७० लाख टन के अन्तोगत्वा निर्यात की ओर ध्यान दिया गया है क्योंकि सरकार के विवरण के अनुसार यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में उड़ीसा अयस्क खानों से २० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा और अन्त में बैलाडिला खानों से ५० लाख टन निर्यात किया जायेगा ।

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक इस विशेष समझौते का संबंध है मुझे यह मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में ७० लाख का अन्तिम लक्ष्य क्या है । इस विशिष्ट समझौते के अन्तर्गत २० लाख टन वार्षिक निर्यात सम्मिलित है ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** प्रस्तावित विकास पूरा होने के पश्चात् विजागापत्तम पत्तन में अधिकतम कुल कितने टन भार जहाज ठहर सकेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** हम चार वर्थ और बनाने का विचार रखते हैं —दो अयस्क के लिये और दो सामान्य माल के लिये । इन चार बर्थों में चार अतिरिक्त जहाज और ठहर सकेंगे ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** मेरा प्रश्न भिन्न है ।

†**श्री चे० रा० पटाभिरामन :** क्या यह सच नहीं है कि हम पत्तन को मिलने वाली जापानी सहायता जापान को मिलने वाली अमरीकी सहायता से सम्बद्ध हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यह समझौते का एक अंग है । उसके विदेशी मुद्रा अंश का जहां तक सम्बन्ध है जिसमें ९ करोड़ रुपये तक की अमरीकी सहयता सम्मिलित हैं ।

†**श्री दामानी :** जापानी सहायता के अन्तर्गत किस प्रकार का विकास अन्तर्निहित है और हमारे सम्पूर्ण खर्च में जापानी सहायता का कितना अनुपात रहेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समझौते में जो सम्पूर्ण विकास अन्तर्निहित है उसमें सम्बलपुर से तितिल गढ़ तक रेलवे पद्धति का प्रसार, पत्तन का विकास, पत्तन में रेलवे यार्ड का विकास और स्वयं लौह अस्यक का विकास सम्मिलित है ।

†**श्री पाणिग्राही :** हाल ही में जापानी इस्पात हितों के साथ जो समझौता हुआ था उसके अनुसार १० लाख ६० हजार टन लौह अयस्क जापान को निर्यात होना चाहिये था । क्या लौह अयस्क की उपर्युक्त पूरी मात्रा केवल विजागापत्तम पत्तन होकर भेजी जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा मैंने बताया है इस विशेष समझौते के अन्तर्गत निर्यात लगभग २० लाख टन वार्षिक होगा और यह १९६४ तथा उसके पश्चात् आरम्भ किया जायगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या विजागापत्तम पत्तन नगर की ओर जाने वाला रेल सम्पर्क पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ? यदि इस रेल सम्पर्क को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैंने पहले ही कह दिया हैं कमी पूरी कर दी जायगी।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** मेरा प्रश्न यह था कि विकास हो जाने पर विजागापत्तम में अधिक तम कितने टन भार जहाज ठहर सकेंगे क्योंकि लौह अयस्क निर्यात की अर्थ-व्यवस्था का उन जहाजों के टनभार से निकटतम सम्बन्ध है जो भारत से जापान अयस्क ले जायेंगे।

†**श्री राज बहादुर :** एक बर्थ में अधिकतम टन भार कितना हो सकता है यह बर्थ के स्थान और जहाज की साइज पर निर्भर है।

खानपुर, नई दिल्ली, में ग्राम पुर्निनमाण प्रयोग

\+

†*३९. **श्री अब्दुल सलाम :**
श्री भोगजीभाई :
श्री संगण्णा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप ग्राम पुर्ननिर्माण में चालू प्रयोग के सहायतार्थ सरकार ने भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान को कितनी सहायता प्रदान की है ;

(ख) क्या कुएं के पानी से बिजली पैदा करने वाला एक संयंत्र खानपुर गांव में स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० देव):** (क) किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का उपबन्ध नहीं किया गया है किन्तु कुछ टेकनीकल कर्मचारी फोर्ड फाउन्डेशन में काम करने के लिये नियुक्त किये गये हैं।

(ख) जी हां। बैलों की सहायता से।

(ग) यह परियोजना अभी भी प्रयोगात्मक अवस्था में है।

†**श्री अब्दुल सलाम :** क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में एक एक गांव में इस प्रकार की अग्रिम योजना है ?

†**श्री सु० कु० डे :** खानपुर में इस प्रयोग की कुछ और जांच के पश्चात् ऐसा किया जायेगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इस प्रयोग को पूरा करने मैं कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

†**श्री सु० कु० डे :** इसका अनुमान लगाना कठिन है। किन्तु मेरा विश्वास है कि तीन से छः महीने के अन्तर्गत हम ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जब हम यह निश्चित रूप से बता सकें कि यह भारत के अन्य गांवों में सार्वभौमिक रूप से उत्पादित की जा सकती है।

†**श्री संगण्णा :** क्या नदी घाटी परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिये प्रयुक्त विधि ही इस मामले में भी अपनाई गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सु० कु० डे :** नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न जलशक्ति को विद्युत् शक्ति में परिणत करना है और वर्तमान अवस्था में बैलों के प्रयोग से उत्पन्न शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करना है ।

†**श्री दामानी :** यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो क्या सरकार इस योजना की सहायता से सामुदायिक परियोजनाओं को सम्बल प्रदान करने के उपाय पर विचार करेगी ?

†**श्री सु० कु० डे :** यह योजना पर्याप्त आशा जनक है और यदि यह मितव्ययतापूर्ण भी सिद्ध हुई तो सम्पूर्ण देश में इसका विस्तार किया जायेगा ।

†**श्री नाथ पाई :** स्वयं इंजीनियरों ने यह बताया है कि जब पंचवर्षीय योजना में १५,००० गांवों में बिजली लगाने की योजना निहित है तो वर्तमान विधि के अवलम्बन से हम १५,००० गांवों में बिजली लगाने की कल्पना कर सकते हैं। क्या यह सच है ? क्या हम प्राक्कलन का मूल्यांकन किया गया है ?

†**श्री सु० कु० डे :** इस प्रकार का वक्तव्य देना उसी समय से पूर्व होगा । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि. . . . .

†**श्री नाथ पाई :** यह तो उनका ही वक्तव्य है । वक्तव्य मैं नहीं देता हूं । उनके इंजीनीयर का कथन रेकार्ड में है । मैंने केवल उद्धरण दिया है ।

†**श्री सु० कु० डे :** यदि हम किसी सस्ते विद्युत जनरेटर का उपबन्ध कर सके और उसके लिये हमारे पास पूंजी हो तो ५,५०,००० गांवों में भी बिजली लगाई जा सकती है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या माननीय मंत्री हमें प्रतियूनिट बिजली उत्पादन के आर्थिक पहलू का आभास करा सकते हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** अभी इसकी गणना नहीं की गई है ।

†**श्री तंगामणि :** चालू वर्ष में यें अग्रिम योजनाएं किन किन राज्यों में पुरःस्थापित की जा रही हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** यदि वर्तमान प्रयोग हमारे उद्देश्य के अनुसार सफल सिद्ध हुआ तो हम प्रत्येक राज्य में अग्रिम योजनाएं आरम्भ करेंगे ।

†**श्री तंगामणि :** इसमें कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया है कि चार से छः महीने लगेंगे ।

†**श्री जाधव :** मैं संयन्त्र की लागत और कार्यक्षमता जानना चाहता हूं तथा क्या यह औसत गांव तक पहुंच जायेगी ?

†**श्री सु० कु० डे :** संयन्त्र की कार्यक्षमता के बारे में कोई बात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सकती है । वर्तमान संयन्त्र में ४.५ किलोवाट कार्यक्षमता है किन्तु इससे अधिक या कम की शक्ति वाले जनरेटर की डिजाइन ढूढना कठिन नहीं है ।

†**डा० रा० बनर्जी :** ४.५ किलोवाट की लागत कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सु० कु० डे :** पम्प तथा जनरेटर को मिलाकर इसकी कीमत अमरीकी सहयोगियों के अनुसार लगभग १५,००० रुपये से २०,००० रुपये है। किन्तु विश्वास है कि इस कीमत में पर्याप्त कमी की जा सकती है।

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि एक एकड़ जमीन को सिंचाई करने में कितनी बिजली खर्च होगी और उस पर कितना पैसा खर्च होगा ?

†**श्री सु० कु० डे :** वर्तमान अवस्था में यह बताना कठिन है कि इसकी कितनी कीमत होगी। किन्तु यह बिजली खेतों की सिंचाई के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेगी। यह संयन्त्र इलेक्ट्रिक जनरेटर और पम्प का मिश्रित रूप है और कृषक की इच्छानुसार इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः यदि खेतों की सिंचाई की आवश्यकता हुई तो पम्प कार्य आरम्भ कर देगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** और अधिक प्रश्नों से बचने की दृष्टि से माननीय मंत्री से मेरा सुझाव है कि वे सब सदस्यों के वहां जाकर देखने की व्यवस्था कर दें। वह स्थान यहां से केवल पन्द्रह बीस मील दूर है।

†**श्री सु० कु० डे :** इस प्रकार की व्यवस्था करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** अधिक जानकारी उन्हें वहां मिल सकती है।

खेलकूदों के लिये विशेष सूचना टेलीफोन सेवा

+

†*४०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फूटबाल मैच तथा अन्य खेलों के परिणाम टेलीफुन पर जानने के लिये कलकत्ता टेलीफोन ने जनता के लिये विशेष सूचना सेवा आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नवीन सेवा के लिये हर काल पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी, हां।

(ख) कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। इन सबकी गणना मीटर पर गिन ली जाती है तथा उसे एक लोकल काल समझा जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या नवीन सूचना सेवा अस्थायी है अथवा स्थायी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह सब योजना की सफलता पर निर्भर है। यदि यह सफल हुई तो उसे स्थायी रूप दे दिया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा:** क्या इस नवीन सूचना सेवा की स्थापना पर सरकार को अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** खर्च में कुछ वृद्धि अनिवार्य है लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे सरकार निरुत्साहित हो।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या ४१।

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री सूपकार :** इसके साथ प्रश्न संख्या ५५ है ।

†**श्री त्यागी :** प्रश्न संख्या ५४ भी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

†*४१. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रमती इला पालचौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :
श्री मोहन स्वरूप :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरी पानी विवाद के बारे में भारत और पाकिस्तान सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच में हाल में रोम और लन्दन में हुई बातचीत में कुछ निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन निष्कर्षों का क्या स्वरूप है ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच नहरी पानी विवाद के हल के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने कोई नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का स्वरूप और इनके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने इस विषय में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(च) यदि हां, तो इनका क्या स्वरूप है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मोहम्मद इब्राहीम) :** (क) से (घ), अप्रैल-मई १९५८ में रोम में हुई बातचीत में यह निर्णय किया गया था कि लन्दन की अगली मीटिंग में पाकिस्तान उन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इंजीनियरिंग कार्यों की एक योजना प्रस्तुत करेगा जो पूर्वी नदियों से पाकिस्तानी नहरों द्वारा पश्चिमी नदियों में प्राप्त जल का स्थान ग्रहण करेगा। लन्दन में हाल की एक मीटिंग में एक योजना प्रस्तुत की गई थी इस योजना के प्रारम्भिक परीक्षण के पश्चात् भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कुछ स्पष्टीकरण की मांग की और कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिये कहा जिसे देने के लिये पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने वायदा किया है। इसके पश्चात् बातचीत स्थगित कर दी गई ताकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी योजना का अध्ययन कर सके और उनके प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत कर सके।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

\+

†*५४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री घोषाल :
श्री आसर :
श्री राधा रमण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री तंगामणि :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक का एक दल जून, १९५८ में भारत और पाकिस्तान आया था ;

(ख) उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या उनकी हमारी सरकार से बातचीत हुई थी ; और

(घ) विश्व बैंक दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का क्या स्वरूप है ?

***सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मोहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यास और सतलज नदियों से असामान्य रूप से पानी कम संभरण होने से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिये ही वे भारत आये थे।

(ग) जी, हां। उन्होंने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से कुछ चर्चा की थी।

(घ) बैंक द्वारा प्रस्तुत किसी प्रतिवेदन के बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

\+

†*५५. **श्री सरजू पांडे :**
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव से पाकिस्तान सहमत हो गया है कि दोनों

---

†मूल अंग्रजी में

देश सिन्धु घाटी नदियों से प्रयुक्त जल के आंकड़े एक दूसरे को संभरण करें ; और

(ख) यदि हां तो, क्या इस विषय में दोनों देशों के विशेष आयुक्तों की एक कानफ्रेंस हुई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मोहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। खरीफ १९५८ के प्रारम्भिक भाग के बारे में सांख्य की विनिमय करने के लिये वाघा सीमा पर २२ जून, १९५८ को भारत और पाकिस्तान के विशेष आयुक्तों की एक बैठक हुई थी। उसके पश्चात् सांख्यकी का विनिमय प्रतिदिन होता है।

†**श्री प्रभात कार** : इसके साथ प्रश्न संख्या ६२ भी लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके पश्चात् कदाचित अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ।

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : माननीय सदस्य उत्तर भूल जायेंगे ।

†**श्री त्यागी** : एक औचित्य प्रश्न है। जब तीन या चार प्रश्न परस्पर सम्मिलित कर दिये जाते हैं तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं मिलता है और उत्तर में कही गई निश्चित बातें भी याद नहीं रहती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यहां बताई गई सब बातें समझने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करने की अनुमति दूंगा जों परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। इसमें कुछ पुनरावृत्ति भी हो सकती है। मैं इस विषय में पर्याप्त सावधानी बरतूंगा और स्वविवेक का आश्रय लूंगा।

†**श्री त्यागी** : इस स्थिति में तो एक ही विषय पर भिन्न भिन्न प्रश्न एक दिन में ही पूछने की अनुमति न दी जाये उन सबको एक प्रश्न का रूप दे दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन सबको सूचना एक दिन में ही नहीं दी जाती है। कठिनाई तो यह है कि वे उनकी सूचना उसी दिन एक के पश्चात् दूसरे के रूप में दी जाती है । यदि किसी विषय पर अनेक व्यक्तियों के अनेक प्रश्न हैं तो मैं उन सबको मिलाकर प्रश्न कर्ताओं के नाम यहां रख देता हूं। किन्तु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी सूचना अलग-अलग आती है तो उन्हें अलग ही रखा जाता है। जहां तक सम्भव हो हम समय की हानि नहीं होने देते हैं ।

मैं श्री त्यागी के सुझाव को याद रखूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न संख्या ६२ सर्वथा भिन्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सबका सम्बन्ध नहरी पानी विवाद से है।

नहरी पानी विवाद

†***६२. श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की ओर नहरी पानी की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इसका शीघ्र समझौता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मोहम्मद इब्राहीम)** : (क) ३०सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली तिमाही के अन्त तक 'विवादहीन' और 'विवादग्रस्त' शीर्ष के अन्तर्गत पाकिस्तान की ओर बकाया राशि निम्न प्रकार है :—

	रुपये
विवादहीन	२७,८१,६३१
विवादग्रस्त	९७,१९,९८०

(ख) पाकिस्तान सरकार ने 'विवादहीन' राशि की अदायगी ३० सितम्बर, १९५७ तक समाप्त होने वाली अवधि के लिये लगभग पूरी दे दी है। 'विवादहीन' राशि सम्बन्धी बकाया मुख्यतः पश्चाद्वर्ती अवधि के लिये है। इस बकाया राशि के भुगतान के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत की जा रही है।

†**श्री राम कृष्ण**: क्या पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को जल संभरण में कमी करने के लिये अभी तक कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम** : मैं प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं समझ सका हूं।

†**श्री राम कृष्ण** : पाकिस्तान को हठधर्मी को ध्यान में रखते हुये क्या भारतीय नदियों से पाकिस्तान को किये जाने वाले जल संभरण में कोई कमी की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

†**हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : भारत पाकिस्तान को जल संभरण में कोई कमी नहीं कर रहा है। नदियों में पानी की मात्रा के अनुसार ही हम जल संभरण कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है—उनकी हठधर्मिता को दृष्टि में रखते हुये—आप पानी के संभरण में कटौती क्यों नहीं कर देते हैं ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या नहरी सम्पर्क के लिये पाकिस्तान सरकार ने कोई नवीन योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो इस योजना का लागत कितना है ?

†**हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : मैं भली प्रकार प्रश्न समझूंगा तभी तो उत्तर दे सकता हूं। कृपया प्रश्न दोहराइये।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैंने यह पूछा था कि क्या पाकिस्तान में बनाई जाने वाली सम्पर्क नहरों की लागत के बारे में पाकिस्तान ने कोई योजना रखी थी ? यदि हां, तो पाकिस्तान ने कितनी रकम का संकेत किया है ?

†**हाफिज महम्मद इब्राहीम** : उन्होंने कीमत का अनुमान लगाया है किन्तु इसे प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच उस विषय से सम्बद्ध है जो विश्व बैंक के समक्ष है। इसे गुप्त रखना होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पाकिस्तान के नवीन और पुरातन सुझावों में क्या अन्तर है ?

†**हाफिज मोहोम्मद इब्राहीम** : अन्तर यह है कि इस बार यह फार्मूला इस तथ्य से सम्बद्ध है कि पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को जल संभरण करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुपाकार** : क्या इन बातचीतों से निकट भविष्य में अन्तिम समझौते की आशा दिखाई देती है ? किन्तु अन्तिम समझौता होने तक की अवधि के लिये सरकार ने नहरी पानी के लिये क्या व्यवस्था की है । जल के बारे में वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

†**श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : समझौता होने तक जल सम्बन्धी किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और इस वर्ष के अन्त तक इस प्रश्न के हल होने की संभावना है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या विश्व बैंक ने कोई नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं तथा क्या निकट भविष्य में बैंक के भारत आगमन की सम्भावना है ?

†**हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : विश्व बैंक के कोई नवीन प्रस्ताव नहीं हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि केनाल वाटर के समझौते के सिलसिले में जो बातचीत हुई है और अब तक उसके दौरान में जो डेलीगेशन यहां वहां और वर्ल्ड बैंक गये हैं उसमें कुल कितना खर्चा पड़ा है, और इस मामले के कब तक सुलझ जाने की आशा की जा सकती है ?

हाफिज मोहम्मद इब्राहीम : खर्च का जोड़ तो इस वक्त मेरे पास नहीं है । नोटिस की जरूरत है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बाद में दे दीजियेगा, टेबल पर रख दीजियेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच १९४८ में हुये समझौते के बारे में मियां मुमताज दौलताना का वक्तव्य देखा है ? यदि हां, तो भारत सरकार के इस बारे में क्या विचार हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : १९४८ में अभिव्य सम्मति पर ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न लूंगा । डा० राम सुभग सिंह ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : हमारा मामला १९४८ के समझौते पर निर्भर है । जब पाकिस्तान का एक उत्तरदायी नेता एक सनझौते से इंकार करता है तो फिर वार्ता और समझौता किस प्रकार होगा ? वे मूल समझौते की नींव से इंकार कर रहे हैं ।

†**सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : पाकिस्तान में दिये गये वक्तव्य की और भारत सरकार का ध्यान आमंत्रित किया गया था । यह आरोप था कि १९४८ का समझौता दबाव के कारण किया गया है । हमने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि यह सच नहीं है । और दोनों सरकारों में लम्बी वार्ता के पश्चात् ही यह समझोता हुआ था और अनेक वर्षों तक यह लागू रहा है । सात या आठ वर्ष बीतने पर यह कहा जा रहा है कि यह समझौता दबाव स्वरूप किया गया था । यह सच नहीं है ।

†**श्री रंगा** : क्या उन्होंने यह स्थिति स्वीकार कर ली है ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं, किन्तु वह पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : विगत मई में रोम में आयोजित सम्मेलन में क्या विश्व बैंक दल ने इस आशय का कोई संकेत दिया था कि वे इस देश में आयेंगे ? यदि नहीं, तो लन्दन सम्मेलन सहसा क्यों स्थगित हो गया और विश्व बैंक दल फिर इस देश में आया ? क्या उपरोक्त दल ने पाकिस्तान द्वारा विवादग्रस्त राशि के भुगतान पर भी विचार किया था?

†**हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : हाल ही में आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य इस बात की संभावना मालूम करना था कि.....

†**डा० राम सुभग सिंह** : लन्दन सम्मेलन अकस्मात् स्थगित होकर विश्व बैंक दल भारत क्यों आया ?

†**हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : क्योंकि भारत को इस प्रश्न पर विचार करने के लिये समय की आवश्यकता थी और वे उस प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहते थे जो उन्हों ने प्रस्तुत किया था ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अब जो प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं वे १९५४ की प्रस्थापनाओं से बिल्कुल अलग हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

†**श्री हाथी** : १९५४ की प्रस्थापनाएं विश्व बैंक ने प्रस्तुत की थीं । नई योजना पाकिस्तान ने प्रस्तुत की हैं और इसे देखा जा रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : जून १९५८ में जब विश्व बैंक दल भारत आया और हमारे प्रतिनिधि उसे मिले तो क्या उस समय हमारी सरकार ने उनके सामने कोई ठोस प्रस्थापनायें रखी थीं ? एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि विश्व बैंक दल ने कोई प्रस्थापना नहीं रखी थी । क्या हमारी ओर से कोई प्रस्थापना रखी गई थी ?

†**श्री हाथी** : जून १९५२ में विश्व बैंक दल किसी विशेष प्रयोजन से यहां आया था । पाकिस्तान ने शिकायत की थी कि हम ने उनके क्षेत्र को दिये जाने वाले पानी की मात्रा कम कर दी है इसलिये विश्व बैंक दल मौके पर जांच करना चाहता था । हमने उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने हमें अपनी शिकायतों के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी और पानी के संभरण में जो कमी हुई उसका कारण यह था कि नदियों में पानी कम था । परन्तु विश्व बैंक की यह राय थी कि क्योंकि जून में बातचीत शुरू होने वाली थी इस लिये उस से पूर्व विश्व बैंक को दोनों पक्षों के तथ्य मालूम होने चाहिये और पूरी जानकारी होनी चाहिये ।

†**श्री हरिश चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ यह जो अन्तहीन वार्ता चल रही है उसका राजस्थान नहर के कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह झगड़ा उसी पानी के बारे में चल रहा है जो राजस्थान नहर को दिया जाना है ? सभा में जो स्थिति बताई गई थी क्या सरकार उस पर दृढ़ है ? यदि हां, तो अब पुनः जो वार्ता आरम्भ हुई है वह किस प्रकार की है ?

†**श्री हाथी** : हमने विश्व बैंक और पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया है कि हम १९६२ तक यह पानी राजस्थान नहर में डाल देंगे और तब हम और प्रतीक्षा नहीं कर

---

†मूल अंग्रेजी में

सकेंगे। बाद म सारी बात स्पष्ट कर दी गई थी और राजस्थान नहर का निर्माण करने की बात पक्की है ।

यह वार्ता नई नहीं है यह तो पहले से चल रही है जिस के अनुसार पाकिस्तान को इस बारे में एक योजना प्रस्तुत करनी थी कि अब जो पानी उन्हें मिल रहा है उसके स्थान पर वह क्या व्यवस्था करने वाले हैं, २७ तारीख को लन्दन में हुई बैठक में पाकिस्तान सरकार ने एक योजना दे दी है ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय उपमंत्री के उत्तर से मैं यही समझ सका हूं कि पाकिस्तान ने नई प्रस्थापनाओं के आधार पर वार्ता आरम्भ की है और १९५४ की विश्व बैंक की प्रस्थानाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि ऐसा है, तो १९५४ की प्रस्थापनाओं के बारे में भारत सरकार का क्या मत है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में १९५४ की प्रस्थापनाओं के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पानी के संभरण को बन्द करके कोई और व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जाना था। उन्हों ने एक योजना प्रस्तुत की थी परन्तु उस पर बहुत अधिक खर्च होता और बैंक भी उसके पक्ष में नहीं था। अब उन्हीं ने एक और योजना दी है।

राजस्थान में खाद्य की कमी

+

†*४४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प० ल० बारुपाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५८ में राजस्थान के कुछ जिलों में खाद्य की कमी रही; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां। इस वर्ष राजस्थान में रब्बी फसल में अनाज की उपज कम रही ।

(ख) आयात किये गये गेहूं का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली दूकानें खोल कर आरम्भ किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों पर अनावृष्टि का प्रभाव पड़ा ?

†**श्री अ० म० थामस** : जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा पर अधिक प्रभाव पड़ा और वहां उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा गेहूं बेचा जा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : ईस्टर्न यू० पी० की हालत को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : राजस्थान तथा ईस्टर्न यू० पी० में तो बहुत फर्क है। यह प्रश्न राजस्थान के बारे में है।

श्री रघुनाथ सिंह : चूंकि ईस्टर्न यू० पी० में स्केर्सिटी है .....

अध्यक्ष महोदय : सारे हिन्दुस्तान में स्केर्सिटी है।

†माननीय सदस्यों को एक विशेष राज्य के प्रश्न को ले कर भारत के सभी राज्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछते रहना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : राजस्थान में उचित मूल्य वाली दूकानों पर सरकारी किफायत से, रियायत से बेचे जा रहे खाद्यान्न का क्या भाव है ?

†**श्री अ० म० थामस** : गेहूं १४ –६–० रुपये की दर से बेचा जा रहा है और एक स्थान पर परिवहन पर अधिक खर्च होने के कारण १५–८ रुपये के हिसाब से।

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने एक तरफ तो ८०० ग्रामों को कमी वाले क्षेत्र घोषित किया है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने राजस्थान से काफी मात्रा में अनाज का निर्यात करने का प्रबन्ध किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जिन कार्यवाहियों का मैंने उल्लेख किया है सरकार ने उनके अतिरिक्त और भी पग उठाये हैं जो राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्यों पर लागू किये जा सकते हैं। उदाहरणतः १३–६-५७ को जो गेहूं 'जोन' बनाया गया था वह अब भी है और गेहूं उत्पादों का दक्षिणी राज्यों को निर्यात रोक दिया गया है। दालों और मोटे अनाज का वायदा बाज़ार बन्द कर दिया गया है और गेहूं के आटे की मिलों को खुले बाज़ार से गेहूं खरीदने की मनाही कर दी गई है।

ये उपाय किये गये हैं जिन से कि राजस्थान में भी हालत सुधर सके। जहां तक राजस्थान की सामान्य स्थिति का सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं कि रब्बी की फसल की उपज कम रही परन्तु अन्य अनाजों की उपज अच्छी रही और स्थिति इतनी खराब नहीं जितनी कि माननीय सदस्य ने बताई है।

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** : भारत सरकार इस बात की व्यवस्था कैसे कर रही है कि एक ओर तो वे क्षेत्र कमी वाले हैं और दूसरी ओर वहां अनाज का निर्यात किया जा रहा है ?

†**श्री रंगा** : क्या ऐसा हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पश्चिमी जोन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बम्बई हैं। पहले बम्बई नगर को इसमें शामिल नहीं किया गया था परन्तु बाद में कर लिया गया। अतः अनाज 'जोन' से बाहर नहीं भेजा जाता उसके भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है।

†**श्री रंगा** : यह प्रतिबन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आयात 'जोन' के भीतर होता है बाहिर नहीं।

दिल्ली में नकली दवाइयां

†***४५. श्री हरिशचन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बाजारों में नक़ली दवाइयों की समस्या का अध्ययन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिये कड़ी व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में कितना माल जब्त किया गया, कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितने अभियोग चलाये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नक़ली दवाइयों की समस्या का अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९५६ में एक अतिरिक्त औषधि निरीक्षक नियुक्त किया गया था । हाल ही में एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की आसामी निकाली गई है ।

(घ) वुडवर्ड ग्राइप वाटर की १६७ बोतलें, सुधा सिंधु की ९१२ बोतलें और आल्टरिस कार्डियल और एनासिन लपेटने के कुछ कागज़ और लेबल बरामद किये गये । दो गिरफ्तारियां हुई हैं । . अभी तक अभियोग नहीं चलाये गये हैं क्योंकि अभी जांच हो रही है ।

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि दिल्ली में तैयार होने वाली और और आस-पास के क्षेत्रों से लाई जाने वाली नक़ली दवाइयां दिल्ली में ही स्टोर की जाती हैं और यहां से ही अन्य भागों में भेजी जाती हैं । और यदि सरकार को भी ऐसी जानकारी मिली है तो क्या वह इस हालत को सुधारने के लिये वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त समझती है ?

†**श्री करमरकर** : यदि माननीय सदस्य की जानकारी निश्चित रूप से सही हो तो हम इसके लिये आभारी होंगे और उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मैं दे ही चुका हूं ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या सरकार को विदित है कि चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस में बहुत समय से नक़ली दवाइयां बनती हैं अतः गत वर्ष यदि वहां कोई छापे मारे गये तो उनका क्या परिणाम रहा और जो व्यक्ति पकड़े गये उन्हें कितने जुर्माने किये गये ?

†**श्री करमरकर** : अभी तक मुझे भागीरथ पैलेस का नाम मालूम नहीं था । इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये यह जानकारी मैं दिल्ली प्रशासन को दे दूंगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि नक़ली दवाइयां बनाने वालों पर जो जुर्माने किये जाते हैं वे इतने कम होते हैं कि उनका वांछित प्रभाव नहीं पड़ता ?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये पूर्व सूचना (नोटिस) चाहिये ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अब भी ऐसी चमत्कारी औषधियों के विज्ञापन निकलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं । क्या सरकार उनकी उपयोगिता को जांचने की कोई व्यवस्था कर सकती है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न नक़ली दवाइयों के बारे में है । चमत्कारी दवाइयों के बारे में अलग से पूर्व सूचना दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री हरिशचन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में विचार किया है कि असली दवाइयां बनाने वाले समवायों में भी इस बात पर ध्यान दिया जाये कि दवाइयों की पैकिंग और मुहर इस ढंग से लगाई जाये कि उसकी नक़ल करना आसान न हो और वे नक़ली दवाइयों से अलग भी दिखाई दें ?

†श्री करमरकर : मेरा विचार है कि राज्य सरकारें और संघ प्रशासन इस का पूरा ध्यान रखते हैं। यदि माननीय सदस्य की शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के बारे में हो तो वे मुझे सूचना दें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को विदित है कि सरकारी अस्पतालों को भी ये दवाइयां दी जाती हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री करमरकर : मुझे मालूम नहीं था कि सरकारी अस्पतालों को भी ये दवाइयां भेजी जाती हैं परन्तु मैं मानता हूं कि सरकारी अस्पतालों को धोखा दिया जा सकता है। मैं पता लगाऊंगा।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब

*†४७. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५८ में सफदरजंग हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना होने के कारण दिल्ली फ्लाइंग क्लब की जो गतिविधियां रुकी हुई हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिये भारत सरकार ने क्या सहायता दी है ;

(ख) क्लब को सहायतार्थ कितनी राशि दी गई है; और

(ग) भारत सरकार ने क्लब को कितने विमान दिये हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

†श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पास इस समय स्थायी तौर पर कितने प्रशिक्षण देने वाले विमान हैं ?

†श्री मोहीउद्दीन : इस समय क्लब के पास उड़ान के योग्य तीन ट्रेनर विमान हैं। दो की मरम्मत हो रही है।

†श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली फ्लाइंग क्लब को कितने समय तक उड़ान योग्य विमानों का पूरा अभ्यंश प्राप्त होगा क्योंकि इस समय जो विमान हैं वे इतने अच्छे नहीं जितने कि होने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महोउद्दीन :** वस्तुतः जब दुर्घटना हुई उस समय क्लब के पास केवल चार विमान चालू हालत में थे। इस समय उनके पास तीन हैं और शीघ्र ही चार और मिल जायेंगे। इनके अतिरिक्त और भी विमान मिलने की सम्भावना है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** दिल्ली फ्लाइंग क्लब ने अपनी हालत को फिर से ठीक करने के लिये कुल कितनी आर्थिक सहायता मांगी है ?

†**श्री मोहीउद्दीन :** फ्लाइंग क्लब ने सामान और फर्नीचर आदि बदलने और लगभग ७८,००० रुपये की मांग की थी सरकार ने अभी तदर्थ रूप से ६०,००० रुपये की मंजूरी दे दी थी।

आलमबाग रेलवे स्टोर में आग

\+

†*४८. **श्री ड० ल० पाटिल :**
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बोस :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ मई, १९५८ को लखनऊ में आलमबाग स्थान पर उत्तर रेलवे के जनरल स्टोर में भयंकर आग लग गई जिस से रेलवे सामान की भारी क्षति हुई ;

(ख) यदि हां, तो जो सम्पत्ति नष्ट हुई उसका ब्योरा क्या है और रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि पहुंची ;

(ग) क्या आग लगने के कारण का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई;

(घ) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ङ) क्या किन्हीं व्यक्तियों को इस का जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां। आग लगी थी।

(ख) यह क्षति हुई :—

(१) इमारतों, औजारों और संयन्त्रों की क्षति ६७,००० रुपये।
(२) रेल डिब्बे आदि की क्षति ६६,२९७ रुपये
(३) अन्य रेलवे सम्पत्ति की क्षति १,८८,७४० रुपये।

कुल क्षति ३,२२,०३७ रुपये।

†मूल अंग्रेजी में

२००० हंड्रडवेट सूती धागे में से वह अंश निकाला जा रहा है जो जलने से बच गया। इस से शायद हानि की राशि कुछ हद तक कम हो जायेगी।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ङ) जी हां ।

(च) इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री बोस :** अब जब कि आग लगने के कारण का पता चल गया है क्या इस कारण को दूर करने और "सील" करने का नया तरीका ढूंढने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** खलासी की लापरवाही के कारण आग लगी थी उसने 'सील' करने वाले लैम्प को उलट दिया जिसमें मिट्टी का तेल था जो स्टोर पर गिर गया। सील करने के तरीके को बदलने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यह एक दुर्घटना थी और इनकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता चलता है कि स्टोर की लाइन नं० ६ और ७ के बीच पड़े लकड़ी के टुकड़ों में १६.०५ बजे आग लगी। जिस समय आग लगी उस समय उसे फैलने से रोकने के क्या उपाय किये गये क्योंकि आग को फैलने दिया गया इसी से तीन लाख से अधिक का नुकसान हो गया। तुरन्त क्या उपाय किये गये थे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** सामान्यतः प्रत्येक वर्कशाप में आग बुझाने वाले यूनिट होते हैं। उसके अतिरिक्त सेना का और नगर के आग बुझाने वाले इंजन थे। इन सब को बुलाया गया था परन्तु वह लकड़ी सूखी थी और मई का महीना था इसलिये वह आग को बहुत जल्दी पकड़ती थी। सभी प्रकार की सहायता ली गई और जितनी जल्दी हो सका आग पर काबू पा लिया गया था।

सेठ अचल सिंह : रेलवे स्टोर्स में ज्यादातर इस्पात तथा लोहे का ही सामान होता है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस की वजह से आग लग गई और इतना नुक्सान हुआ ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे के कारखानों में लोहे और लकड़ी का भी काम होता है।

यूगोस्लाविया को बिजली घर विशेषज्ञों का प्रतिनिधि मंडल

†*४९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली घर विशेषज्ञों का शिष्टमंडल यूगोस्लाविया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस शिष्ट मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) श्री के० एल० विज, डायरेक्टर, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत विभाग) नई दिल्ली ।

(२) श्री एन० डब्ल्यू० गोकले, सुप्रिंटैंडिंग इंजीनियर, दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता ।

(३) श्री के० एस० सुब्रह्मण्यम, ऐग्जैक्टिव इंजीनियर सुप्रिंटडेंट, जल विद्युत विभाग, मैसूर ।

(ग) इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूगोस्लाविया, हंगरी, रूमानिया और आस्टरिया में बनने वाले बिजली पैदा करने वाले संयंत्र और बिजली के उपकरण का असल मूल्य निर्धारित करना था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस शिष्टमंडल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम** : जी हां ।

सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा

†*५१. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन को कहां तक सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारम्भिक उद्देश्य बनाया गया है; और

(ख) कृषि उत्पादन के काम में पंचायतों का किस हद तक सहयोग प्राप्त किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि उत्पादन को सब से अधिक महत्व दिया गया है ।

(ख) कुछ पंचायतों ने छोटी सिंचाई योजनाओं के परिपालन में और कुछ एक ने बीज और उवर्रक के वितरण में सहायता दी है । ग्रामों की कृषि उत्पादन की योजनायें तैयार करने में पंचायतों का सहयोग अधिक प्राप्त किया जा रहा है । पंचायतों का सहयोग प्राप्त करने से कार्यक्रम को काफी लाभ हुआ है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : विस्तार कार्यकर्ताओं के अधीन जो ग्राम हैं क्या उनके लिये कृषि उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिस की सिफारिश सितम्बर-अक्तूबर, १९५६ में योजना आयोग और सामुदायिक विकास मंत्रालय के सम्मेलन में की गई थी और यदि हां, तो ये लक्ष्य कहां तक पूरे हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : ग्रामों के गुटों के लिये ये लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं परन्तु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी समय लगता है क्योंकि बढ़िया बीज और उर्वरक को प्राप्त करने में समय लगता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या जहां कहीं सम्भव है पंचायतों की सहायता से बहुप्रयोजनीय सहकारी संस्थायें स्थापित करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ताकि प्रत्येक परिवार का उत्पादन प्रणाली से सम्पर्क स्थापित हो जाये ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं यह तो नहीं कह सकता कि प्रत्येक गांव में एक बहु-प्रयोजनीय सहकारी संस्था है परन्तु इस में सन्देह नहीं कि सहकारिता आन्दोलन धीरे-धीरे फैल रहा है और अधिक से अधिक परिवारों को इस में शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : क्या यह सच है कि अब तक केवल व्यक्तिगत रूप से कृषकों ने ही अधिक अनाज की फसल उगाने के लिये दी गई सुविधाओं से लाभ उठाया था और पंचायतों ने कोई सहायता नहीं दी क्योंकि मूल्यांकन समिति के नये प्रतिवेदन के अनुसार इन निकायों का कोई प्रभाव नहीं है ? इन पंचायतों को अधिक सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : कुछ हद तक यह बात सही है परन्तु हम प्रगतिशील कृषकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करने के लिये कार्यवाही करते रहे हैं जिस से कि वे ऐसी उपयोगी सामग्री तैयार कर दें जिसे पंचायतें कृषि कार्यक्रम के लिये प्रयोग में ला सकें । माननीय सदस्य जिस राज्य के रहने वाले हैं वहां खरीफ़ फसल में एक गहन आन्दोलन चलाया गया था और पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया गया था । इस अनुभव से उन्हीं ने रब्बी फसल में भी यह आन्दोलन चलाया और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने समस्त भारत में रब्बी के लिये यह आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय कर लिया ।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : पंचायतों का सहयोग प्राप्त करने के अतिरिक्त सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ? कितना वित्त आवंटित किया गया है और खंड विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पदाधिकारियों को कौन से अतिरिक्त कर्तव्य सौंपे गये हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि सब कार्यक्रम खंड विकास समिति के परामर्श से निश्चित किया जाये और समिति सभी योजनाओं का अनुमोदन करे तभी ग्राम संस्थायें उनका परिपालन करें ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार को विदित है कि पंचायत और मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों को ही अधिक बीज और खाद दे दी जाती है ?

†**श्री सु० कु० डे** : जब किसी वस्तु की कमी होती है तब कई बार ऐसी बातें होती हैं । सरकार इन्हें रोकने के लिये प्रयत्न करेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने जो रब्बी आन्दोलन की ओर निर्देश किया वह किस प्रकार का होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सु० कु० डे : इस आन्दोलन के अन्तर्गत प्रत्येक गांव अपने पास उपलब्ध बीज, उर्वरक, छोटी सिंचाई और श्रमिकों और आधुनिक तरीकों का अधिकाधिक प्रयोग करेगा ।

†श्री पाणिग्राही : क्या मंत्रालय को विदित है कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में जो बीज बांटा जाता है उस से पैदावार ही नहीं होती अतः उनका प्रयोजन ही पूरा नहीं होता ।

†श्री सु० कु० डे : कभी-कभी ऐसी शिकायत पैदा हो जाती है परन्तु सदा ऐसा नहीं होता ।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने कहा कि ग्राम नेताओं को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इन प्रशिक्षित नेताओं का सहयोग कृषि उत्पादन में कैसे प्राप्त किया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : ये कृषि नेता गांव में एक संगठन बना कर नये तरीकों का प्रचार करेंगे ।

देश में गर्मी का जोर

†*५२. { श्री सूपकार :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के विभिन्न भागों में गर्मी के ज़ोर के कारण हुई मौतों के बारे में सूचनायें मिली हैं ;

(ख) क्या पहले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गर्मी के कारण अधिक मौतें हुई हैं ;

(ग) क्या गर्मी के रोग का उपचार करने अथवा इसकी रोकथाम के लिये कोई विशेष दवाई ईजाद की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके प्रचार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री सूपकार : इस वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों में 'सनस्ट्रोक' से कितने व्यक्ति मरे ?

†श्री करमरकर : जिन राज्यों में यह रिकार्ड रखा गया है उनके आंकड़े ये हैं : बम्बई, ७२, उड़ीसा १, पंजाब १, राजस्थान १७, उत्तर प्रदेश २३३, पश्चिमी बंगाल—जानकारी उपलब्ध नहीं, दिल्ली ३४—३२ व्यक्ति इर्विन अस्पताल में और २ गैर-सरकारी अस्पतालों में मरे ।

†डा० राम सुभग सिह : बिहार में कितने व्यक्ति मरे ?

†श्री करमरकर : जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूरकार** : पहले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक व्यक्ति क्यों मरे जब कि तापमान असाधारण रूप से अधिक नहीं था ?

†**श्री करमरकर** : मैं पहले कह चुका हूं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि पहले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक लोग मरे। इतना अवश्य है कि गत दस वर्ष में गर्मी का ज़ोर इतना अधिक और इतनी देर तक के लिये कभी नहीं रहा परन्तु यह बताना सम्भव नहीं कि अधिक व्यक्ति क्यों या क्यों नहीं मरे क्योंकि यह केवल गर्मी के ज़ोर पर ही नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि लोग धूप में कितनी देर रहते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कुछ एक व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, केवल इसलिये मरे कि उन्हें अस्पतालों में स्थान नहीं मिला यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ताकि भविष्य में 'सनस्ट्रोक' से पीड़ित बच्चों को तुरन्त अस्पताल में जगह मिल सके ?

†**श्री करमरकर** : मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि अस्पताल में स्थान उपलब्ध नहीं था। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यदि भविष्य में कोई ऐसा अवसर उत्पन्न होता है तो किसी न किसी तरह बच्चे को अस्पताल में जगह दी जाये।

आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा में विमान सेवायें

†*५३. **श्री बांगशी ठाकुर :**
श्री दशरथ देव :
श्री वसुमतारी :
श्रीमती रेणुचक्रवर्ती :
श्री अमजद अली :
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के कुछ मार्गों पर यात्री भाड़े बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बढ़ाये गये भाड़े की दर भारत के अन्य मार्गों के समान हैं; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों में परिवहन की कठिनाइयों को देखते हुये जनता विमान सेवायें चालू करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) विमान परिवहन परिषद् की सिफारिशों पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के सभी सैक्टरों म यात्री भाड़ों का पुनरीक्षण किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं, इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बांगशी ठाकुर** : यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो त्रिपुरा घेरे में है इसी लिये वहां परिवहन और संचार की हालत बहुत खराब है। इसे देखते हुये क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्री भाड़े और माल भाड़े में कोई रियायत देने अथवा जनता विमान सेवा चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मैं ने बताया कि भाड़े में कमी करने अथवा जनता सेवा चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार है कि योजना तैयार हो जाने पर पूर्वी सैक्टर में अगरतला तथा कुछ अन्य स्थानों के लिये कुछ कम भाड़े पर विमान सेवा चालू की जाये परन्तु इस में तीन या चार मास लग जायेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : त्रिपुरा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है और वहां आने जाने के सब रास्ते रुके हुये हैं और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं यह सब देखते हुये क्या सरकार सस्ते भाड़े वाली विमान सेवायें चालू करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता से इस सैक्टर के कई स्थानों तक एक अनुसूचित और एक अननुसूचित मालवाहक विमान चलाता है। भाड़े की दर इस प्रकार निश्चित की गई है कि लागत अधिक न बढ़े। हाल ही में सीमा बन्द हो जाने पर भाड़े की दर का पुनरीक्षण करने का विचार नहीं किया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भूमि के सभी रास्ते बन्द हो गये हैं इसे देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह तो एक सुझाव है इस पर सहानुभूति विचार किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणुका राय** : त्रिपुरा में इस समय हालत बहुत खराब हो गई है और मंत्री महोदय ने बताया कि भाड़े की दरों के पुनरीक्षण में तीन मास लग जायेंगे क्या वह इस बारे में विचार करेंगे कि भाड़े में काफी कमी की जाये और तीन मास तक प्रतीक्षा करने की बजाये तुरन्त कर दी जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल** : एक मार्ग पर माल भाड़ा कम करने से अन्य मार्गों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और यदि किसी विशेष मार्ग पर भाड़ा कम किया जाता है तो वह रियायत के तौर पर ही किया जा सकता है। इस पर विचार किया जायगा और इस मामले की अविलम्बनीयता को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

†**श्री दशरथ देब** : हाल में जब उपमंत्री महोदय उस क्षेत्र में गये तो क्या उस समय उन्हें यात्री किराया अथवा माल भाड़ा कम करने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया था ? क्या उस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए सरकार किराये की दर को तुरन्त घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का मूल्य

+

†*५६. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री महन्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी निर्यात वर्धक आन्दोलन के फलस्वरूप देश में चीनी का भाव बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; और

(ग) भाव को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). जी हां, देश में विभिन्न भागों में २ से ७ प्रतिशत तक भाव बढ़ गया।

(ग) भारत सरकार ने ३० जुलाई, १९५८ को पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में स्थित कारखानों में जहां कि भाव अधिक बढ़ रहा था कारखाने से चीनी बेचने के मूल्य पर नियंत्रण कर दिया था ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस मूल्य नियंत्रण योजना में दक्षिण बिहार को क्यों शामिल नहीं किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** हम ने इस की जांच की थी। ये नियंत्रित मूल्य उत्पादन की लागत पर आधारित हैं। दक्षिण बिहार के कारखानों की उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि वे कारखाने थोड़ी देर चलते हैं और हमने सोचा कि समस्त उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में नियंत्रित मूल्य लागू करके मूल्य नियंत्रण कर सकते हैं। इसका वांछित प्रभाव पड़ा और दक्षिण बिहार के कारखानों में भी विक्रय मूल्य कम हो गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय मंत्री ने कहा कि नियंत्रित मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर निश्चित किये गये थे। क्या उत्पादन की लागत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में एक सी है या अलग और यदि दोनों में अन्तर है तो उन्हें एक साथ क्यों रखा गया ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** अन्तर बहुत कम है और हम चाहते थे कि नियंत्रित मूल्य एक से हों ताकि दोनों में से किसी भी क्षेत्र को हानि न पहुंचे।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार को पता चला है कि जब से उत्पादन शुल्क २ रुपये प्रति मन बढ़ाया गया तब से बाजार का भाव ६ रुपये मन बढ़ गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताये हैं वे ठीक नहीं हैं परन्तु यह सही है कि कई बार उत्पादन शुल्क की वृद्धि से अधिक वृद्धि बाजार के भाव में हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने यहां एक आश्वासन दिया था कि चीनी के निर्यात के कारण जो हानियां होंगी उन्हें मिल मालिक ही सहन करेंगे उपभोक्ता नहीं । मिल मालिक अपनी हानि उपभोक्ताओं से पूरी न कर लें इसके लिये क्या उपाय किये गये थे ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मुझे स्मरण नहीं कि मैं ने कभी कोई आश्वासन दिया हो परन्तु मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये मूल्य नियंत्रण किया गया इससे साबित होता है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं नियंत्रण से मूल्य कम हो गये थे ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच है कि लखनऊ में माननीय मंत्री ने मिल मालिकों से यह आश्वासन लिया था कि वे इस निर्यात के पश्चात् मूल्य नहीं बढ़ायेंगे ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** लखनऊ में कोई सम्मेलन नहीं हुआ । नैनीताल में बातचीत हुई थी । वहां मिल मालिकों ने आश्वासन दिया था कि वे मूल्य नहीं बढ़ायेंगे । परन्तु कुछ एक ने अपना वायदा पूरा नहीं किया अतः हमें कार्यवाही करनी पड़ी । हम ने मूल्य कम कर दिया है इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता था ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** निर्यात वर्धन अध्यादेश प्रख्यापित करते समय कारखाने से विक्रय करने का भाव क्या था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं प्रसिद्ध मंडियों के भाव बता रहा हूं ।

†**श्री अ० म० थामस :** २६ जुलाई को जालंधर में भाव ३९.२२ रुपये ; दिल्ली में ४०.२५ रुपये और कलकत्ता में.....

†**श्री अ० प्र० जैन :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये परन्तु यदि माननीय सदस्य बाजार के भाव चाहें तो मैं दे सकता हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** ३० जुलाई को अध्यादेश प्रख्यापित करने के बाद बाजार में विक्रय के लिये कितनी चीनी भेजी गई ? अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद अब तक चीनी का कितना निर्यात किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मुझे मिली अद्यतन जानकारी के अनुसार १६,००० से १७,००० टन चीनी के निर्यात के संविदा हो चुके हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** अभी उसका निर्यात नहीं हुआ है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** संविदा होने के बाद निर्यात करने में कुछ समय लगता है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** बाजार में विक्रय के लिये कितनी भेजी गई ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले पर बाद में विचार किया जायेगा । प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं अपने संकल्प पर चर्चा के बारे में जानकारी चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तदर्थ न्यायाधिकरण

†*४२. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **रेलवे** मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये १९५३ में नियुक्त किये गये तदर्थ न्यायाधिकरण ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कब कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज : खां)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इमारती लकड़ी

†*४३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बारे में जानकारी है कि देश में इमारती लकड़ी के कुल कितने वृक्ष हैं ; और

(ख) क्या वे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५०–५१ से १९५५–५६ सम्बन्धी एक विवरण जिसमें इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के खड़े वृक्षों की संख्या दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । केवल इमारती लकड़ी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान और निकोबार द्वीपों में इनकी संख्या बढ़ रही है परन्तु मैसूर और पश्चिमी बंगाल में (१९५५–५६ में) कमी हुई है ।

नारियल जटा उत्पादों के लिये जहाज़ों में स्थान का रक्षण

†*४६. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि केरल के बन्दर-गाहों के जहाज़ों में १५ प्रतिशत स्थान नारियल जटा उत्पादों के लिये रक्षित करने के बारे में कार्य-वाही की जाये क्योंकि जब अन्य भारी सामान उपलब्ध होता है तो जहाज़ी कम्पनियां नारियल जटा उत्पादों को स्वीकार नहीं करतीं ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†*परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं था क्योंकि :

(१) भारतीय कोस्टल, काफ्रेंन्स से परामर्श किया गया था परन्तु उसने इस आधार पर इस का विरोध किया कि यह सफल नहीं होगा ;

(२) विभिन्न प्रकार के सामान को इस आधार पर जहाज़ों में स्थान प्राप्त होता है कि पहुंचने के स्थान पर उनके विक्रय की स्थिति कैसी है ;

(३) यदि एक वस्तु के लिये स्थान रक्षित किया जाता है तो अन्य वस्तुओं के लिये भी इसी प्रकार की मांग की जायेगी ;

(४) हमारी टनभार क्षमता सीमित होने के कारण ऐसा करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद न होगा ।

आंधियां

†*५०. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, १९५८ में राजधानी में कितनी बार आंधी आई ;

(ख) क्या यह सच है कि इनकी संख्या और ज़ोर बढ़ता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली की वायु को शुद्ध और शान्त रखने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) मई में ७, और जून में ६ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) विज्ञान ने अभी इतनी उन्नति नहीं की जिस से कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु को अपनी इच्छानुसार बदला जा सके ।

भूमि की काश्त

†*५७. **श्री रामम् :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गईं कि बंजर भूमि भूमिहीन लोगों को काश्त के लिये दे दी जाये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां । राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण करें और उनमें ऐसे टुकड़े ढूंढे जहां भूमिहीन श्रमिकों को, उनकी संख्या का पता लगा कर बसाया जा सके । उन्हें उपयुक्त योजनायें तैयार करके भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये भी कहा गया था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे में बचाव संस्थायें[1]

†*५८. **श्री हेम बरूआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और उन्हें रोकने के उपाय बताने के लिये हाल ही में बचाव संस्थायें स्थापित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं की उपपत्तियां कब तक उपलब्ध होंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

राज्यों में परिवहन प्रशासन की तदर्थ समिति

†*५९. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में परिवहन प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में मंत्रणा देने के लिये नियुक्त की गई तदर्थ समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या काम किया गया है ; और

(ग) वह अपनी सिफारिशें कब देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) लगभग छः मास में ।

गहूं का आयात

†*६०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के आयात की सामान्य स्थिति क्या है ;

(ख) क्या आयात देश की आवश्यकता के अनुसार हो रहा है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Safety Organisations.

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से गेहूं कितनी मात्रा में रक्षित रखा गया है ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व सरकार को गेहूं के आयात निकासी अथवा वितरण कौन से विशेष कठिनाइयों का डर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) वर्ष १९५८ में २३ लाख टन गेहूं के आयात का प्रबन्ध किया जा चुका है । इसमें से जुलाई, १९५८ की समाप्ति तक १४.७ लाख टन गेहूं भारत में आ चुका है ।

(ख) जी हां ।

(ग) १९ जुलाई को लगभग ६ लाख टन, इसके अतिरिक्त राज्यों के पास २ लाख टन से अधिक राज्य सरकारों के स्टाक में है ।

(घ) इसके लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है कि गेहूं के आयात, निकासी अथवा वितरण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ।

जगरांव में रेल दुर्घटना

†*६१. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जून, १९५८ को लुधियाना जाने वाली एक सवारी गाड़ी जगरांव में एक और गाड़ी से टकरा गई ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुये और इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). ६ जून, १९५८ को ७.२० बजे जब कि नं० १ एल एफ सवारी गाड़ी उत्तर रेलवे के लुधियाना-फिरोजपुर इकहरी लाइन सैक्शन में जगरांव स्टेशन की 'लूप' लाइन पर खड़ी थी उस समय उसी लाइन पर नं० २ एल जे जी डाउन शटल को जब पीछे हटाया गया तो उसका पिछला हिस्सा १ एल एफ एक सवारी गाड़ी से टकरा गया, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ अन्य २९ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(ग) रेलवे के सरकारी निरीक्षक, लखनऊ ने दुर्घटना की जांच की है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) उसकी अस्थायी उपपत्ति यह है कि नं० २ एल जे जी डाउन गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर ने गाड़ी के शंटिंग के नियमों का पालन नहीं किया इसी कारण यह दुर्घटना हुई।

(ङ) नं० २ एल जे जी डाउन के गार्ड और ड्राइवर को मुअत्तिल कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

डाक तथा तार विभाग में हिन्दी

†*६३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ग्राम क्षेत्रों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या ग्राम्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कोई विशेष सुविधा दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० क० पाटिल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

पत्तनों पर जहाजों में माल लादना और उतारना

†*६४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाना चाहती है जिससे पत्तनों पर जहाजों से सामान आसानी से और जल्दी उतारा और लादा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जहाजों में शीघ्र माल लादने और उतारने के प्रयोजन से सरकार ने बम्बई और मद्रास में कुछ योजनायें चालू की हैं। कलकत्ता बन्दरगाह के लिये भी एक योजना तैयार की जा रही है और इसके बाद विशाखापटनम और कोचीन के लिये योजनायें तैयार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

दिल्ली में तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक्करण-केन्द्र[१]

†*६५. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में तपेदिक के रोगियों के लिये एक पृथक्करण केन्द्र खोलने का

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Isolation Centre.

निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). महरौली के लाला रामसरूप टी० बी० हास्पिटल में १९५७–५८ में २,१६,४६८ रुपयों की लागत पर ५२ पलंग वाले एक तपेदिक पृथक्करण वार्ड की स्थापना की गयी थी और मार्च, १९५८ में मरीज़ों की भर्ती शुरू की गयी थी।

प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र

†*६६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित ६ प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र किन किन स्थानों में खोले जाने वाले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ६ प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये त्रिवेन्द्रम, मद्रास, इन्दौर, पटियाला, लखनऊ, और कलकत्ते में एक एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

परादीप पत्तन

†*६७. **श्री वि० च० शुक्ल :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परादीप पत्तन के सम्बन्ध में टोकियो विश्वविद्यालय ने जो गवेषणा-कार्य किया था क्या तब से उससे सम्बन्धित चार्ट और ड्राइंगें आ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय सम्बन्धित प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने की घटनाओं सम्बन्धी जांच आयोग[1]

†*६८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री सूपकार :
श्री कोडियान :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री कुमारन :
श्री कुन्हन :
श्री तंगामणि :
श्री पोकर साहेब :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मणि यंगाडन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने के मामलों के जांच करने के लिये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Food Poisoning Enquiry Commission.

जो आयोग नियुक्त किया था क्या उसके प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

'टेल्कों' द्वारा रेलवे को रेल के इंजनों का संभरण

†*६९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टेल्को' के रेल के इंजनों के लिये रेलवे द्वारा दी जाने वाली कीमत के सम्बन्ध में रेलवे और टाटा लोकोमोटिव कम्पनी के बीच कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो एक इंजन का दाम कितना तय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) यदि मंशा १ अप्रैल, १९५८ के बाद से दी जाने वाली कीमत जानने का है, जैसा कि प्रतीत होता है तो उत्तर है कि अभी कुछ समझौता नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल में विमान-दुर्घटना

†*७०. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का एक डकोटा १३ जून, १९५८ को नेपाल में ध्वस्त हो गया था ;

(ख) हताहतों की संख्या और इस दुर्घटना का अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गयी है, और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी नहीं । १३ जून, १९५८ को नेपाल में पोखरा पर जो विमान ध्वस्त हो गया था वह कलिंग एयर लाइन्स का था और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन एसोसियेट्स इसका संचालन कर रहे थे । इस विमान में २७ यात्री और ४ चालक थे । इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन विमान को काफी क्षति पहुंची है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यह दुर्घटना नेपाली राज्य-क्षेत्र में हुई थी और नेपाल सरकार जांच करा रही है।

(घ) दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†७६. **श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की इस सिफारिश के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि ए० पी० उपकर (सैस) अधिनियम, १९४० के अधीन कुछ वस्तुओं पर जो १/२ प्रतिशत यथा मूल्य उपकर लगाया जाता है उसे बढ़ा कर १ प्रतिशत कर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है ?

'अति विशिष्ट जनों'[१] के लिये विमानों में स्थान सुरक्षित रखना

†७७. **श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की प्रत्येक सर्विस में स्थानों का कुछ कोटा 'अति विशिष्ट जनों' के लिये सुरक्षित रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने स्थान सुरक्षित रखे जाने हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परादीप पत्तन

†७८. **श्री वि० चं० शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री संगण्णा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूना गवेषणा संस्था में परादीप में पत्तन सम्बन्धी सुविधायें विकसित करने के क्षेत्र का निश्चय करने के लिये जो माडल प्रयोग किये जा रहे हैं उन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** यह प्रतिवेदन १९५८ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१]V. I. Ps.

वातानुकूलित सवारी-डिब्बे

†७९. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या रेलवे मंत्री ७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ (अक्तूबर, १९५७ तक) में वातानुकूलित सवारी-डिब्बे, जिनमें तीसरे दर्जे के डीलक्स सवारी-डिब्बे भी शामिल हैं, चलाने में रेलवे को कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** किसी भी श्रेणी के सवारी-डिब्बे चलाने में रेलवे को कितना व्यय करना पड़ता है इसका सही-सही हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ।

पंचायतें

८०. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितनी ग्राम पंचायतें स्थापित की गयीं और उनमें ३१ मार्च, १९५८ तक कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) द्वितीय योजना के लिये निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये क्या यह प्रगति सन्तोषजनक है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना में जो पंचायतें स्थापित की गईं उनकी संख्या १,१८,८५४ है । ३१ मार्च १९५८ तक जो उनमें वृद्धि हुई उनकी संख्या ४५,५०४ है ।

(ख) जी हां, उचित रूप से ।

टिड्डी दल

८१. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने १५ मई, १९५८ को राज्य के किसानों को चेतावनी दे दी थी कि टिड्डी दल के आक्रमण की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के दूसरे भागों में भी टिड्डी दल के आने का भय है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । परन्तु कोई बड़े पैमाने के हमले का भय कम है ।

चीनी का उत्पादन

†८२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ के पेराई के सीजनों में प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी ईख पेरी गयी और कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]

चावल का स्टाक

†८३. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वोडयार :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़िया और मोटे दोनों किस्म के चावल का कितना स्टाक केन्द्रीय सरकार के पास है ; और

(ख) यह किन स्रोतों से लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २७ जुलाई, १९५८ को ४.०६ लाख टन ।

(ख) आंशिक रूप से बर्मा, अमरीका और वियत-नाम से आयात द्वारा और आंशिक रूप से आंध्र, पंजाब और उड़ीसा राज्यों में वसूली द्वारा ।

भाण्डागार व्यवस्था निगम

†८४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने भाण्डागार व्यवस्था निगमों की स्थापना की है ;

(ख) ३० जून, १९५८ तक प्रत्येक राज्य में कितने-कितने भाण्डागारों की स्थापना हो गयी थी ;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय भाण्डागार व्यवस्था निगम के अधीन कितने भाण्डागार हैं और ये किन-किन स्थानों में हैं, और

(घ) इन भाण्डागारों में ३० जून, १९५८ को किस-किस अनाज का कितना-कितना स्टाक रखा था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) (१) बम्बई, (२) मैसूर, (३) मद्रास, (४) बिहार, (५) पश्चिम बंगाल, (६) राजस्थान, (७) उत्तर प्रदेश, (८) पंजाब, (९) उड़ीसा, (१०) मध्य प्रदेश और (११) आंध्र प्रदेश ।

(ख) एक भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नौ भाण्डागार :

आंध्र प्रदेश .	वारंगल
बम्बई . .	अमरावती, गोंडिया और सांगली
मैसूर . .	देवेगीर और गडग
उड़ीसा . . .	बड़ गढ़
पंजाब . .	मोगा
उत्तर प्रदेश . . .	चंदौसी

	मन
(घ) गेहूं .	७६५१३.४५
चावल .	७८०३.२०
ज्वार .	३७५३.९९
धान .	१६२५.०४
मक्का .	६५४.२४
जोड़ . .	९०३४९.९२

उपयुक्त अनाजों के अलावा इन भाण्डागारों में निम्नलिखित वस्तुयें भी रखी हैं :

	मन
दाल और चना	२८८९.४
रूई डोक्रस	१२४७.०
रूई बी० सी०	३५.०
रूई लिन्ट	१०३.०
बिनौला .	१५४.९०
अलसी . .	१३३५.६३
मूगफली .	१७५.९८
मिर्च . .	११५.६२
हल्दी .	२३.३८
अन्य .	१०२५.३०
जोड़ .	७१०४.९५

रेल के इंजन

†८५. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में चित्तरंजन में रेल के कुल कितने इंजन बनाये गये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १९५६-५७ की तुलना में उत्पादन-लागत में कुछ कमी हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १६४ ।

(ख) १९५७-५८ में उत्पादन-लागत में १९५६-५७ की अपेक्षा थोड़ी वृद्धि हुई है ।

चलते फिरते डाक-घर

†८६. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन स्थानों में अब तक चलते फिरते डाक-घर चलाये गये हैं;

(ख) शुरू होने के बाद से ये कितने कितने समय से चल रहे हैं;

(ग) इन डाक-घरों को किन विशेष सुविधाओं के लिये चालू किया गया है ; और

(घ) प्रत्येक चलते-फिरते डाक-घर पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्री जोधाराम के परिवार को सहायता

†८७. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री जोधाराम के, जो १९ दिसम्बर, १९५७ को एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते समय अप देहरादून एक्सप्रेस से टकरा गये थे, परिवार को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : उत्तर रेलवे प्रशासन ने स्वर्गीय श्री जोधाराम के, जो १९ दिसम्बर, १९५७ को एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते समय अप देहरादून एक्सप्रेस से टकरा गये थे, परिवार को निम्न लिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(१) स्वर्गीय श्री जोधाराम के इस असाधारण वीरता के कार्य के लिये १०००) रुपये का नगद पुरस्कार मंजूर किया गया है । दिवंगत कर्मचारी के नाबालिग लड़के के अभिभावक को इस राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

(२) श्रमिकों का प्रतिकर अधिनियम के अधीन ग्राह्य प्रतिकर की ३०००) रुपयों की राशि दिवंगतर कर्मचारी के वैधानिक वारिसों को दिये जाने के लिये मेरठ के श्रमिक प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी गयी है ।

(३) दिवंगत कर्मचारी के नाबालिग लड़के को मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने के लिये पढ़ाई जारी रखने में समर्थ बनाने के लिये कर्मचारीवर्ग लाभ निधि में से शिक्षा-शुल्क, पुस्तकों और लेखन-सामग्री के वास्तविक व्यय के लिये शिक्षा सम्बन्धी सहायता देने का प्रस्ताव है । अब तक उसने जो वास्तव में व्यय किया है उसके लिये उसे ५७ रुपये १९ नये पैसे मंजूर किये जा चुके हैं ।

चीनी का निर्यात

†८८. **श्री आसर** :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ब्रजराज सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(७) चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश, १९५८ के लागू होने के बाद से ३१ जुलाई, १९५८

†मूल अंग्रेजी में

तक कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया है ;

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया है ;

(ग) क्या सभी चीनी मिलों ने सरकारी अधिसूचना के अनुसार निर्यात के चीनी के कोटे का अपना-अपना अंश दे दिया है; और

(घ) यदि नहीं तो किन-किन चीनी मिलों ने निर्यात का अपना अंश नहीं दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अगस्त-सितम्बर में भेजी जाने के लिये मलाया, सूडान और अरब की खाड़ी के पत्तनों को निर्यात के लिये १७,००० टन चीनी बेची गयी है ।

(ग) और (घ). निर्यात एजेंसी से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी मिल ने निर्यात का अपना कोटा भेजने से इंकार कर दिया है ।

पार्टियों और दावतों पर व्यय

†८९. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे बोर्ड ने १९५८ में चाय-पार्टियों और औपचारिक दावतों पर कुल कितना-कितना व्यय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और तैयार होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे सुरक्षा

†९०. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल में ३१ जुलाई, १९५८ को कुल कितने जवान थे ;

(ख) इसमें कितने मुख्य सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षक और अन्य पदाधिकारी थे ; और

(ग) १९५७-५८ में इस बल को रखने पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

मुख्य सुरक्षा अधिकारी . .	१
सुरक्षा अधिकारी . .	१
सहायक सुरक्षा अधिकारी .	१०
निरीक्षक . . .	४७
उप-निरीक्षक . . .	१५४
तृतीय श्रेणी के अन्य कर्मचारी .	११९
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . .	६९७०

(ग) ८२,१०,००० रुपये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

चीनी का भाव

†९१. { श्री त्यागी :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्टरी पर चीनी का प्रति मन औसत मूल्य कितना है और मूल्य के ढांचे के विभिन्न अंगों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उद्योग को कितने प्रतिशत लाभ की छूट दी जाती है ;

(ग) इस वर्ष सरकार का कितना निर्यात करने का इरादा है ;

(घ) चीनी के निर्यात के कारण कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ङ) भारत के खुदरा बाजारों में चीनी के भाव किस हद तक बढ़े हैं ; और

(च) उद्योग को यह घाटा पूरा करने की अनुमति देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने ३०-७-१९५८ से फैक्टरी पर चीनी का जो मूल्य निर्धारित किया है वह उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार की चीनी मिलों के लिये ३६ रुपये मन और पंजाब की मिलों में ३६.५० रुपये प्रतिमन है। उद्योग के कुछ अभ्यावेदनों को निबटाने के बाद मूल्य के ढांचे के अलग-अलग आंकड़े सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) चालू वर्ष में, अर्थात् ३१ अक्तूबर, १९५८ तक निर्यात के लिये ५०,००० टन चीनी दी गयी है ।

(घ) विश्व के बाजारों में प्रचलित भावों पर निर्यात में पूरा उत्पादन शुल्क और उपकर लौटाने के बाद १८ पौंड से २० पौंड प्रति टन तक घाटा होने का अनुमान है। इस हिसाब से ५०,००० टन चीनी पर कुल १.२५ करोड़ रुपयों का घाटा होगा ।

(ङ) देश के विभिन्न भागों में चीनी के भावों में २ से ७ प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। अब दाम कम हो गये हैं ।

(च) उद्योग के पास निर्यात नीति घोषणा के समय उपलब्ध स्टाक पर फैलाकर हिसाब लगाने से निर्यात पर लगभग ८ आने प्रतिमन का घाटा आता है। इस घाटे को देश के अन्दर की बिक्री से पूरा किया जा सकता है ।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी

†९२. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री २८ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के दिल्ली-फाजिल्का सक्शन के कर्मचारियों की तुलना म भूतपूर्व-बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवें उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: तब से उत्तरीय रेलवे मज़दूर यूनियन से परामर्श कर उत्तर रेलवे प्रशासन ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है और कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां कर्मचारियों की जानकारी के लिय तैयार और परिचालित कर दी गयी हैं ?

राजस्थान में उचित मूल्य वाली दूकानें

†९३. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में उचित मूल्य वाली कुल कितनी कितनी दूकानें हैं ;

(ख) इन दूकानों में, विशेषकर बीकानेर डिवीजन में, अनाज किस भाव से बेचा जाता है ; और

(ग) खुले बाजार में अनाजों के भाव क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलन पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में कृषकों को ऋण

†९५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषकों को ऋण देने के लिये प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को कितनी राशि आवंटित की थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये कितनी राशि अलग कर दी गयी है ; और

(ख) यह राशियां किन-किन योजनाओं के अधीन आवंटित की गयीं थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय प्रयोक्ता परिषद् और समितियां

†९६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी राष्ट्रीय प्रयोक्ता मंत्रणा परिषद् और विभिन्न रेलवों पर प्रादेशिक और मण्डलीय प्रयोक्ता मंत्रणा समितियां बनाने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ; और

(ग) ये कब तक बन जायगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केन्द्र में राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा परिषद् और रेलवे में क्षेत्रीय और प्रादेशिक/मंडल-रेलवे प्रयोक्ता समितियां बनाने का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सामुदायिक विकास सम्मेलन

†९७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री कोडियान :
श्री कुमारन् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :
श्री पाणिग्रही :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री संगण्णा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९५८ में माउण्ट आबू में जो सामुदायिक विकास सम्मेलन हुआ था उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१क]**

पंजाब में तपेदिक

†९८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तपेदिक की रोकथाम के लिये १९५८-५९ में पंजाब सरकार को कितनी राशि दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : तपेदिक की रोक-थाम के लिये पंजाब को १९५८-५९ में ६,८७,२०० रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है।

काजीपेट रेलवे स्टेशन यार्ड का नवनिर्माण

†९९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीपेट रेलवे स्टेशन के यार्ड के नवनिर्माण की पुनरीक्षित योजना की जांच अब पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कार्य वास्तव में कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). यार्ड का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और पुनरीक्षित ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं ।

क्षेत्रीय रेलों के जनरल मैनजरों के पद के बराबर के रिक्त स्थान

†**१००. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय रेलों के जनरल मैनेजर के पद के बराबर के और उससे ऊपर के कौन-कौन से पद (१) स्थायी रूप से (२) अस्थायी रूप से १ जनवरी, १९५८ से रिक्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कौन कौन से पद (१) वरिष्ठता के आधार पर और (२) अतिष्ठिति द्वारा कुशलता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हैं ; और

(ग) इस प्रकार की नियुक्तियां करने में सरकार की क्या नीति है और क्या हाल ही में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) निम्नलिखित पद रिक्त हुए थे :—

१. जनरल मैनेजर, पूर्व रेलवे ।

२. जनरल मैनेजर, दक्षिण-पूर्व रेलवे ।

३. जनरल मैनेजर, दक्षिण रेलवे ।

४. जनरल मैनेजर, केन्द्रीय रेलवे ।

५. जनरल मैनेजर, पश्चिम रेलवे ।

६. जनरल मैनेजर एण्ड चीफ़ इंजीनियर, रेलवे इलैक्ट्रि फिकेशन ।

७. एडीशनल मेम्बर, स्टाफ़, रेलवे बोर्ड ।

८. मेम्बर, स्टाफ़, रेलवे बोर्ड ।

(१) उपर्युक्त पद संख्या १ से ५ और ८ स्थायी हैं।

(२) उपर्युक्त पद संख्या ६ और ७ अस्थायी हैं।

(ख) और (ग). यह विशुद्ध रूप से चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थान हैं और नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

टनकपुर में डाक तथा तार घर का भवन

१०१. श्री मोहन स्वरूप : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टनकपुर उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार घर के भवन का निर्माण, जो कई वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था, अब तक पूरा नहीं हुआ तथा अब यह काम बिल्कुल ठप्प पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस पर अनुमानतः क्या व्यय होगा और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस समय टनकपुर का डाक तथा तार घर जिस भवन में है वह बहुत टूटा फूटा है।

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० क० पाटिल): (क) और (ख): जी हां। इस भवन का निर्माण-कार्य केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मार्च, १९५५ में प्रारम्भ किया था। जब निर्माण का ४० प्रतिशत काम पूरा हो चुका था तथा भवन छत तक बन चुका था तो ठेकेदार और केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण, इसका निर्माण कार्य बन्द हो गया था। कानूनी अड़चनों के कारण यह कार्य अब तक फिर चालू नहीं किया जा सका है।

(ग) क्रमशः ३८,८६२ एवं १६,८२० रुपये।

(घ) किराये पर लिया हुआ वर्तमान भवन जिसमें आजकल टनकपुर डाक-घर है, सुरक्षित नहीं है। निर्माणाधीन विभागीय भवन के बन जाने तक इस डाक घर को अन्य किसी अच्छे भवन में ले जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जल संभरण

१०२. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जल संभरण बहुत अपर्याप्त है और इस कारण पूर्णागिरि के यात्रियों तथा अन्य यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेशन के समीप एक कुआं खोदने की योजना आरम्भ की गयी थी और एक ८–१० फुट गहरा कुआं खोदा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा, उस पर वस्तुतः कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और कुएं को पूरा करने में देरी का क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पानी की नियमित व्यवस्था यद्यपि काफी नहीं है, फिर भी मेले के दिनों में रेलवे की ओर से पानी का खास इन्तजाम किया जाता है ताकि जहां तक हो सके तीर्थयात्रियों या दूसरे मुसाफिरों को असुविधा न हो।

(ख) और (ग) एक नल-कूप बनाने की मंजूरी दी गयी थी और रेलवे ने उस पर काम शुरू किया था। रेलवे के पास जो उपस्कर थे उनसे कई जगह नलकूप लगाने की कोशिश की गयी, लेकिन नीचे की ज़मीन पथरीली होने की वजह से सफलता नहीं मिली। अब नलकूप लगाने के लिए विशेष उपस्कर का इन्तज़ाम करने का विचार है।

नलकूप लगाने पर २७,६७६ रुपये की लागत का अनुमान है, जिसमें से अब तक ७,१०० रुपये खर्च हो चुके हैं।

रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

१०३. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री निम्नलिखित बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) सारे भारत में कितने ठेकेदारों के ठेके विभागीय भोजन व्यवस्था के अधीन समाप्त कर दिये गये और उनमें से कितने बेकार हैं और कितनों को काम दिया जा चुका है ; और

(ख) विभागीय व्यवस्था के लिये रेलवे प्रशासन को दिल्ली, बम्बई और मद्रास आदि जैसे बड़े जंकशन स्टेशनों पर कितने कर्मचारी रखने पड़ते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख)

जंकशन का नाम	नियुक्त कर्मचारियों की तादाद
वाल्टेर	१७
बंगूलर सिटी	३३
मुगलसराय	७८
हावड़ा	१७०
सियालदह	७७
गोरखपुर	८८
बम्बई	३१९
पूना	१०४
नागपुर	८४
झांसी	८०
विलासपुर	२६
कटक	३४
अजमेर जंकशन	३१
मेहसाना	५०
रतलाम जंकशन	५२
गौहाटी	३४
दिल्ली	१५४
नयी दिल्ली	५८

नोट:—मद्रास एग्मोर और मद्रास सेन्ट्रल स्टेशनों पर विभागी खान-पान व्यवस्था नहीं है। इन स्टेशनों पर खान-पान व्यवस्था ठेकेदारों के हाथ में है।

पूर्वोत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

१०४. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ जंकशन (चारबाग) और सिटी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका रेलवे के कितने ठेकेदारों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) रेलवे के कितने ठेकेदारों के ठेके विभागीय भोजन व्यवस्था के अधीन बन्द कर दिये गये हैं और कितने ठेकेदारों को अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गयी है ;

(घ) क्या ऐसे सब ठेकेदारों को जिनके ठेके समाप्त कर दिये गये थे, अन्य रेलवे स्टेशनों पर काम दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ सिटी स्टेशन पर विभागी खान-पान व्यवस्था शुरू नहीं की गयी है और न यह व्यवस्था वहां शुरू करने का कोई विचार है। लेकिन उत्तर रेलवे के लखनऊ (चारबाग) स्टेशन (बड़ी लाइन) और पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंकशन (मीटर लाइन) स्टेशन पर विभागी खान-पान व्यवस्था शुरू कर दी गयी है।

(ख) नौ।

(ग) आठ ठेकेदारों के ठेके खत्म कर दिये गये हैं और एक ठेकेदार के ठेके में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). जिन आठ ठेकेदारों के ठेके खत्म किये गये हैं उनमें से तीन को दूसरे स्टेशनों पर ठेके नहीं दिये गये, क्योंकि उनके पास जो दूसरे ठेके हैं उन्हें ही काफी समझा गया है।

बाकी चार ठेकेदारों में से तीन ने दूसरे स्टेशनों पर ठेके मंजूर कर लिये हैं और काम चालू कर दिया है। एक ठेकेदार ने दूसरे स्टेशन पर ठेका लेना अभी मंजूर नहीं किया है और वहां काम शुरू नहीं हुआ है। एक ठेकेदार को दूसरे स्टेशन पर ठेका दिया गया था। वह ठेका अभी खाली नहीं है क्योंकि उसके बारे में अदालत ने निषेध आदेश[1] दे रखा है।

आवारा पशु पकड़ने की योजना

१०५. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवारा पशु पकड़ने की योजना के अन्तर्गत दिल्ली और भारत के अन्य भागों में अब तक कितने पशु पकड़े गये ;

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ग) इन पशुओं को बेचने से कितनी आय हुई ; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में पकड़े गये बहुत से पशु पुरानी दिल्ली के अनेक कांजी हौसों में केवल १० या ११ रुपये पर नीलाम कर दिये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (ग). यह योजना केवल दिल्ली और जम्मू व काश्मीर राज्य में चालू है। ब्यौरे का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये[1] परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

---

[1]Injunction,

(घ) जी हां, दिल्ली जिले के मैजिस्ट्रेट ने कांजी हौस के प्रति पशु की नीलामी की कीमत कम से कम १० रुपये रखी है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत महिला कल्याण योजना

१०६. श्री मोहन स्वरूप : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्तर्गत महिला कल्याण योजना द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने में कितनी सफलता हुई ;

(ख) उस पर प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ; और

(ग) क्या इसके ब्यौरे का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० के० डे) : (क) प्रारम्भ में सफलता की गति मन्द रही क्योंकि ग्रामीण इलाकों में प्रोग्राम को घर करने में समय लग गया। तो भी, इस ओर अधिक ध्यान और विशेष बल देने से इसमें काफ़ी प्रगति हुई। जैसा कि १३,४०० महिला समितियां जिनके सदस्यों की संख्या १,९७,००० है ब्लाकों में काम कर रही हैं और महिलाओं के हृदयों में उन्नत जीवन की कामना को अंकुरित कर रही हैं। शिल्प केन्द्र, प्रसूति वह बाल केन्द्र और अन्य प्रोग्राम जो चालू किए गए हैं, उनके द्वारा महिलाएं अधिकाधिक संख्या में पढ़ाई, इर्द-गिर्द व घर की सफ़ाई व आमदनी को थोड़ा बहुत पढ़ाने में लाभ उठा रही हैं।

(ख) और (ग). पहले पहल स्त्रियों व बालकों के कार्यक्रम पर खर्च के पृथक् आंकड़े नहीं बताए गए क्योंकि यह "समाज शिक्षा" के खर्च का एक भाग था। कार्यक्रम संशोधन के बाद ४०,००० रुपये और २०,००० रुपये स्त्रियों के कार्यक्रम के लिए ब्लाकों की पहली व दूसरी अवस्था में क्रमशः व्यय करने का विधान है। कल्याण विस्तार योजनाओं में, जहां अप्रैल १९५७ से केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल से मिल जुल कर काम चालू है, वहां कुल रकम हर एक ब्लाक के लिये १,३३,००० रु० वण्टित की गई है जिसमें इस मंत्रालय का भाग ४०,००० रुपये है। असली खर्च के आंकड़े प्राप्य नहीं।

दिबनापुर हाल्ट स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे

१०७. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिबनापुर हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के प्रबन्ध और संचालन पर रेलवे प्रशासन ने कितनी धनराशि व्यय की ;

(ख) मई, १९५६ से १९५८ तक इस स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों से कितनी आय हुई ;

(ग) दिबनापुरहाल्ट स्टेशन पर एक छोटी इमारत और प्लेटफार्म बनाने पर कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(घ) क्या सरकार इस हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक यह योजना कर्यान्वित होने की आशा है ?

रेलवे-उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९-५-५६ (हाल्ट खुलने की तारीख) से १८-५-५८ तक रेलवे ने लगभग १०,३०० रुपये खर्च किये।

(ख) १९-५-५६ से १८-५-५८ तक यात्री यातायात से कुल १५,१३६ रुपये की आमदनी हुई। लेकिन बगल के स्टेशनों से पलट कर जो यातायात इस हाल्ट से हुआ, उसकी आमदनी निकाल कर इस अवधि में इस हाल्ट पर यात्री यातायात से कुल ९,९०० रुपये की आमदनी का अनुमान है।

(ग) ३,१७० रुपये।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

उत्तर रेलवे लाइन में छोटे नदी-नालों से टूट फूट

१०८. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष वर्षा ऋतु में उत्तर रेलवे के गजरौला और राजघाट स्टेशनों पर छोटी-छोटी नदियों के कारण कुछ स्थानों पर लाइन टूट गयी थी ;

(ख) क्या सरकार वहां कोई ऐसा प्रबन्ध करने वाली है जिससे इस वर्षा ऋतु में फिर ऐसा न हो ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां, इसकी रोकथाम के उपाय पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे के विरुद्ध प्रतिकर के लिये दायर किये गये मुकदमे

†**१०९. श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ में दीवानी अदालतों में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध अलग अलग हानि, थोड़ा माल मिलने अथवा बिल्कुल माल न मिलने के कुल कितने मुकदमे दायर किये गये ;

(ख) उपर्युक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों में न्यायालय ने रेलवे के विरुद्ध डिगरी जारी कर दी थी; और

(ग) उपर्युक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों में रेलवे प्रशासन द्वारा वादियों को हर्जाना दिलाया गया और उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे को इन मुकदमों में अपने बचाव के लिये कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) इस ब्यौरे से सम्बन्धित आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध डिग्रियां

†**११०. श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५७-५८ में दीवानी अदालतों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध पास की गई कितनी डिग्रियों के बारे में कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में दीवानी अदालतों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध मुकदमों की तारीख बदलने पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ग) क्या इस व्यय को बचाना सभव नहीं था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ख) १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ } रेलवे द्वारा इन वर्षों में ऐसे व्यय का कोई अलग लेखा नहीं रखा गया है।

१९५७–५८ २,६८८ रुपये।

(ग) जी नहीं।

पदाधिकारियों के लिये अवकाश गृह

†१११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह ही पदाधिकारियों के लिये भी सस्ते अवकाश-गृहों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). विषय अभी भी विचाराधीन है।

भारत अमरीका मालवाही पोत सेवा

†११२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अमरीका के बीच मालवाही पोत सेवा चलाने के लिये एक नई जहाज कम्पनी खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : भारत और अमरीका के बीच मालवाही पोत सेवा चलाने के लिये ९ नवम्बर, १९५७ को इण्डियन ओवरसीज शिपिंग कम्पनी लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है। इस कम्पनी को सरकार द्वारा १५० लाख रुपये तक की पूंजी जारी करने की अनुमति दे दी गई है। जहां तक ज्ञात हुआ है, कम्पनी को जहाज अभी नहीं मिला है।

तार जांच समिति

†११३. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री संगण्णा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सं० चं० सामन्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीराम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या

†मूल अंग्रेजी में

५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार जांच समिति ने तब से अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) जी नहीं । ३१ अगस्त, १९५८ तक उसके प्रस्तुत किये जाने की आशा की जाती है ।

(ख) तथा (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जापान को रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल

†११४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
सरदार दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी राष्ट्रीय रेलवे के आमन्त्रण पर वहां की रेलवे पद्धति का अध्ययन करने के लिये रेलवे कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल ५ मई, १९५८ को वहां गया था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मण्डल की विशेष कर भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण एवं विद्युतीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रमुख सिफारिशें हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जापानी राष्ट्रीय रेलवे के आमन्त्रण पर भारतीय रेलवे और जापानी राष्ट्रीय रेलवे के बीच अधिक निकट के सम्बन्ध स्थापित करने तथा रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से भी तीन रेलवे कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मई, १९५८ में जापान गया था ।

(ख)तथा (ग) इस प्रतिनिधि मण्डल ने सामान्य रूप से वहां की रेलों की कार्यपद्धति देखी और इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत रिपोर्ट देने का विचार नहीं है । उनकी जानकारी में जो मामले आये उन पर विभाग की ओर से उचित कार्यवाही की जायेगी ।

विमान दुर्घटनायें

†११५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से सम्बन्धित दुर्घटनाओं का वर्षवार अलग-अलग व्यौरा क्या है ;

(ख) इन दुघटनाओं के परिणामस्वरूप एयर इण्डिया इण्टर नेशनल और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को अलग-अलग कितनी हानि उठानी पड़ी ;

(ग) दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (घ). क्रमशः भाग (क), (ग) और (घ) तथा (ख) के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी बताने वाले विवरण क और ख सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६**]

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†११६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र-व्यापी त्रिवर्षीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं, (राज्यवार) ; और

(ग) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने अग्रेतर क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) निम्न राज्यों में कार्यक्रम आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हो गया था :

१. बम्बई
२. मध्यप्रदेश
३. पंजाब
४. उड़ीसा
५. राजस्थान
६. दिल्ली
७. उत्तर प्रदेश
८. जम्मू तथा काश्मीर
९. पश्चिमी बंगाल
१०. हिमाचल प्रदेश
११. अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह

अन्य राज्यों ने इस कार्यक्रम को निर्धारित समय पर ही आरम्भ कर दिया था।

(ख) कार्यक्रम के देर से आरम्भ के राज्यवार कारण नीचे दिये जाते हैं :

(१) **बम्बई**—कार्यक्रम २३ जुलाई से आरम्भ कर दिया गया था। मंजूरी जारी करने में विलम्ब वित्तीय कठिनाइयों के कारण हो गया था। अब इसको दूर कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) **मध्य प्रदेश**—कार्यक्रम को आरम्भ करने के सारे प्रबन्ध कर लिये गये हैं। कार्यक्रम देर से आरम्भ करने का कारण सामान और उपकरण का न प्राप्त होना है। इनका सम्भरण किया जा रहा है।

(३) **पंजाब**—कार्यक्रम १२ जुलाई से आरम्भ हो गया है। देरी प्रारम्भिक प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण हो गई।

(४) **उड़ीसा**—कार्यक्रम २२ मई, १९५८ को आरम्भ हो गया। देरी प्रारम्भिक प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण हो गई।

(५) **राजस्थान**—कार्यक्रम १० जुलाई से आरम्भ हो गया है। देरी सामान और उपकरण न मिलने के कारण हो गई जिनका सम्भरण अब किया जा रहा है।

(६) **दिल्ली**—कार्यक्रम जुलाई से आरम्भ हो गया। चूंकि मलेरिया निरोधक संगठन को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रश्न विचाराधीन था, अतः इस कार्यक्रम को पहले स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(७) **उत्तर प्रदेश**—कार्यक्रम १ जून से आरम्भ हो गया है। विलम्ब के कारण राज्य सरकार ने नहीं बताये हैं।

(८) **जम्मू तथा काश्मीर**—कार्यक्रम १० मई से आरम्भ हो गया। राज्य सरकार ने विलम्ब के कारण नहीं बताये हैं।

(९) **पश्चिमी बंगाल**—कार्यक्रम १५ अप्रैल से आरम्भ हो गया। राज्य सरकार ने विलम्ब के कारण नहीं बताये हैं।

(१०) **हिमाचल प्रदेश**—कार्यक्रम १५ अप्रैल से आरम्भ हो गये। राज्य सरकार ने बताया है कि विलम्ब के कारण योजना की प्रगति में कोई रुकावट नहीं आई है।

(११) **अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह**—प्रशासन से अभी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है :

१. विभिन्न राज्यों के कार्य का समायोजन करने के लिये मलेरिया इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया में एक अलग निदेशालय स्थापित करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त पदों एवं देश में छः प्रादेशिक संगठनों के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

२. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का ब्यौरा राज्य सरकारों में परिचालित करवा दिया गया है।

३. योजना आयोग ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से उसके ब्यौरे पर चर्चा की।

४. राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे कार्य की ब्यौरेवार सूची के अनुसार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें और कार्यक्रम को अत्यधिक पूर्ववर्तिता दें।

५. छिड़कने के यन्त्रों तथा पैर से चलाये जाने वाले पम्पों के सम्भरण के लिये पहले से ही आर्डर दिया जा चुका है और वे ज्यों ही प्राप्त होते हैं राज्य सरकारों को भेजे जा रहे हैं।

६. डी० सी० एम० द्वारा भेजे जाने वाली जीपें और ट्रक भेजे जा चुके हैं। कुछ माल मिल भी गया है जो राज्यों को भेजा जा रहा है।

७. यू० एस० टी० सी० एम०[1] विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त १०,०६० टन डी० डी० टी० राज्यों को भेजी जा रही है ।

८. रेलवे बोर्ड से यह प्रबन्ध किया गया है कि कार्यक्रम के लिये जो माल भेजा जाता है उसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

९. कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शीघ्रता लाने के लिये एक केन्द्र में एक उच्चस्तरीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई है । राज्यों से भी निवेदन किया है कि इसी प्रकार की समितियां बनाई जायें ।

१०. जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये इस कार्यक्रम के प्रचार हेतु २३ से ३० जून तक प्रचार सप्ताह मनाया गया था ।

दिल्ली रिंग रोड

†११७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : दिल्ली में रिंग रोड की प्रगति बनाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

पश्चिम रेलवे पर गाड़ियों में भीड़-भाड़

†११८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर गाड़ियों में भीड़-भाड़ को रोकने अथवा उसमें कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

भारत में बच्चों में क्षय रोग

†११९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बच्चों में क्षय रोग वृद्धि पर है; और

(ख) यदि हां, तो वृद्धि के कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). भारत में बच्चों में क्षय रोग सम्बन्धी विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह कहना सम्भव नहीं कि बच्चों में क्षय रोग की वृद्धि हुई है ।

---

[1]डब्ल्यू एच० ओ०

†मूल अंग्रेजी में

चीनी

†१२०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५३–५४ से लेकर १९५७–५८ के सीजन में गन्ने से चीनी की 'रिकवरी' की प्रतिशतता क्या रही है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश की तुलना में यह अनुपात कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख). पंजाब और उत्तर प्रदेश में १९५३-५४ से लेकर १९५७–५८ के सीजन में गन्ने से चीनी निम्न अनुपात में मिली थी :—

सीजन	पंजाब	उ० प्र०
१९५३–५४	९.४२	९.८७
१९५४–५५	८.९६	९.६७
१९५५–५६	८.८८	९.७१
१९५६–५७	९.०२	९.६९
१९५७–५८	९.४२	९.९३

कृषि मंत्री सम्मेलन

†१२१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५७ में श्रीनगर में हुये श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें भारत सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : कृषि मंत्री सम्मेलन की भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :—

(१) राज्यों को सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ;

(२) केन्द्रीय सरकार को केन्द्र और राज्य से विशेषज्ञों और प्रशासकों की एक समिति बनानी चाहिये जो चार-पांच राज्यों का दौरा करे और राज्यों को आदर्श कृषि सम्बन्धी संगठन बनाने एवं राज्य, ज़िला और खण्ड के स्तर पर कृषि पदाधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन करने के तरीकों को अपनाने की सिफारिश करे ;

(३) राज्यों को पर्याप्त एवं उचित समय पर सुपर फासफेट के सम्भरण के लिये सुनिश्चय करे, राज्य के प्रतिनिधियों एवं उत्पादनकर्ताओं का एक सम्मेलन खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा बुलाया जाना चाहिये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) बीज उपजाने वाले फार्मों को भूमि (अधिग्रहण) के लिये जो राशि दी जाती है वह बढ़ा कर १,५०० रुपये प्रति एकड़ कर दी जानी चाहिये ; और

(५) फल पैदा करने वाले क्षेत्रों से उपभोग किये जाने वाले क्षेत्रों में लाने के लिये लकड़ी के बैगन पर्याप्त मात्रा में संभरण कर इस ओर उन्नति की जानी चाहिये ।

स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद्

†१२२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद् की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) वे सिफारिशें कौन-कौन सी हैं जो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अब तक स्वीकार की जा चुकी हैं ; और

(ग) अन्य सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९**]

परिवार नियोजन

†१२३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में परिवार नियोजन के समायोजन के लिये एक अलग निदेशक, सह-निदेशक विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां । दिसम्बर, १९५६ में सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया था कि वे राज्य में परिवार नियोजन के गहनीकरण और समायोजन के लिये राज्य के मुख्यालय में लोक स्वास्थ्य सह-निदेशक के पद के पदाधिकारी नियुक्त करें ।

(ख) आन्ध्र, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वकालिक परिवार नियोजक पदाधिकारी और आसाम, बिहार एवं हिमाचल प्रदेश में अर्द्धकालिक पदाधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं । बम्बई सरकार ने एक सर्वकालिक पदाधिकारी नियुक्त किया है किन्तु इस पदाधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है और उसके स्थान पर एक अर्द्ध-कालिक पदाधिकारी अस्थायी रूप से रख लिया गया है । पश्चिमी बंगाल में परिवार नियोजन पदाधिकारी अपने कार्य के अतिरिक्त प्रसूति एवं शिशु कल्याण सम्बन्धी कार्य भी करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मशोबरा में प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र

†१२४. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मशोबरा में एक प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के प्रमुख कार्य क्या होंगे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार आगामी तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष कुल कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय करती रहेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) मशोबरा में फल गवेषणा केन्द्र पहले से ही स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) केन्द्र का प्रमुख कार्य सेब, चेरी, नाशपाती, आदि जैसे फलों के सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं मूलभूत दोनों प्रकार की गवेषणा करना है ।

(ग) इस केन्द्र के स्थापित करने में १-२-५८ से ३१-३-६१ तक कुल अतिरिक्त व्यय का अनुमान ३,९०,६०० रु० लगाया गया है जिसमें से (३,६०,६०० आवर्तक एवं ३०,००० रुपये) अनावर्तक व्यय होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	योग
१-२-५८ से ३१-३-५८ तक	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आवर्तक	१६,१२०	३१,६०५	१,७९,९६०	८२,९१५	३,६०,६००
अनावर्तक	शून्य	३०,०००	—	—	३०,०००

कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं (भूमि, प्रयोगशाला आदि) पर व्यय, जो हिमाचल प्रदेश में पहले से ही उपलब्ध हैं, इसी काल में लगभग ४,४८,००० रुपये होगा ।

मनी आर्डरों के मिलने में विलम्ब

†१२५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांवों के डाकखानों में १९५७ में मनी आर्डरों के मिलने में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में कई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर २८ फरवरी, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल एवं अन्य राज्यों में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने के मामले

†१२६. **श्री सूपकार :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः मासों में केरल एवं अन्य राज्यों में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) इस कारण कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर** : (क), (ख) तथा (ग) . एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**]

स्थानीय निकायों के लिय प्रारूप आदर्श अधिनियम

†१२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के लिये प्रारूप आदर्श अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिये आदर्श अधिनियम तैयार किये जा चुके हैं और उनकी प्रतियां लोक-सभा एवं राज्य सभा के पुस्तकालयों में रख दी गई हैं।

जिला बोर्डों के लिये आशा की जाती है कि आदर्श अधिनियम सितम्बर, १९५८ के अन्त तक तैयार हो जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी

†१२८. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सोलन (जिला महासू, हिमाचल प्रदेश) में पानी की सदा कमी रहती है;

(ख) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से इस सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है; और

(ग) अब तक जल की कमी को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सरकार को मालूम है कि सोलन शहर में गर्मियों में पानी की कमी रहती है, न कि वर्ष भर ।

(ख) सोलन की जल-संभरण योजना जुलाई, १९५६ में अन्दाजन ४·९२ लाख रुपये के खर्च पर मंजूर की गयी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने बाद में योजना में तब्दीलियां कर दीं जिस पर अब ६·४३१ लाख रुपये खर्च होना है । इस योजना की छानबीन पब्लिक हैल्थ इंजिनियरिंग आर्गेनाइजेशन (लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी संगठन) ने की और प्रशासन से कुछ

†मूल अंग्रजी में

और जानकारी मांगी है । मांगी गयी सूचना मिल जाने पर योजना की मंजूरी दे दी जायेगी । इस बीच में योजना पर काम चालू है । १९५६-५७ के आखिर तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने इस योजना पर ७७,७९० रुपये खर्च किया था ।

(ग) रोज़ाना कुल १,७५,००० गैलन पानी की जरूरियात में से ५५,००० गैलन पानी सेरी और दोग्राल झरने से पहले ही मिल रहा है । दूसरे ३०,००० गैलन पानी चियंग झरनों से उस पाईप लाइन के ज़रिये दिया जाना है, जो हाल में ही पूरी की गयी है । बाकी ९०,००० गैलन पानी में से, पंजाब सरकार की मंजूरी लेने के बाद मैत्योग झरने से जरूरियात पूरी की जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि मैत्योग के झरने पंजाब क्षेत्र में हैं ।

केरल में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाना

†१२९. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में विषाक्त खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने के मामलों के सम्बन्ध में दूषित समझे जाने वाले खाद्यान्न के नमूने केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता, में विश्लेषण के लिये भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये नमूने कब प्राप्त हुए थे और इनका विश्लेषण कब आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि नमूनों के परीक्षण में पर्याप्त विलम्ब हुआ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सास्थमकोट्टा स्थित लोक सहायक सेवा शिविर में २९ अप्रैल, १९५८ को प्रातःकाल के नाश्ते के लिये प्रयुक्त खाद्य पदार्थों के नमूने क्विलोन के अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा केन्द्रीय खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला, कलकत्ता, में विश्लेषण के लिये भेजे गये थे ।

(ख) ये नमूने प्रयोगशाला में १२ मई, १९५८ को प्राप्त हुए और इनका विश्लेषण १६ मई, १९५८ को आरम्भ किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आदर्श कृषि संगठन विशेषज्ञ समिति

†१३०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजा सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आदर्श कृषि संगठन विशेषज्ञ समिति ने अब तक कितने राज्यों का दौरा किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : समिति ने अब तक आसाम, बिहार और बम्बई राज्यों का दौरा किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में आटे का सम्भरण

†१३१. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में ग्रामीण क्षेत्रों को आटे के सम्भरण के विरुद्ध त्रिपुरा के लोगों ने आपत्ति उठाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). केवल सदर परगने में आटा राशन के रूप में दिया जाता है । तीन या चार महीने पहले स्थानीय समाचारपत्रों की इस खबर के सिवाय कि उचित मूल्य वाली दूकानों पर मट्टी मिला हुआ आटा बेचा जाता है, सरकार को इस बारे में किसी आपत्ति का पता नहीं है । जांच करने पर यह आरोप निराधार पाया गया ।

त्रिपुरा में चावल और धान का समाहार

†१३२. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल वर्ष में त्रिपुरा में स्थानीय रूप से कितने धान और चावल का समाहार किया गया है; और

(ख) क्या इस धान और चावल की कुछ मात्रा उचित मूल्य वाली दूकानों पर भी बेची गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) धान लगभग २५,९०० मन
चावल लगभग ७,३०० मन

(ख) अभी नहीं ।

नलकूप

†१३३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितने नलकूप लगाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ११४३ सिंचाई नलकूप लगाये गये हैं ।

राज्यों में कुष्ठ रोग का सर्वेक्षण

†१३४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अधीन राज्यों में स्थापित कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्रों में आरम्भ किया गया सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अब तक कितने कुष्ठ रोगी दर्ज किये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अधीन राज्यों में स्थापित किये गये कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्रों में सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है । लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें ३१ मार्च, १९५८ तक सर्वेक्षित जनसंख्या और पता लगाये गये कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१**]

पंजाब में राष्ट्रीय फाइलेरिया और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

†१३५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पंजाब सरकार को पृथक पृथक कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या १९५८-५९ के लिय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब में मलेरिया पर नियंत्रण के लिये कोई धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) क्या कोई अन्य सहायता दी गयी है; और

(घ) क्या सरकार को अब तक जिलेवार खर्च की गयी धनराशि के बारे में पंजाब सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) क्योंकि पंजाब में फाइलेरिया की कोई समस्या नहीं है, अतः उस सरकार को राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई धन नहीं दिया गया है ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५२-५३ से १९५७-५८ तक के वर्षों में पंजाब सरकार को सामग्री और उपकरण तथा सीमा शुल्क के बदले में साहाय्य-अनुदान के रूप में १०४·४२ लाख रुपये दिये हैं ।

(ख) १९५८-५९ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब को ३२.४९ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ग) जी हां, प्रविधिक सहायता, प्रशिक्षण और निर्देशन के रूप में ।

(घ) जी हां, लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२**]

पंजाब में भूमि संरक्षण

†१३६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में पंजाब में भूमि के संरक्षण के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स्वीकृत की गयी योजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) उस वर्ष में कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य के अंश को मिला कर ११.१९ लाख रुपये ।

(ख) १९५८-५९ में राज्य की योजना में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित की गयी हैं :

(१) होशियारपुर जिले में चैक-डैमिंग और गली-प्लगिंग समेत चो-ट्रेनिंग ।

(२) अम्बाला जिले में चैक-डैमिंग और गली-प्लगिंग समेत चो-ट्रेनिंग ।

(३) होशियारपुर जिले में स्पिल-वेज़ समेत टैरेसिंग और वाट-बन्दी ।

(४) अम्बाला जिले में स्पिल-वेज़ समेत टैरेसिंग और वाट-बन्दी ।

(५) कांगड़ा जिले में स्पिल-वेज़ समेत टैरेसिंग और वाट-बन्दी ।

(६) गुड़गांव जिले में ढलावां कृषि भूमि से कटाव को रोकना ।

(७) गुरदासपुर में गैर-सरकारी भूमि में भूमि संरक्षण और परिधि रेखा सीमांकन[1] ।

(८) पंजाब में भूमि संरक्षण प्रदशन केन्द्रों का सचालन और संधारण—होशियारपुर जिले में जल कटाव क्षेत्र ।

(९) शिवालिक्स पर भूमि संरक्षण ।

(१०) कुलू परगने में कटाव-निरोधक उपाय ।

(११) भाखड़ा बांध जलागम क्षेत्र में वन लगाने का कार्य ।

(१२) आस्नी और गिरि नदियों के जलागम में वन लगाने का कार्य ।

(१३) रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना ।

(१४) राजस्थान की सीमा पर रेगिस्तान नियंत्रण आदि ।

(१५) हिसार जिले में रेत लगाने का प्रयोग ।

(१६) चंडीगढ़ के निकट पटियालाराव और सुखाना चो के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य ।

(१७) कृषि और नाली वाली भूमियों में भूमि संरक्षण कार्य ।

(१८) चंडीगढ़ में राजधानी के पीछे पहाड़ियों में वन लगाना ।

(१९) गुरदासपुर जिले में जल इकट्ठा करने के लिये बांध बनाना ।

(ग) जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है, ३१ मई, १९५८ तक ०.३० लाख रुपये ।

नैनीताल के समीप हवाई अड्डा

१३७. श्री नवल प्रभाकर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हवाई अड्डा नैनीताल के समीप बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्षेत्रफल कितना है और इस पर कितना व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Contour Bunding.

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां, जनाब । नैनीताल से लगभग ३७ मील की दूरी पर कीचा में एक हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो चुका है; और

(ख) यह हवाई अड्डा लगभग १२२ एकड़ ज़मीन में बना है । इस परियोजना की प्राक्कलित लागत ५.७९ लाख रुपया है । इसमें ज़मीन की कीमत शामिल नहीं है क्योंकि ज़मीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बगैर किसी कीमत के दी है ।

'अण्डमान' जहाज के निर्माण में दोष

†**१३८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अन्डमान' के निर्माण में दोषों का पता लगाने वाले कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी जांच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). १. 'अण्डमान' के सम्बन्ध में जांच समिति के प्रतिवेदन की हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के संचालक मंडल और सरकार द्वारा जांच की गयी है और इस सम्बन्ध में संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प का सरकार ने अनुमोदन किया है । तथा कथित संकल्प की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

२. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही भी की गयी है :

(१) नावांगण में पोतों के निर्माण में दोषों के आवर्तन को रोकने के लिये समिति द्वारा की गयी सब सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, प्रबन्धकों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । (समिति की संक्षिप्त सिफ़ारिशों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है) **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(२) फ्रांसीसी परामर्शदाताओं के स्थान पर जर्मन प्रविधिज्ञों को रख लिया गया है ।

(३) 'अण्डमान' में दोषों के लिये ए० सी० एल० के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में संचालक मंडल ने उनसे बातचीत की है ।

त्रिपुरा में बाढ़

†**१३९. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के उदयपुर परगने के मुकसागर का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) यदि किसान वर्ष में सदैव की तरह तीन फ़सल काट सके तो उस क्षेत्र में कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या यह सच है कि केवल उस क्षेत्र का उत्पादन उदयपुर की दो तिहाई जनसंख्या को एक वर्ष तक भोजन देने के लिये पर्याप्त है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र की फ़सल सामान्यतः पानी के अधिक होने से नष्ट हो जाती है; और

(ङ) क्या उस क्षेत्र में अतिरिक्त पानी पर नियंत्रण करने और उसे नियमित करने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग ५,००० एकड़ ।

(ख) प्रायः एक वर्ष में दो से अधिक फ़सलें नहीं की जाती हैं । एक साधारण वर्ष में ४५,००० मन चावल का उत्पादन होता है ।

(ग) उत्पादन दो-तिहाई जनसंख्या को खुराक देने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, हां । बाढ़ वाले पानी पर नियंत्रण रखने के तरीकों का पता लगाने के विचार से प्रारम्भिक जांच पड़ताल की जा रही है ।

त्रिपुरा में धान का उत्पादन

†**१४०. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में त्रिपुरा में कुल कितना धान पैदा हुआ; और

(ख) दोनों वर्षों के कुल उत्पादन में से कितना जिरातिया लोग पूर्वी पाकिस्तान ले गये और कितना व्यापारियों और सरकार के कब्जे में है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क)

समय	उत्पादन
१९५६-५७ .	६०,९२,००० मन
१९५७-५८ . .	४८,४०,००० मन

(ख) लगभग १७,८०० मन धान जिरातिया लोग पूर्वी पाकिस्तान ले गये और लगभग ३६,९०० मन त्रिपुरा प्रशासन के भंडार में है । व्यापारियों के कब्जे में भंडार का संक्षेप में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

चीनी के सहकारी कारखाने

†**१४१. श्री अब्दुल सलाम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी चीनी की सहकारी मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ग) बाकी में से कितनी के वास्तव में स्थापित हो जाने की आशा है; और

(घ) स्थापित हो चुकी अथवा वास्तव में स्थापित किये जाने की आशा वाली प्रत्येक सहकारी चीनी मिल के पास कितनी गन्ना-उत्पादन वाली भूमि है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ३९।

(ख) १२ ।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें स्थिति दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(घ) किसी भी नये लाइसेंसशुदा चीनी कारखाने के पास अपने गन्ना-उत्पादन फ़ार्म नहीं हैं परन्तु कारखाने अपने स्थान से एक उचित दूरी के अन्तर्गत—१०-१२ मील—गांवों से अपने द्वार पर गन्ना प्राप्त करेंगे जो कि परिवहन सुविधाओं पर निर्भर है । जहां कहीं भी आवश्यक और उचित होगा, वे बाहर स्थित गन्ना क्षेत्रों से रेल अथवा ट्रकों द्वारा गन्ना लायेंगे । यह स्थिति प्रत्येक कारखाने के बारे में अलग अलग है और अलग अलग होगी ।

गन्ने की कीमत का भुगतान न किया जाना

१४२. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यानुसार उन विभिन्न चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया जो किसानों ने उन्हें १९५७-५८ की फसल में १ जून, १९५८ तक दिया था और वह राशि कितनी है;

(ख) किसानों को पूरी कीमत न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस राशि का भुगतान करवाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है ।

(ख) छोटी छोटी रकमों के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि अधिकतर किसान अपनी सुविधा से रुपये लेने आते हैं । कहीं कहीं कारखानों को अपनी मशीन बढ़ाने में अधिक लागत के कारण आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं जिससे भुगतान में देरी हो गयी है ।

(ग) राज्य सरकारों को समय समय पर कहा जा रहा है कि वह बाकी रही रकम का भुगतान करवा दें । राज्य सरकारें शीघ्र भुगतान के लिये उचित कार्यवाही कर रही हैं ।

ओखला मल-संस्कार संयंत्र[1]

†१४३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला मल-संस्कार संयंत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि संयंत्र दिल्ली में घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल के लिये गैस का उत्पादन करेगा;

(ग) यदि हां, तो गैस का जनता में सम्भरण करने के लिये अब तक क्या पग उठाये गये हैं; और

(घ) यह प्रयोग किस हद तक सफल हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Okhla Sewage Treatment Plant.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ओखला में एक मल-संस्कार संयंत्र का निर्माण-कार्य दिसम्बर, १९५७ में आरम्भ किया गया था और वह अक्तूबर, १९५९ तक समाप्त होगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस विषय पर दिल्ली नगर निगम द्वारा विचार किया जायेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में गर्भ निरोध के तरीकों का अध्ययन

†१४४. **श्री कुमारन्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोध के तरीकों का अध्ययन करने के लिये अधिक उन्नत देशों में डाक्टरों को भेजने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). परिवार नियोजन में उच्च प्रशिक्षण के लिये डाक्टरों को भेजने की कोई पृथक योजना नहीं है । अधिछात्रवृत्ति कार्यक्रमों में उपयुक्त अभ्यर्थियों के परिवार नियोजन व अन्य ऐसे ही विषयों में विदेशों में प्रशिक्षण की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है ।

अमरीकी प्रविधिक सहायता योजना

†१४६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रविधिक सहायता योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कोई आधुनिक चिकित्सा उपकरण का आवंटन किया गया था; और

(ख) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से उनको वापस करने को कहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां । ५६,८७८ अमरीकी डालरों के मूल्य के उपकरण ।

(ख) जी, नहीं ।

फल परिरक्षण एकक

†१४७. **श्री कुन्हन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने फल परिरक्षण एकक स्थापित करने की प्रस्थापना है और उसके लिये कितने खर्चे का उपबन्ध किया गया है;

(ख) अब तक कितने एकक स्थापित किये जा चुके हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) अब तक स्थापित किये गये एककों का राज्यवार क्या विभाजन है; और

(घ) इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या सहायता दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ६ नये बड़े पैमाने के और २०० छोटे पैमाने के फल परिरक्षण एककों की स्थापना और वर्तमान एककों के विस्तार के लिये ६२ लाख रुपयों का उपबन्ध है।

(ख) ये एकक या तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य उपक्रमों के रूप में अथवा गैर-सरकारी दलों द्वारा स्थापित किये जाने हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक वर्तमान कारखाने का पुनर्नवीकरण किया जा रहा है और आठ छोटे पैमाने के एकक या तो स्थापित किये गये हैं या उस कार्य के लिये राज्य सरकारों द्वारा ऋण स्वीकृत किये गये हैं। कुल लगभग ६,९२,००० रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) छोटे पैमाने के एकक :—

	स्थापित किये जा चुके	स्थापित करने के लिये स्वीकृत ऋण
उड़ीसा	५	—
बिहार	—	२
पश्चिमी बंगाल	—	१

(घ) १९५७-५८ में विभिन्न राज्यों को ऋण के रूप में १३ लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी गयी। यह आशा की जाती है कि १९५८-५९ में राज्य सरकार ५.९२ लाख रुपये के केन्द्रीय ऋण का उपयोग करेंगी।

रेलवे साइडिंग का निर्माण

†**१४८. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली के पश्चिम में ऊमांगलम रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे साइडिंग का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगेगा; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) निर्माण-कार्य चालू है। मिट्टी का काम, तटबन्ध और पुलों का काम पूरा हो गया है। स्थायी मार्ग का बिछाने का काम चालू है।

(ख) निर्माण-कार्य के अगस्त, १९५८ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) ऊटांगल मंगलम रेलवे यार्ड में सम्बन्धित निर्माण-कार्य पर लागत के समेत साइडिंग की अनुमानित लागत ९,९०,५९१ रुपये है।

तिलक नगर में जल संभरण

१४९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५८ में तिलक नगर (दिल्ली) में जल संभरण व्यवस्था में गड़बड़ी हो गयी थी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध कर रही है, जिस से फिर ऐसी गड़बड़ न हो ?

स्वास्थ्यमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तिलक नगर को तिहाड़ के ट्यूबवेल से पानी मिलता है। ४-५-१९५८ को इस ट्यूबवेल की बिजली की मशीन कुछ घंटों के लिए खराब हो गयी थी।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने रामजस पहाड़ी पर स्थित जलाशय से साफ पानी का एक प्रनाल बैठाने का काम शुरू कर दिया है। यह काम शुरू हो चुका है, और मार्च, १९५९ तक इसके पूरे हो जाने की आशा है।

रतलाम और गोधरा के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाना

१५०. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के रतलाम और गोधरा स्टेशनों के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने का वर्तमान कार्य कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ख) उक्त लाइन कब से चालू हो जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) आशा है काम ३०-९-१९५९ तक पूरा हो जायेगा।

(ख) १९५९ के लगभग।

नर्बदा नदी पर पुल का निर्माण

†**१५१. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के धार और निमार जिलों में बरवानी के समीप नर्बदा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रस्तावित पुल के निर्माण कार्य को मध्य प्रदेश सरकार ने २१·२५ लाख रुपये की लागत पर लोक निर्माण विभाग क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया है। अतः इसके लिये केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती। इस निर्माण-कार्य पर अब समुचित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

रेलवे स्टेशनों पर जल नांद[1]

†**१५२. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ज़ोन-वार विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अब तक कितने जल नांद बनाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

मध्य रेलवे	६३
पूर्व रेलवे	१८
उत्तर रेलवे	६९
पूर्वोत्तर रेलवे	१५

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water troughs.

उत्तर-फ्रंटियर रेलवे	१
दक्षिण रेलवे	४६
दक्षिण-पूर्व रेलवे	२६
पश्चिम रेलवे	१९

रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति समिति

१५३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री वाजपेयी :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक सिफारिश से सम्बन्धित स्थिति का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है।

वन्य पशुओं का निर्यात

†१५४. **श्री ले० अचौ० सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारत से वन्य पशुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(ख) किस जाति के वन्य पशु भारत से संसार के विभिन्न देशों को निर्यात किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) वन्य पशुओं और उनके उत्पादों के निर्यात से निम्न विदेशी मुद्रा की आय हुई है :—

(१)	बन्दर . . .	१,५४,४६,००० रुपये
(२)	अन्य वन्य पशु और उनके उत्पाद	१,६०,१०,१३८ रुपये
	कुल	३,१४,५६,१३८ रुपये

इस राशि में खुली सामान्य अनुज्ञप्ति (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले वन्य पशु और पक्षियों के निर्यात से कमाई गयी विदेशी मुद्रा की राशि सम्मिलित नहीं है जिसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बन्दर, छिपकली की खाल, मगर की खाल, कस्तूरी की फली, कस्तूरी के दाने, और हिरन के सींग अधिकांशतः फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका, जापान, चीन, जर्मनी, श्रीलंका, हांगकांग इत्यादि को निर्यात किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में गर्मी का जोर

†१५५. **श्री बाजपेयी :**
श्री राधा रमण :
श्री शिवनंजप्पा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अमर सिंह डामर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री वै० च० मल्लिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में गर्मी की प्रखरता से किन किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) गर्मी की प्रखरता से पीड़ित राज्यवार कितने व्यक्ति अस्पतालों में भरती किये गये; और

(ग) इनमें से राज्यवार कितने व्यक्ति रोगमुक्त हुए और कितने मर गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और बम्बई तथा दिल्ली प्रशासन ।

(ख) और (ग). अभी तक उपलब्ध जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]**

काजू की खेती

†१५६. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उठाये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप काजू की खेती में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में वनीय तथा वन रहित क्षेत्रों में लगभग ६१,००० अतिरिक्त एकड़ भूमि पर काजू की खेती के समाचार मिले हैं ।

कटक रेलवे स्टेशन का सुधार

†१५७. **श्री पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेलवे स्टेशन को नये सिरे से बनाने के लिये १९५८-५९ में कोई रकम आवंटित की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कटक रेलवे स्टेशन के निकट एक अंडर-ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) कटक रेलवे स्टेशन में जो सुधार किये गये हैं अथवा करने का विचार है उनका क्या स्वरूप है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तृतीय श्रेणी के वेटिंग हाल में परिवर्द्धन एवं परिवर्तन करने के लिये अभी तक ४,००० रुपये आवंटित किये गये हैं । इस कार्य की प्रगति जारी है । लगभग ९५,००० रुपये के अतिरिक्त प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) वहां जाने के लिये मार्ग बनाने की कठिनाइयों के परिणामस्वरूप सड़क का उपरी पुल बनाने का मूल प्रस्ताव अब बदल दिया गया है तथा अब वहां अंडर ब्रिज का उपबंध है । इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उड़ीसा सरकार को अपने हिस्से की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है ।

(ग) ९५,००० रुपये की लागत के इन प्रस्तावों में रेलवे पुलिस, सुरक्षा बल और डाक सेवा के कार्यालय आवास का भी उपबंध है; अल्पाहार कक्ष, टी स्टाल, पार्सल गोदाम, स्नानगृह और बैंचों की व्यवस्था भी सम्मिलित है ।

फाइलेरिय

†**१५८. श्री जोकीम आल्वा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में फाइलेरिया से ग्रस्त कितने रोगी हैं; और

(ख) इस रोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चूंकि अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । विभिन्न राज्यों में अभी तक किये गये फाइलेरिया नमूना सर्वेक्षण के परिणाम बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) उन सब राज्यों में जहां फाइलेरिया का प्रकोप है, कीटाणुनाशक एवं लार्वेनाशक पदार्थों के प्रयोग की सहायता से फिलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर नियंत्रण और राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में निर्दिष्ट थेरापी का व्यापक प्रयोग आदि सक्रिय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

त्रिपुरा के लिये रेल मार्ग

†**१५९. श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री २० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान होकर त्रिपुरा के लिये प्रस्तावित रेल मार्ग का प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेल मार्ग का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) गृह और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एवं त्रिपुरा राज्य में परस्पर परामर्श कर विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं के लाभ और हानियों का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

रेलवे में कार्यकुशलता शील्ड

†**१६०. श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे में श्रेष्ठ कार्य के लिये "कार्य कुशलता शील्ड' प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुमानित खर्च कितना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, हां ?

प्रत्येक डिवीजन में हर वर्ष निम्न कुशलता सम्बन्धी ब्यौरे के आधार पर प्रत्येक रेलवे में अन्तर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट के आधार पर कार्य कुशलता शील्ड प्रदान की जायेगी :

(१) वैगनों के चक्कर;

(२) प्रयुक्त इंजनों की प्रतिदिन प्रति इंजन कितने मील का दौरा किया गया;

(३) कोयले की खपत के आंकड़े;

(४) मुख्य यार्डों में वैगनों का औसत निरोध;

(५) डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन पर प्रति वैगन दिन वैगन ने कितने मील का दौरा किया;

(६) मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों की नियमितता;

(७) दुर्घटनाएं—गम्भीर तथा अन्य; और

(८) यातायात, वाणिज्यिक तथा यांत्रिक शाखाओं के अधिकारियों द्वारा आउटडोर निरीक्षण ।

(ग) इस दिशा में जो खर्च है वह केवल शील्ड की कीमत है । प्रथम "कार्य कुशलता शील्ड" रेलवे को प्रदान करने के पश्चात ही यह बताया जा सकता है ।

रेलवे कर्मचारियों को 'हानिकर जलवायु' भत्ता

†**१६१. श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा घोषित अस्वास्थ्यकारी जलवायु वाले कौन कौन से (राज्यवार) क्षेत्र हैं जहां कर्मचारियों को 'हानिकर जलवायु' का भत्ता दिया जाता है; और

(ख) १९५७-५८ में इस प्रकार कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वर्ष १९५७ में रेलवे कर्मचारियों को हानिकर भत्ता (विशेष वेतन) के रूप में लगभग ९,१९,५०० रुपये की कुल रकम दी गई। वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

†१६२. **श्री वै० च० मालिक**: क्या स्वास्थ्य मंत्री १४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती प्राधिकार ने दिल्ली में वार्ड नं० ६, कटरा बल्लामब में सुधार कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया;

(ग) यह सुधार कार्य कब पूरा होगा; और

(घ) उपरोक्त कटरे में किन-किन सुविधाओं का उपबंध किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) सम्बन्धित जायदाद की मालकिन ने इसे किसी और व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप नये मालिक को गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम की धारा ४ के अधीन नया नोटिस जारी करना आवश्यक हो गया।

(ग) नोटिस की अवधि २६ जुलाई, १९५८ को समाप्त होती है। चूंकि जायदाद के मालिक ने कोई कार्य आरम्भ नहीं किया है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से यह कार्य शीघ्र हाथ में लेने के लिये ५ अगस्त, १९५८ को कहा गया है। यह कार्य ३ या ४ महीनों में पूरा होने की आशा है। वहां उपबन्ध की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

(१) आंगन में पटाव कराया जायेगा।

(२) आंगन में और मल से सम्बद्ध नालियों की सफाई के लिये सीमेंट की नालियों का उपबंध किया जायेगा।

(३) कटरा के आंगन में बिजली का एक प्वाइंट लगाया जायेगा।

(४) वर्तमान पाखानों को बदल कर फ्लश में बदल दिया जायेगा।

(५) कमरे की टूटी हुई कड़ियों को बदल दिया जायेगा।

(६) आजकल जो छज्जा वहां लगा हुआ है उसकी अवस्था नाजुक है उसे हटाकर रेलिंग वाला नया ३ फीट चौड़ा छज्जा लगाया जायेगा।

(७) फर्श और पहली मंजिल की सीढ़ियों पर उचित प्लास्टर लगाया जायेगा।

(८) आंगन में अधिकृत रूप से बनाये गये वर्तमान शेड को गिराकर उसे खोल दिया जायेगा।

(९) आंगन में एक नल और सीमेंट की हौद बना दी जायगी।

---

†मल अंग्रजी में

डौकी का पोस्ट मास्टर

†१६३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पाकिस्तानी सेनाएं हाल ही में सीमा प्रदेश पर गोलियां बरसा रही थीं तो भारत-पाकिस्तान पर स्थित व्यापारिक केन्द्र डौकी के पोस्ट मास्टर ने पर्याप्त जोखिम उठा कर अपने कर्त्तव्य का पालन किया;

(ख) क्या अपना काम करते उन्हें गोली लगी थी; और

(ग) क्या साहस प्रदर्शन और कर्त्तव्य-परायणता के लिये उन्हें उपयुक्त पारितोषिक दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । किन्तु कुछ गोलियां उनके कार्यालय से टकराईं और पोस्ट आफिस की रसोई के दरवाजे में घुस गईं ।

(ग) जी, हां । उन्हें २५० रुपये का नकद पुरस्कार और योग्यता प्रमाणपत्र दिया गया है ।

नलकूप

†१६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्नीकल सहकारी मिशन कार्यक्रम के अधीन अभी तक देश में प्रत्येक राज्य में कितने नलकूप लगाये गये हैं;

(ख) इस प्रकार लगाये गये कितने नलकूपों का प्रयोग आरम्भ हो गया है;

(ग) कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). टेक्नीकल सहकारिता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में नलकूप लगाये गये हैं । उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जानकारी इस प्रकार है :

	नलकूपों की संख्या	प्रयुक्त किये गये नलकूपों की संख्या	उन नलकूपों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश . . .	१२७०	१२६८	२
बिहार . . .	३८५	३८५	एक भी नहीं
कुल . .	१६५५	१६५३	२

पंजाब से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उत्तर प्रदेश में एक नलकूप इसलिये प्रयुक्त नहीं किया जा सका कि वहां सिंचाई के लिये कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी और दूसरा इसलिये आरम्भ नहीं किया जा सका कि हवाई अड्डे के अधिकारी इसे वहां लगाने में आपत्ति उठा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

भटिन्डा-फाजिलका लाइन

†१६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिण्डा-कोटकापुरा-फाजिल्का रेलवे लाइन किस वर्ष स्थापित की गई थी और यह कितने मील लम्बी है;

(ख) क्या लाइन बनाने के बाद उसके स्लीपर और लाइनें कभी बदली गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब बदला गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें मरम्मत न करने और स्लीपर तथा गर्डरों को न बदलने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह लाइन १८८५ में बनाई गई थी और ७६ मील लम्बी है ।

(ख) और (ग). अवस्था के अनुसार हर वर्ष स्लीपर और पटरियों में नैमित्तिक परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त १६४४ में ४·०६ मील की लम्बाई पर अधिक वजन वाली पटरियां (४१½ पौंड पटरियों के स्थान पर ६० पौंड और ६२ पौण्ड वजन वाली पटरियां) और १६५२-५३ में ०.४१ मील पटरियां बदली गई थीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में नदियों पर पुल

†१६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में पंजाब राज्य में नदियों पर पुल बनान के लिये कुल कितनी रकम दी गई है; और

(ख) कितने पुल बन चुके हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

डमडम विमान अड्डा

†१६७. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरक्राफ्ट की संचालन सुविधा की दृष्टि से पालम और डमडम विमान अड्डे में धावनपथ (रनवेज़) बनाकर उन्हें विकसित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) अभी तक अन्तिम निर्णय संभव नहीं हो सका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों का वितरण

†१६८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में भारत में आने वाला खाद्यान्न सम्पूर्ण अभावग्रस्त राज्यों में वितरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह राज्य-वार कितने परिमाण में वितरित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). किसी विशेष अवधि में भारत में आने वाला खाद्यान्न आंशिक रूप में केन्द्रीय रक्षितागार में रखा जाता है और आंशिक रूप में उसका वितरण कर दिया जाता है। पहले से केन्द्रीय डिपो में एकत्रित खाद्यान्न में से भी वितरण किया जाता है। जिसमें देशी चावल भी सम्मिलित हैं। आयात किये गये खाद्यान्न के वितरण के बारे में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

१ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में वितरित खाद्यान्न की मात्रा निम्नलिखित है :

राज्य	मात्रा हजार टनों में
आंध्र प्रदेश	३९.४
आसाम	७७.७
बिहार	६१०.१
बम्बई	५६१.२
दिल्ली	७३.२
केरल	१९०.५
मध्य प्रदेश	२९.९
मद्रास	१२२.४
मैसूर	६२.३
उड़ीसा	१८.०
पंजाब	९.९
राजस्थान	२०.४
उत्तर प्रदेश	२४४.०
पश्चिम बंगाल	७९८.७
जम्मू तथा काश्मीर	८९.९
हिमाचल प्रदेश	१.७
त्रिपुरा	२५.५
अण्डमान	१.१
अन्य	१५७.२
कुल	३,१३३.१

†मूल अंग्रेजी में

नलकूप

†१६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वेषी नलकूप संगठन[1] ने पंजाब राज्य में कोई परीक्षण किया था, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में पंजाब राज्य के किन-किन ज़िलों में किन-किन स्थानों पर समन्वेषी छिद्र किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). ग्राउण्ड वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के अधीन छिद्र करने का कार्य पंजाब राज्य में मई, १६५७ में आरम्भ हुआ था। जून, १६५८ के अन्त तक जो ३० समन्वेषी छिद्र किये गये थे उन में से ८ में काफी मात्रा में पानी निकला और इन्हें उत्पादन-कूपों में परिवर्तित कर दिया गया। शेष छिद्रों को छोड़ दिया गया।

ये समन्वेषी छिद्र जिन-जिन स्थानों पर किये गये और इनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में जो परिणाम निकले वह इस प्रकार हैं :—

क्रमांक	स्थान	ज़िला	परिणाम
१	रावली	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
२	नसीरबस	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
३	मरोरा	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
४	भदेश	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
५	दिधारा	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
६	मसानी	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
७	गोकलगढ़	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
८	झबवा	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
९	बहोरा कलां	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छाड़ दिया गया।
१०	राजपुरा	गुड़गांव	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया।
११	दहीना-जैनाबाद	गुड़गांव	उत्पादन कूप बनाया गया।
१२	शम्सपुर	गुड़गांव	कम पानी निकलने के कारण छोड़ दिया गया।
१३	नंगल-पठानी	गुड़गांव	उत्पादन कूप बनाया गया।
१४	दरौली	गुड़गांव	उत्पादन कूप बनाया गया।
१५	नाहर	रोहतक	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Exploratory tube-wells organisation.

क्रमांक	स्थान	जिला	परिणाम
१६	कुलाना	रोहतक	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया ।
१७	बाहू .	रोहतक	उत्पादन-कूप बनाया गया ।
१८	दादरी	महेन्द्रगढ़	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
१९	सियोसोट .	महेन्द्रगढ़	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२०	पालरी .	महेन्द्रगढ़	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२१	हमलोटा	महेन्द्रगढ़	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२२	मंडोला . .	महेन्द्रगढ़	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२३	देवसार . .	हिसार	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२४	सिवानी . .	हिसार	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२५	मोतीपुरा	हिसार	पानी सिंचाई के लिये उपयुक्त न होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२६	हसनपुर	हिसार	सूखा होने के कारण छोड़ दिया गया ।
२७	बालना .	अम्बाला	उत्पादन-कूप बनाया गया ।
२८	शहजादपुर	अम्बाला	उत्पादन-कूप बनाया गया ।
२९	लाहा	अम्बाला	उत्पादन-कूप बनाया गया ।
३०	फतेगढ़	अम्बाला	उत्पादन-कूप बनाया गया ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में प्रतिवेदन

†१७०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ५ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज ने दिल्ली और नई दिल्ली की गन्दी बस्तियों का जो सर्वेक्षण किया था क्या उसके प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इन सिफारिशों पर कुछ कार्यवाही की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). प्रतिवेदन की प्रति हाल ही में मिली है। उस पर यथा समय विचार किया जायेगा।

भोजन-प्रबन्धक[1]

†१७१ **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और पूना के बीच मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों पर कितने भोजन-प्रबन्धक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) भोजन प्रबन्धकों के खिलाफ़, जिनमें स्पेन्सर एण्ड कम्पनी भी शामिल है, १६५७ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तीन।

(ख) नौ--लेकिन स्पेन्सर एण्ड कम्पनी के खिलाफ़ एक भी शिकायत नहीं थी।

गाड़ियों में शीशा साफ करने वाले यंत्र[2]

†१७२. **श्री जोकीम आल्वा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई आने वाली कितनी गाड़ियों, विशेषरूप से कितनी उपनगरीय गाड़ियों में वर्षा ऋतु में शीशा साफ़ करने वाले यंत्र लगे रहते हैं ; और

(ख) इन यंत्रों के चुरा लिये जाने या बिगड़ जाने पर क्या प्रबन्ध किया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ई० एम० यू० के पुराने ३६ डिब्बों को छोड़ कर शेष सभी ई० एम० यू० डिब्बों और बिजली के इंजनों में ड्राइवर के कमरे में शीशा साफ करने वाले यंत्र लगे हैं।

(ख) आवश्यकतानुसार नये यंत्र लगाने या मरम्मत करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाती है। ऐसे विशेष 'संचालन नियम' मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि जब साफ़ दिखाई न पड़े तो ड्राइवर को क्या एहतियात बरतने चाहियें। दिखाई चाहे किसी भी कारण न पड़ता हो। शीशा साफ़ करने वाला यंत्र न हो, या बिगड़ा हो, या कुहरा हो या मौसम ख़राब हो, सभी अवस्थाओं में ये नियम लागू होते हैं।

रेलवे के मुकदमों के लिये वकील करना

†१७३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के मुकदमों के लिये वकील करने की प्रणाली क्या है ;

(ख) क्या वकीलों को कुछ प्रतिधारण-शुल्क[3] दिया जाता है ;

(ग) क्या वकीलों की नियुक्ति विज्ञापन करने के बाद की जाती है या बिना विज्ञापन किये याचिकाओं के आधार पर ; और

(घ) क्या ये नियुक्तियां स्थायी होती हैं या कुछ अवधि के लिये होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Caterers.

[2]Wipers.

[3]Retention fee.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वकीलों की नियुक्ति सम्बन्धित डिवीज़नल सुपरिन्टेंडेंटों या डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स की सिफारिश पर जनरल मैनेजरों अथवा चीफ़ कमर्शियल मैनेजरों द्वारा की जाती हैं ।

(ख) कोई प्रतिधारण-शुल्क देने का नियम नहीं है ।

(ग) कोई विज्ञापन नहीं किया जाता ; और

(घ) वकील तभी तक रखे जाते हैं जब तक उनकी आवश्यकता हो और उनका काम संतोष-प्रद हो ।

मध्य रेलवे पर फेरी वाले और भिखारी

†**१७४. श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य रेलवे के पूना और करजट स्टेशनों के बीच अनधिकृत फेरी वाले और भिखारी यात्रियों को बहुत तंग करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी हां ।

(ख) रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रोकथाम जारी है और इसे और भी बढ़ा दिया गया है । इस परेशानी को दूर करने के लिये जनता का सहयोग भी मांगा जा रहा है ।

ये फेरी वाले और भिखारी अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों के बालक होते हैं इसलिये साधारण न्यायालयों में इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इन पर पूना में सप्ताह में दो दिन बैठने वाले बाल-न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है । मार्च, १९५७ से लेकर मार्च, १९५८ तक २२४ अपराधी पकड़े गये थे जिनमें से १६७ ने कुल मिला कर ३३८ रुपये जुर्माना दिया और शेष ५७ को जुर्माना न देने पर एक से दो दिन तक कारावास करना पड़ा ।

वाल्टेयर और खड़गपुर के बीच गाड़ियों का लेट चलना

†**१७५. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे के वाल्टेयर और खड़गपुर सेक्शन में हाल के कुछ महीनों में गाड़ियों के लेट चलने के कारणों की जांच की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ; और

(ग) मौजूदा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य कारण ये हैं :

(१) खड़गपुर-वाल्टेयर सेक्शन पर लाइन की क्षमता बढ़ाने और पटरियों तथा पुलों को सुदृढ़ बनाने के लिये बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग वर्क्स चलने के कारण रफ्तार पर कुछ इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से कुछ समय नष्ट हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) गर्मी के दिनों की हालत के कारण, इस वर्ष गर्मी विशेष रूप से अधिक थी ही, पानी की अत्यधिक कमी होने और कर्मचारियों के बीमार हो जाने से संचालन-कार्य को बड़ा आघात पहुंचा है ।

(३) खतरे की जंजीर खींची जाने, त्रुटिपूर्ण सिगनलों और इंजनों के कारण भी गाड़ियां लेट हो गयीं ।

(ग) ट्रेन-सर्विसों के कार्य की जांच व्यौरेवार ढंग से डिस्ट्रिक्ट और प्रधान कार्यालय दोनों स्थानों पर की जाती है । जहां भी सम्भव होता है सुधार के लिये समुचित कार्यवाही की जाती है जिसमें ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुशासन की कार्यवाही भी शामिल है जो गाड़ियों को ऐसे समय रोक रखने के लिये उत्तरदायी हों जबकि उससे बचाया जा सकता था । गाड़ियां समय से चलाने के लिये महीने में आन्दोलन किया जाता है और ज़िले के सभी विभागों के अफ़सर और इन्स्पेक्टर इसमें भाग लेते हैं । इस सेक्शन पर और आगे कार्यवाही और भी बढ़ायी जायेगी ।

भारतीय वन

†१७६. **श्री राम गरीब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनों के मुख्य क्या पदार्थ हैं ;

(ख) कौन-कौन से मुख्य पदार्थ विदेशों को निर्यात किये जाते हैं ; और

(ग) १९५६ से अब तक प्रति वर्ष कितनी आय हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) वनों के पदार्थ दो शीर्षों में विभक्त हैं : (१) मुख्य और (२) गौण । भारतीय वनों के प्रमुख पदार्थ निम्न प्रकार हैं :

मुख्य वन-पदार्थ

टिम्बर, राउन्ड वुड, पल्प वुड, मैचवुड, फायर वुड, और चारकोल वुड ।

गौण वन-पदार्थ

औषधीय जड़ी बूटियां
बीड़ी की पत्तियां
बांस और बेंत
रेशे और फ़्लौसेज़
रंगने और कमाने का सामान
गोंद और राजन
हाथी दांत
केंपक
लाख
जलाने की सुगन्धित लकड़ी
शहद और मधु मक्खी का मोम
घास (भूसे की घास, अगिया घास फूस, झाड़ू की घास आदि)
कत्था
गन्धयुक्त तेल
रबड़ और लेटेक्स
सींग और अन्य पशुओं के तथा खनिज पदार्थ

---

†मूल अंग्रेज़ी मे

(ख) मुख्य वन पदार्थ

टिम्बर—टीक, साल, शीशम, बेंटीक, रोज वुड, गुरजन, वालनट बर्स और स्टम्प्स, कोनीफरस सौफ्ट वुड ।

गौण वन पदार्थ

बीड़ी की पत्तियां
लाख
औषधियां और मसाले
रंगने और कमाने का सामान
गोंद
राजन
चन्दन की लकड़ी और तेल
हाथी दांत
कैटेचू
बांस
रेशे और फ्लौसेज़
बेंत और रैटेन्स

(ग) भारत की राष्ट्रीय आय में १९५५–५६ और १९५६–५७ में वन-विभाग का अंशदान इस प्रकार है :—

१९५५–५६	. . . .	७० करोड़ रुपये
१९५६–५७	. . . .	८० करोड़ रुपये

१९५७–५८ के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

वायु परिवहन परिषद्

१७७. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु परिवहन परिषद् की स्थापना के बाद से अब तक इसे कितने मामले विचारार्थ सौंपे जा चुके हैं ;

(ख) कितने मामलों पर इसने अपनी राय व्यक्त की है ;

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं ;

(घ) अब तक उक्त परिषद् पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है ; और

(ङ) परिषद् को अधिक कार्यशील बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) एक ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा चालू की गई वायु सेवाओं पर लिये जाने वाले किरायों और माल ढोने की दरों की सामान्य समस्याओं पर और उन किरायों तथा माल ढोने की दरों के तय करने के आधार के सिद्धान्तों पर अपनी राय दी है ।

(ग) कोई भी नहीं ।

(घ)

साल	खर्च
१६५५–५६	४७,६३४ रुपये
१६५६–५७	७६,१२६ रुपये
१६५७–५८	३६,८६७ रुपये

(ङ) चूंकि कौंसिल को फिलहाल कोई नया काम सुपुर्द करने का विचार नहीं है, इसलिये खर्चा कम करने के विचार से कौंसिल की आगे क्या शक्ल होगी इस पर विचार किया जा रहा है ।

खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें

†**१७८. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में दक्षिण, मध्य और पूर्वोत्तर रेलवे में प्रति मास खतरे की जंजीर खींचने की कुल कितनी-कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) इन में से कितनी अनावश्यक पाई गयीं, कितने व्यक्तियों के खिलाफ़ मुक़द्दमा चलाया गया है और उनमें से कितनों को दण्डित किया गया है ;

(ग) क्या खतरे की ज़ंज़ीर खींचने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं ; और

(घ) इस प्रकार आवश्यकता न रहने पर भी जंज़ीर खींचने की घटनायें रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). विवरण 'क' लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) जी हां ।

(घ) विवरण 'ख' लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]**

रेलवे कर्मचारियों की पिटाई

१७६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे कर्मचारियों को १६५७ से ३० जून, १६५८ तक की कालावधि में, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों ने उन से किराया मांगने पर पीटा था; और

(ख) कितने टिकट कलैक्टरों को घातक चोटें आईं और उनमें से कितने उन चोटों के कारण मर गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ११३ ।

(ख) एक टिकट कलैक्टर को गहरी चोट लगी जिसकी वजह से वह मर गया ।

बीकानेर रेलवे स्टेशन का विस्तार

†**१८०. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री २० मई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर रेलवे स्टेशन के विस्तार को निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लेने में कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: मौजूदा बीकानेर रेलवे स्टेशन के विस्तार का प्रश्न राजस्थान सरकार के इस प्रस्ताव से संबंधित है कि बीकानेर और लल्लागढ़ के बीच रेलवे लाइन का रास्ता बदल दिया जाय। राजस्थान सरकार को बताया गया है कि रास्ता बदलने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है। यदि राज्य-सरकार सामान्य शर्तों पर खर्च उठाने को तैयार हो जाये तो बीकानेर की जनता की कठिनाई पर विजय पाने के लिये डूंगरपुर कालेज के निकट एक सड़क का ऊपर का पुल बनाया जा सकता है। राजस्थान सरकार अब भी इस मामले पर विचार कर रही है। राज्य सरकार का अन्तिम उत्तर मिल जाने के बाद ही बीकानेर रेलवे स्टेशन के विस्तार के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

सूरतगढ़ का यंत्र चालित फार्म

†**१८१. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान का सूरतगढ़ फार्म बनने के बाद से उसमें प्रति वर्ष कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है;

(ख) इस अवधि में प्रति वर्ष किस किस प्रकार का कितना-कितना अनाज उसमें पैदा हुआ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में प्रति वर्ष कुल और शुद्ध आय कितनी हुई; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में कितना पूंजी और आवर्तक व्यय हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

†**१८२. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की बीकानेर वर्कशाप में वर्ष में कितने यात्री डिब्बे और अन्य वस्तुयें बनती हैं; और

(ख) उत्तर रेलवे की वार्षिक आवश्यकताओं की तुलना में यह कितने प्रतिशत बैठती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

स्थगन प्रस्ताव

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : जमशेदपुर में हड़ताल को दबाने के लिए सेना के बुलाये जाने के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार केन्द्रीय सरकार को कोई विकल्प नहीं है और वह अधिकारियों को इस बात के लिये रोक नहीं सकती कि वह मजिस्ट्रेटों की मदद न करे यदि मजिस्ट्रेट उसकी मदद मांगें। मैं यह कहना चाहती

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि सेना बुलाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपनी सहमति देनी पड़ती है । बिना उसकी सहमति के सेना नहीं बुलाई जा सकती अत: यह विषय सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर है । यदि हम श्रमिकों को कुचलने के लिए सेना बुलाने की अनुमति देंगे तो भविष्य के लिए यह एक गंभीर बात बन जायेगी । अत: मैं चाहती हूं कि यह मामला सभा के सामने रखा जाये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने भी इसी विषय पर आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । १९५३ में कलकत्ते में ट्राम का किराया जब १ पैसा बढ़ाया गया था तो उस समय भी हड़ताल हुई थी और उसे दबाने के लिये सेना बुलाई गयी थी । उस समय सभा में इस विषय पर ढाई घण्टे की चर्चा हुई थी । अत: जनता और श्रमिकों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : यह स्थगन प्रस्ताव मेरे नाम से भी है । चूंकि अन्धाधुन्ध तरीके से सेना बुलाई जाती है अत: यह बुरी बात है । इसी वर्ष १९ मई को भी गोदी और पत्तन कर्मचारियों को दबाने के लिये सेना बुलाई गयी थी । सेना की उपस्थिति में सशस्त्र पुलिस की हिम्मत बढ़ जाती है । उस समय भी गोली चलाई गयी और लोग मरे । अत: मेरा निवेदन है कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय मामला है ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : मेरा कहना है कि अभी हाल में जमशेदपुर और बम्बई तथा मद्रास में श्रमिकों की हड़ताल के सिलसिले में सेना बुलाने की घटनायें हुई हैं । अत: यह आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या श्रमिकों के विवाद के मामलों में सेना का बुलाया जाना उचित है या नहीं । जहां कोई भी मामला होता है तुरन्त सेना बुला ली जाती है । क्या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकार नहीं है सेना पर । यह सिद्धान्त और प्रशासन का मामला है । अत: मेरा निवेदन है कि इस मामले पर अच्छी प्रकार विचार किया जाये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेना श्रम विवादों में नहीं बुलाई जाती । यह गलतफहमी है । जब कोई नुकसान किया जाता है या किसी सम्पत्ति आदि की रक्षा का मामला होता है तो सेना बुलाई जाती है । श्रम विवादों में उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाया जाता । श्रम विवादों में दखल देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है । उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि श्रम विवाद के परिणामस्वरूप कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाये जिससे लोगों के जीवन, सम्पत्ति, किसी मशीन या कारखाने को नुकसान पहुंचे । जमशेदपुर का उदाहरण लीजिये। वहां बड़ी बड़ी मशीनें व कारखाने हैं उनकी रक्षा तो करनी ही है । श्रम विवादों के चक्कर में पड़ कर हम मशीनों और कारखानों को क्षति नहीं पहुंचने दे सकते । अत: यह एक सैद्धान्तिक बात है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या ऐसी कोई क्षति हुई थी ?

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास उत्तर) : क्या मैं प्रधान मंत्री की बात को ठीक कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जमशेदपुर या किसी अन्य स्थान के तथ्यों की बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो सिद्धान्त की बात बता रहा हूं कि श्रम विवादों में सेना नहीं बुलाई जाती । यदि श्रम विवाद के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो जन जीवन, सम्पत्ति या मशीनों

---

†मूल अंग्रेजी में

और कारखानों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे इन को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है तब सेना बुलाई जाती है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या पुलिस नहीं बुलाई जाती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में निर्णय करना स्थानीय सरकार का काम है। यदि स्थानीय सरकार असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सैनिक सहायता चाहती है तो सेना बुलाई जाती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम है कि किन अवस्थाओं में और क्यों सेना बुलाई जानी चाहिए। स्पष्ट है कि जो प्रभारी अधिकारी होता है उसे एक विशेष मौक़े पर कुछ न कुछ निश्चय करना ही होता है। वह निश्चय ठीक हो या गलत हो, इस बात का विचार बाद में ही किया जा सकता है। पर जब गंभीर क्षति की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति दूरस्थ स्थान से अनुमति मंगाने के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकता क्योंकि अनुमति आते-आते नुकसान हो चुका होता है या स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो जाती है। अतः ऐसे मामलों में कुछ सीमा तक स्थानीय अधिकारियों को शक्तियां मिली होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि हमारे यहां बहुत नौकरशाही और केन्द्रीयकरण है। इस प्रकार की स्थिति में केन्द्रीय सरकार से बात पूछने का समय नहीं होता। हां, बड़े-बड़े मामलों में हम से अवश्य पूछा जाना चाहिए। मैं फिर बताता हूं कि सेना का प्रयोग श्रम विवादों में नहीं किया जाता। उनका प्रयोग तभी किया जाता है जब गंभीर खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मैंने नहीं दी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२९ में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट किसी सैनिक पदाधिकारी से कह सकता है कि वह भीड़ को हटाने में सहायता करे और उस पदाधिकारी को सहायता करनी ही होगी। वह इनकार नहीं कर सकता। अतः इसमें केन्द्रीय सरकार की कोई गलती नहीं है। जब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारायें हैं तब तक केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मजिस्ट्रेट द्वारा मांग किये जाने पर सेना पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह स्थिति सम्भालने में मदद करे। अतः मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक श्री डांगे की बात का सवाल है, उसका उत्तर कुछ हद तक प्रधान मंत्री ने दे दिया है।

†**श्री श्री आ० डांगे** : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। बम्बई में गोदी खाली करने के लिए सेना बुलाई गयी थी। सेना ने माल चढ़ाया-उतारा पर गोदी को भी हानि पहुंचाई अतः गोदी की रक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। जमशेदपुर में सेना यदि कारखानों या भट्टियों के सामने उनकी रक्षा के लिए रखी गयी होती तो मैं समझता कि यह ठीक था। सेना तो सड़कों पर चक्कर लगा रही थी। क्या टाटा की मशीन सड़कों पर पड़ी थीं या सेना सड़कों की रक्षा कर रही थी ? अतः सेना को सम्पत्ति की रक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सत्य से बहुत दूर है। मैंने प्रतिरक्षा मंत्री से, जो कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, जानकारी मांगी है यदि सभा चाहे तो वे बता सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न विधि और व्यवस्था का है अतः केन्द्र इस सम्बन्ध में बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। जहां तक श्री डांगे के कथन का सम्बन्ध है कि सम्पत्ति की रक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिये सेना बुलाई जाती है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

अतः इस स्थगन प्रस्ताव की और श्री बनर्जी के स्थगन प्रस्ताव दोनों की अनुमति मैं नहीं देता।

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बड़े दुख के साथ सभा को श्रीमती अनुसूया बाई काले, सभा की एक वर्तमान सदस्या के निधन की सूचना दे रहा हूं। उनकी मृत्यु आज सुबह ६२ वर्ष की आयु में बंगलौर में हुई। वह प्रथम लोक सभा की भी सदस्या थीं।

अपना शोक प्रकट करने के लिए सभा के सदस्य १ मिनट के लिए मौन खड़े हों।

इसके पश्चात सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड के ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखों सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ७६५/५८]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७६६/५८]

त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम

†**श्री करमरकर** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत २ जून, १९५८ के त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ० ५(३)—एम पी एच ५५ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७६७/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खाद्य अपमिश्रण रोक नियमों में संशोधन

†**श्री करमरकर** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जून, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७६८/५८]

ग्यारहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**श्री करमरकर** : मैं मई, १९५८ में मिनपोलिस (अमरीका) में हुई ग्यारहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७६९/५८]

तारांकित प्रश्न संख्या १२४७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं न चलने वाले सिक्कों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२४७ पर श्री तंगामणि द्वारा २७ मार्च, १९५८ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७७०/५८]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६८) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५८

(२) दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५९

(३) दिनांक २८ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५१३

(४) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५५९

(५) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५६०

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ७७१/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ पर ३० अप्रैल, १९५८ को श्री गोरे द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न का, कि क्या सरकार रेलवे वर्कशाप पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध करायेगी, उत्तर देते समय मैंने बताया था कि मेरे विचार से प्रतिवेदन सभा के पुस्तकालय में है। अब स्थिति यह है कि सरकार ने इस को एक गोपनीय विभागीय प्रतिवेदन मानने और उसे सार्वजनिक न बनाने का निश्चय कर लिया है। अतः प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में नहीं रखी गयी है।

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ११ अगस्त, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ११ अगस्त, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व संबंधी स्थान व अवशेष विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक, १९५८ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी। इस विधेयक के लिए आवण्टित ४ घण्टे के समय में से १ घण्टा २१ मिनट समाप्त हो चुके हैं। २ घण्टे ३९ मिनट शेष हैं। श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी करें।

†**श्री दीवान चन्द शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान्, कल मैं कह रहा था कि संरक्षित स्मारकों को हानि पहुंचाने वालों के लिए जितने दण्ड की व्यवस्था की गयी है वह बहुत कम है। संरक्षित स्मारक राष्ट्रीय व पीढ़ी-दर पीढ़ी की सम्पत्ति हैं। अतः इनको नष्ट करने वालों या हानि पहुंचाने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर इस दण्ड को लागू करने के लिए जो व्यवस्था की गई है वह भी पर्याप्त नहीं है। अतः इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। स्मारकों को पट्टों पर लेने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उसको देखने से ऐसा पता लगता है कि सरकार स्मारकों को खरीदने के बजाय पट्टे पर लेगी। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। इसका अर्थ यही है कि इन स्मारकों को जिस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, सरकार के पास उस का अभाव है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि आय व्ययक में इसके लिए कितनी राशि रखी जायेगी। यदि इसके लिए उतनी ही राशि रखी गयी जितनी अभी तक रखी जाती रही हैं अर्थात् यदि इसके लिए अतिरिक्त धन

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को व्यवस्था न की गयी तो यह विधेयक एक खेलवाड़ बन कर रह जायेगा । इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी ।

एक बात मैं माननीय मंत्री से और पूछना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग और ऐतिहासिक अभिलेख आयोग तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच क्या सम्बन्ध होंगे । सरकार इस पुरातत्व विभाग को किस प्रकार शक्तिशाली बनायेगी । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को बतायें कि उनके सामने क्या योजना है तथा कितना धन आय व्ययक में रखा जायेगा ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । पर मुझे संदेह है कि यह विधेयक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री आश्वासन दें कि इस विधेयक के पारित होने पर इसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । श्री शर्मा ने ठीक ही कहा है कि यदि विधेयक के उपबन्धों को ठीक ढंग से कार्यान्वित न किया गया तो इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी । इस सम्बन्ध में मेरा अधिक अनुभव नहीं है । मैसूर राज्य के तीन चार स्मारकों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं । बेलोर और हलेबी के स्मारक अपने ढंग के अनोखे हैं । पर उनकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं की जाती । अभी हाल के वर्षों में उनकी देख-रेख के सम्बन्ध में कुछ ध्यान दिया गया है । उन पर जो रकम खर्च की जाती है वह बहुत ही थोड़ी है ।

मेरा विचार है कि यदि पर्यटन विभाग के साथ इस कार्य का समन्वय रखा जाय तो काफी सुविधा हो सकती है ।

तत्पश्चात् मैं हैदर और टीपू के गुम्बज का उल्लेख करना चाहता हूं जो श्रीरंगपट्टम में हैं । जब यह स्मारक राज्य सरकार के अधीन था तब इसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल होती थी और यह बहुत ही सुन्दर चीज़ थी पर आज उसकी दशा बड़ी दयनीय है । एक बार मैं वहां उसे देखने गया था । मैंने देखा कि गुम्बज के सामने लोग बैठ कर जुआ खेल रहे थे । कितने अनर्थ की बात है । अतः इस सम्बन्ध में सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि वहां ऐसी बातें न हों ।

इस भवन में काम और मरम्मत करने वाले मजदूरों को, जिन्हें दिन में सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, बहुत ही थोड़ी मज़ूरी मिलती है । ये भवन तो प्राचीन स्मारक हैं ही । केवल संविधि पुस्तक में अधिनियमों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं यदि इन स्मारकों की देखभाल व उनकी समुचित रक्षा नहीं की जाती । अतः मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इन मजदूरों के सम्बन्ध में ध्यान अवश्य दें ।

गोमतेश्वर मन्दिर के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह संसार का अद्वितीय मन्दिर है । समुद्रगुप्त के युग का बना हुआ यह मन्दिर आज बहुत बुरी स्थिति में है । बहुत बड़ी-बड़ी टूट-फूट ने इस मन्दिर को बहुत खराब कर दिया है । मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इन समारकों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय अवश्य करें । मरम्मत आदि के अलावा कुछ वैज्ञानिक उपाय भी निकाला जाना चाहिए । मुझे आशा है माननीय मन्त्री आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहब इस बिल पर इस हाउस में काफ़ी बहस हो चुकी है । मैं इस सिलसिले में एक कानूनी नुक्ता पेश करने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आबजक्ट्स एण्ड रीज़न्ज़ (उद्देश्य तथा कारण) में साफ़ तौर पर कांस्टीच्यूशन में दर्ज तीन एन्ट्रीज़ (प्रविष्टियों) का ज़िक्र किया गया है यानी यूनियन लिस्ट की एन्ट्री ६७, स्टेट लिस्ट की एन्ट्री १२ और कनकरेन्ट लिस्ट (समवर्ती सूची) की एन्ट्री ४०। एन्ट्री ६७ में यह दिया गया है :—

"संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और एतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष।"

जैसा कि आपको मालूम है, शुरू में १९०४ के एक्ट के मातहत कलक्टर्ज़ को इस बात के वसी अख्तियारात हासिल थे कि वे किसी जगह को नैशनल इम्पार्टेन्स के मानुमेंट डिक्लेयर कर सकते थे। जब हमारा कांस्टीच्यूशन बना, तो पार्लियामेंट को यह अख्तियार दिया गया कि वह एन्शेंट और और हिस्टारिकल मानुमेंट्स, रिकार्ड्ज़ और आरकेओलाजिकल साइट्स और रिमेन्ज़ को डिक्लयर कर सकती है और उन्हें मुकर्रर कर सकती है। चुनांचे मुझे याद है कि जब १९५१ में इसके मुताल्लिक एक बिल लाया गया, तो मुल्क के मुख्तलिफ़ प्राविंसिज़ के मुख्तलिफ मेम्बर साहबान ने एक लम्बी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी, जिस में करीब पचास साठ नैशनल इम्पार्टेन्स की चीज़ें थीं। उस वक़्त यह महसूस किया गया कि इस बारे में गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया के अख्तियारात ज्यादा वसी कर दिए जाने चाहिए और हर मर्तबा कोई कानून बनाने की ज़रूरत न हो, बल्कि एक नोटिफिकेशन जारी करके नैशनल इम्पार्टेन्स की चीज़ डिक्लेयर कर दी जाय।

इस के बाद एण्ट्री १२ के मातहत उन एन्शेन्ट एण्ड हिस्टारिकल मानुमेंट्स एण्ड रिकार्ड्ज़ के मुताल्लिक स्टेट गवर्नमेंट्स को अख्तियार दिया गया, जो कि उन जगहों और चीज़ों के अलावा थीं, जिनको पार्लियामेंट ने नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर कर दिया हो या किसी कानून के मातहत ऐसा बना दिया हो। एन्ट्री १२ के बारे में मैंने कल श्री मुकर्जी, श्री गुहा और श्री डी० सी० शर्मा की तकरीरें सुनीं, तो मुझे यह अहसास हुआ कि दर-अस्ल इस हाउस में और सारे मुल्क में इस बात को बहुत ज़ोरों से महसूस किया जा रहा है कि जिन चीज़ों को गवर्नमेंट आफ इण्डिया नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर न करे, उन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेरेशन करे और उन चीज़ों की पूरी तौर से हिफ़ाज़त हो और उन को हमेशा के लिये कायम रखा जाय। यह ख्याल और यह अहसास मैं इस हाउस में बहुत ज़बर्दस्त तौर पर पाता हूं। लेकिन जब मैं इस बिल की दफ़ा २४ में यह देखता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर एक तरह का एम्बार्गो एक तरह की रेस्ट्रिक्शन—लगा दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि यह कानूनन दुरुस्त नहीं है।

इस के बाद जनाब यह भी मुलाहिज़ा फ़रमायें कि आरकेओलाजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्ज़ के बारे में गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया को अख्तियार है कि वह उनको नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर कर दे, लेकिन जिन को पार्लियामेंट नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर न करे, उन को कनकरेन्ट लिस्ट में रखा गया है। इस के साफ़ मानी ये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस सिलसिले में वही अख्तियारात हैं, जो कि गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया को हासिल हैं। जिन चीजों को नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर कर दिया जाय, उन के बारे में जो अख्तियारात गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया के पास हैं, वही अख्तियारात—उसी किस्म, उसी नोऐइत के अख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट्स को उन चीज़ों के बारे में हैं, जिन को नैशनल इम्पार्टेन्स की डिक्लेयर न किया गया हो। इसलिए उन अख्तियारात में किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन वाजिब नहीं हो सकती है।

अगर उन हिस्टारिकल मानुमेंट्स के लिए एक्सकेवेशन करनी पड़ी, जो कि एन्ट्री १२ में आते हैं, तो दफ़ा २४ के मातहत स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस एपरूवल लेनी पड़ेगी और उन **रूल्ज़ आर डायरेक्शन्ज़** पर अमल करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे। शायद हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब की यह कनटेन्शन हो कि वे इस में आते नहीं हैं, लेकिन मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक्सकेवेशन तो दोनों के लिए लाज़िमी है। बग़ैर एक्सकेवेशन के यह कैसे मालूम किया जा सकता है कि किसी मानुमेंट की कितनी इम्पार्टेन्स है, वह नैशनल इम्पार्टेन्स का है या उसकी लोकल अहमियत है।

जहां तक आरकेओलाजिकल साइट्स और रिमेन्ज़ का ताल्लुक है, उस का ज़िक्र कनकरेन्ट लिस्ट में किया गया है। कांस्टीच्यूशन में यह दर्ज किया गया है कि किस वाडी को क्या अख्तियार है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया को किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है कि वह किसी तरह से लोकल गवर्नमेंट—स्टेट गवर्नमेंट—के हाथ बांधे या यह प्राविज़न करे कि उसको प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी या कोई रूल्ज़ या डायरेक्शन्ज़ दे। अगर जनाबे वाला कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल २५१ और २५४ को मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे, तो पायेंगे कि उसमें साफ़ तौर पर दर्ज है—बल्कि ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है—कि कनकरेन्ट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, तो उन दोनों कानूनों में गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया के यानी इस पार्लियामेंट के कानून को फ़ौकियत हासिल होगी और अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून पार्लियामेंट के कानून से इनकानसिस्टेंट है, तो वह रिपगनेंट होगा, वायड होगा, वह दुरुस्त नहीं होगा और पार्लियामेंट का कानून ठीक समझा जायगा। लेकिन दफ़ा २४ के मातहत अगर गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया इस किस्म की रेस्ट्रिक्शन किसी स्टेट गवर्नमेंट पर लगाती है, तो मैं उसकी कांस्टीच्यूशनल वैलिडिटी को डाउट की निगाह से देखता हूं। मेरी नाकिस निगाह में वह सिर्फ़ नामुनासिब ही नहीं है इसलिए कि वह स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियारात को कम करती है, बल्कि वह वेग (अस्पष्ट) भी है और उसकी इण्टरप्रेटेशन के मुताल्लिक भी मुश्किल पैदा हो सकती है। उसमें कहा गया है कि "..........खुदाई या इस प्रकार का अन्य कोई कार्य..........

मैं नहीं जानता कि यह इस प्रकार का अन्य कोई कार्य "अदर लाइक आपरेशन" क्या है। किसी भी कार्यवाही को आप "अदर लाइक आपरेशन" कह सकते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसका दूसरा हिस्सा बिल्कुल रिपगनेंट है। यह प्रोवाइड कर के सैंट्रल गवर्नमेंट के रूल्ज़ और डायरेक्शन्ज़ के बग़ैर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है, उसके हाथों को बांध देना कांस्टीच्यूशन के अन्दर हरगिज़ हरगिज जायज़ नहीं है।

अभी तक हम एन्शेंट एण्ड हिस्टारिकल मानुमेंट्स और आरकेओलाजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्ज़ और रिकार्डज़ वगैरह ही देखते आए हैं, लेकिन इस बिल में एक नई चीज़ आई है जिसका नाम है एन्टीक्विटीज़। ये एन्टीक्विटीज़ कोई रीयल प्रापर्टी नहीं है, एक तरह से मूवेबल प्रापर्टी है। मैं समझता हूं कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब को यह ज़रूर मालूम होगा कि जब एक जगह खोदी जाती है और उस में से कायन्ज़ निकलते हैं, तो फिर वहां लोगों को या स्टेट गवर्नमेंट को यह तवक्को होती है कि जिस जगह से कायन्ज़ निकले हैं एन्टीक्विटीज़ निकली हैं, वहां और भी एन्टीक्विटीज़ ज़मीन के बावल्ज़ में दबी पड़ी होंगी और वे उस जगह को और खोदने का ख्याल करते हैं, लेकिन इस बिल के मुताबिक पुरानी जगहों में एक्सक्वेशन सिवाए गवर्नमेंट आफ इंडिया की सैंक्शन के नहीं हो सकता है, उन रूल्ज़ [illegible] नहीं हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया बनाये। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एन्टीक्विटाज़ का सवाल है, इस बिल के अल्फाज़ इतने वेग और वसी हैं कि इस में हरेक चीज़ आ सकती है। जहां तक बाकी सैक्शन्ज़ का सवाल है, जो ला मिनिस्टर साहब लाए हैं, हर एक शख्स उस को पसन्द करेगा और मुबारकबाद पेश करेगा कि उन्होंने इस ला को पर्मानेंट पैडेस्टल पर कायम कर दिया है। लेकिन मेरे सामने सब से बड़ा सवाल यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ इस तरह से क्यों बांध दिए जायें। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दफ़ा २९ की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिस के मातहत सैंट्रल गवर्नमेंट अपने पक्तियारात चाहे किसी आफिसर या आथिरिटी को डेलीगेट कर दे। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस छोटी सी बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हाथ बांधने की रीज़न्ज समझने से मैं कासिर हूं। मैं समझता हूं कि कांस्टीच्यूशन के मातहत स्टेट गवर्नमेंट को जो अख्तियारात दिए गए हैं, उन को कम करना और कोई कानून नाफिज़ कर के, जो कि उन के राइट्स और अथारिटीज़ से इनकानसिस्टेंट हो, उन की पावर्ज को डेरोगेट करना एक डाउटफुल युटिलिटी की चीज़ है। कोई अथारिटी खसूतन कोई कनकरेन्ट अथारिटी मुकर्रर कर के उनकी पावर्ज को कम करना ठीक नहीं है। और डाउट-फुल कांस्टट्शयूनैलिटी की चीज़ है। इस लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दफा २४ ऐसी है जिस को हमें बहुत सोच समझ कर देखना चाहिये और जब तक कि आनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे इन खदशात को दूर न करें और इस के अन्दर कोई तरमीम करने को राजी न हों, तब तक हमें देखना चाहिये कि हम कोई ऐसा फेल न करें जिस की कांस्टिट्यूशनैलिटी आपन टु क्वेश्चन हो।

इन अल्फाज़ के साथ मैं बाकी मेजर को सपोर्ट करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, इसलिये भाषणकर्त्ताओं को अपनी बात संक्षिप्त में कहनी चाहिये।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : स्पष्ट है कि हम सभी इस विधेयक के पक्ष में हैं। लेकिन, जैसा कि श्री अ० चं० गुह ने कहा है इसमें १०० वर्ष की समय-सीमा नहीं रखनी चाहिये ; और दूसरी बात यह कि इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू करना चाहिये। वहां का मार्तण्ड मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष है।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : मार्तण्ड मंदिर की देखभाल तो हम करेंगे ही।

†**श्री रंगा** : श्री अ० चं० गुह ने पिछले १०० या ७५ वर्ष पहले की बंगाल की जिन महान् विभूतियों के नाम गिनाये हैं, उनके अलावा देश के अन्य भागों में भी इतनी ही महान् विभूतियां हुई हैं। जैसे कि आंध्र में श्री वीरैसलिंगम, श्री पोट्टि, श्री रामुलू और देशबन्धू वैंकटापय्या। इन सभी विभूतियों के निवास स्थानों को तीर्थ स्थान समझा जाना चाहिये और सरकार को उनका परिरक्षण करना चाहिये।

हमारी सरकार को लाहौर-स्थित प्रसिद्ध लाजपतराय हाल और लाजपतराय भवन के परिरक्षण का भी उपाय निकालना चाहिये। पाकिस्तान सरकार उसकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इसी प्रकार के कई स्थान आन्ध्र प्रदेश में भी हैं। सरकार को ऐसे स्थानों को परिरक्षित स्मारक घोषित करके ही चुप नहीं रह जाना चाहिए। सरकार को उनकी मरम्मत आदि की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इतना ही नहीं, ऐसे स्थानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में उनसे सम्बन्धित जितनी भी वस्तुयें मिल सकें उन्हें उन स्थानों पर लाकर रखना चाहिये। आन्ध्र में ऐसे कई बौद्ध स्मारक हैं जिनके आस पास कुछ ही मील की दूरी पर बड़ी महत्वपूर्ण कलात्मक मूर्तियां मिलती हैं और उनको इकट्ठा करके वहां संग्रहालय बनाये जा सकते हैं।

साथ ही यह भी जरूरी है कि जिन समीपवर्ती स्थानों से ऐसी सम्बंधित सामग्री और वस्तुयें संग्रहालय में लाई जायें, उन स्थानों पर तख्तियां लगा दी जायें कि वहां से अमुक वस्तु उठाकर अमुक संग्रहालय में संग्रहीत की गई है। इससे स्थानीय जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी।

मैसूर राज्य में भी वास्तुकला की दृष्टि से संसार भर में अद्वितीय ७वीं ८वीं सदी की कई विशाल मूर्तियां हैं, लेकिन वे बड़ी दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित हैं, जिन पर चढ़ने में अध्येताओं को बड़ी कठिनाई होती है। उनकी सीढ़ियों की मरम्मत होनी चाहिये। साथ ही सहायक रसायनशास्त्री का कार्यालय दक्षिण भारत से हटाकर देहरादून में नहीं ले जाना चाहिये।

इसी प्रकार हुम्पी में नरसिंह की एक विशाल मूर्ति है, जो धूप और वर्षा के प्रभाव से चटकती जा रही है।

वारंगल में भी एक बड़ी सुन्दर मूर्ति, शायद गणपति देव की है। लेकिन वह फर्श पर पड़ी रहती है। यह सब इसीलिये कि हम पुरातत्वीय विभाग को पर्याप्त धन नहीं देते। हमें इस कार्य के लिये अधिक निधियां जुटानी चाहिये।

वारंगल में भी बड़े सुन्दर द्वार हैं इन सभी प्राचीन स्मारकों के आसपास ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिये, जो उनकी कला से मेल खा सके। तभी हम भारत के प्राचीन गौरव से भावी पीढ़ियों को परिचित बना सकेंगे। तभी हमारी भावी संतान इन कला कृतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ सकेगी।

इसके लिये मेरा सुझाव है कि पर्यटन का दायित्व संभालने वाले मंत्रालय को कुछ निधियां पुरातत्वीय विभाग को जुटानी चाहियें, जिससे कि ऐसे स्थानों को अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इस विधेयक द्वारा उन सभी सम्बन्धित विधियों को एकीकृत किया जा रहा है जो अभी संविधि पुस्तक में मौजूद हैं। इसके द्वारा स्मारकों के सम्बन्ध में राज्यों और केन्द्र के अतिछादी क्षेत्राधिकारों के प्रश्न का स्पष्टीकरण भी किया जा रहा है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि अब सरकार निजी स्वामित्व में पाये जाने वाले प्राचीन रिकार्डों और पुरातत्वीय वस्तुओं को खरीद भी सकेगी।

यह विधेयक देश की पुरातत्वीय कलानिधियों के उद्धार में बड़ा सहायक सिद्ध होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री केशव]

निजी स्वामियों को उचित प्रतिकर देकर राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय रिकार्डों तथा सामग्री को सरकार द्वारा खरीदने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। इस सम्बंध में, मेरे कुछ सुझाव भी हैं।

निजी स्वामियों से राष्ट्रीय महत्व के रिकार्ड इत्यादि खरीदने के लिये, सरकार को उन्हें अच्छा मूल्य देना चाहिये, और खरीदने पर उन रिकार्डों इत्यादि की फोटो-कापियां भी उनके निजी स्वामियों को दी जानी चाहियें। निजी स्वामियों को किसी प्रकार भी कोई आशंका नहीं होने देनी चाहिये।

इस विधेयक के पर्यालोकन में "लिखित रिकार्ड" को भी सम्मिलित करना चाहिये।

इनके व्यापक पैमाने पर खोजबीन का कार्य चलाने के लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक हिस्से में उसकी शाखायें होनी चाहियें।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

हमें प्रत्येक शाखा में अभिलेखों की एक-एक फोटो कापी रखनी चाहिये। हमारे देश की विशालता को देखते हुए यह बड़ी ज़रूरी है।

इस विधेयक की एक चीज़ मुझे बड़ी आपत्तिजनक लगती है। इसमें कलैक्टर की शक्तियां छीनकर, दिल्ली में बैठने वाले महानिदेशक को दी जा रही हैं। सरकार सभी अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार शक्ति का केन्द्रीकरण कर रही है। यह अवांछनीय है। हमारे राज्य का ढांचा फेडरल है, संघात्मक है; इसलिये आवश्यकता विकेन्द्रीयकरण की है, केन्द्रीयकरण की नहीं। केन्द्रीयकरण तो आज की दशा में प्रतिगामी है।

मैं इस बात का भी बड़ा कड़ा विरोधी हूं कि अभिलेखागार के रिकोर्डों इत्यादि के उपयोग पर कोई कड़े प्रतिबन्ध लगाये जायें। मैं यह नहीं मानता कि १९१८ से पहले के रिकार्डों के अध्ययन से युवकों में आतंकवादी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी।

फिर, इस विधेयक के खण्ड २२, २४, २५ और २६ को जम्मू तथा कश्मीर पर भी लागू क्यों नहीं किया गया? कश्मीर राज्य अब भारतीय गणतंत्र में पूरी तौर से संविलय हो चुका है, इसलिये उसके सम्बन्ध में ऐसी विभुक्तियां नहीं रखनी चाहियें।

श्री दी० चं० शर्मा ने लाहौर में स्थित ऐतिहासिक रिकार्डों और स्मारकों के पाकिस्तान से आदान-प्रदान का प्रश्न उठाया है। हम अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं सम्बन्धी मामलों में पाकिस्तान की मनमानी, एकपक्षीय कार्यवाहियों को देख चुके हैं। इसलिये हमें इस सम्बन्ध में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये। ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्मारकों और रिकार्डों के मामले में हमें वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये।

मेरे राज्य में चोल वंश के काल का एक लक्ष्मीनरसिंह का मंदिर है, लेकिन न तो राज्य सरकार और न केन्द्र ही वहां तक कोई सड़क बनवाने को तैयार है।

इसी प्रकार मेलकोटे में भी, श्री रामानुज द्वारा संस्थापित एक स्मारक है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिये। लेकिन उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेलकोट और श्रीन्गेरी के मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री चे० रा० षट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : इस प्रकार के विधेयक में हमेशा ही कुछ कमियां रहती हैं, इसलिये कि हमारे यहां का प्रशासन बहुत ही गया-बीता है। इस ओर ऐसे ही अन्य मामलों के प्रशासन के लिये हमारे पास सुयोग्य व्यक्ति होने चाहियें। उनको इतिहास का और इन स्मारकों के महत्व का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है।

यदि किसी धार्मिक स्मारक की देखभाल की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाय जो न तो उस धर्म का आदर करता है और न उस स्मारक पर कोई श्रद्धा ही रखता है और साथ उसे वहां के सम्बंधि धार्मिक कृत्यों तथा विधियों का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दे सकता। संघ सरकार को ऐसे प्रशासकों की भर्ती करते समय इसका ध्यान रखना चाहिये। मैं श्री केशव की इस बात से सहमत नहीं कि इस क्षेत्र में भी विकेन्द्रीयकरण किया जाय।

इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से कश्मीर को अलग रखना ठीक नहीं है। कश्मीर राज्य के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह मार्तण्ड मंदिर जैसे विशाल स्मारक की उचित देख-भाल और मरम्मत कर सके। यह कार्य तो केन्द्र को ही करना पड़ेगा।

प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय का बटंवारा भी ठीक ढंग से किया जाना चाहिये। कांचीपुरम् का ८वीं सदी ई० पू० का कैलाशनाथ मंदिर अब धूप और वर्षा के प्रभाव से नष्टप्रायः होता जा रहा है। ग्रेनाइट पत्थर की बनी मूर्तियाँ चटख कर रेत में बदलती जा रही हैं। मुख्य गोपुरम गिर चुका है और प्राकार भी धूप और वर्षा के प्रभाव से नष्ट होते जा रहे हैं। उसका उचित परिरक्षण किया जाना चाहिये।

तंजौर के वैभवशाली ब्रहादीश्वर मंदिर में भी दरारें पड़ गई हैं। लेकिन हमारे प्रशासक तो केवल अपने वेतन और काम के घन्टे पूरे करने में दिलचस्पी रखते हैं। वे ऐसी दरारों में मन माने ढंग से सीमेंट भर देते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि उससे मंदिरों और स्मारकों का सौन्दर्य नष्ट न हो। इससे काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे प्रशासक चाहियें जो ऐसे काम के विशेषज्ञ हों। और एसे विशेषज्ञों को अपनी व्यक्तिगत देख-रेख में ही मरम्मत का सारा कार्य कराना चाहिये। माननीय मंत्री का इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

ऐसी ही उपेक्षा से कुम्बकोणम के पास का दारासुरम मंदिर गिर गया है। आप उसके निकट भी नहीं जा सकते। हम्पी और सोमनाथ के मंदिरों की दशा भी बड़ी ध्वस्त हो रही है।

गोपुरम् मंदिर की दीवारों पर घास उग रही है। उन्हें प्लास्टर किया जा सकता है लेकिन राज्य सरकार के पास उसके लिये पर्याप्त धन नहीं है। इसलिये ऐसे प्राचीन स्मारकों और मंदिरों के परिरक्षण का दायित्व केन्द्र पर ही रहना चाहिये। आज संसार के उद्धार के लिये भारतीय संस्कृति और भारतीय दृष्टिकोण का भारी महत्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

सरकार को प्राचीन स्मारकों को अपने अधिकार में रखने और निजी स्वामियों के अधिकार में रहने वाली प्राचीन वस्तुओं को खरीद लेने की शक्ति अपने हाथ में लेनी चाहिये। बहुत से धनिक लोग पुजारियों, या ट्रस्टियों से प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां लाकर अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं। ड्राइंग रूमों में नटराज और देवी की मूर्तियां सूरा के प्यालों के साथ रखी जाती हैं। सरकार को उन्हें अपने अधिकार में करने की शक्ति अपने हाथ में लेनी चाहिये। इस प्रकार के कार्यों से धर्म की हानि होती है।

सरकार को प्राचीन हस्तलिपियों को भी अपने अधिकार में करना चाहिये। सरकार के रसायनशास्त्री उनके परिरक्षण में अधिक कारगर मदद दे सकते हैं ।

हां, मैं श्री केशव की इस बात से सहमत हूँ कि हमें प्राचीन स्मारकों का केन्द्रीयकरण नहीं करना चाहिये। देश के विभिन्न केन्द्रों में इन स्मारकों को रखना चाहिये।

एक और बात यह है कि हमें प्राचीन स्मारकों के आसपास के वातावरण की ओर भी ध्यान देना चाहिये। अब देश में पर्यटन का अधिकाधिक प्रसार होता जा रहा है। विदेशी पर्यटक यदि इन प्राचीन स्मारकों और मंदिरों को भिखमंगों से घिरा हुआ पायेंगे तो उन पर कोई बड़ा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही पर्यटकों को समझाने के लिये सुयोग्य गाइड भी रखे जाने चाहियें।

इस विभाग में केवल ऐसे व्यक्ति नहीं रखे जाने चाहिये जिनके पास डिग्रियां हों पर प्राचीन संस्कृति के लिये श्रद्धा न हो। श्रद्धा और विशेषज्ञता दोनों ही उनके लिये आवश्यक हैं।

†**श्री हुमायूं कबिर :** मैं इस विधेयक के समर्थन और इसके सम्बन्ध में विभिन्न रचनात्मक सुझावों के लिये विभिन्न माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और सिद्धान्तों के बारे में कोई भी विवादग्रस्त चीज़ नहीं है। हां, मैं कुछ सुझावों से सहमत नहीं हूँ। मैं सभा के सामने उनका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ । ऐसे सुझाव या तो सही, पूरी-पूरी जानकारी न होने या फिर विधेयक के खण्डों को पूरी तौर पर न समझ पाने के कारण ही दिये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने एक सुझाव यह दिया था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होने की घोषणा राज्य सरकारों और प्रादेशिक रिकार्ड कार्यालयों के परामर्श से ही की जाय। हम ठीक यही करते हैं। हम दिल्ली में बैठकर उसकी कल्पना नहीं कर लेते। राज्य सरकार द्वारा लिखने पर ही हम ऐसी घोषणा करने की बात सोचते हैं। कल और आज भी कई माननीय सदस्यों ने कई बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं कि अभी किन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना बाकी है। उनके सुझावों पर अवश्य ही पूरी तौर से विचार किया जायेगा और जहां भी ठीक होगा, उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हीं० ना० मुकर्जी का दूसरा सुझाव था निजी स्वामित्व में रहने वाले वर्तमान स्मारकों और रिकार्डों की एक विस्तृत तालिका तैयार करने का। श्री पट्टाभिरामन् ने भी इसका उल्लेख किया था। हम उनकी तालिका तैयार करने और जहाँ भी हो सकेगा उनका अर्जन करने का पूरा प्रयास करेंगे।

उनके अर्जन करने, या सरकारी अधिकार में लेने का प्रश्न कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। इस मामले में हमें संतुलित दृष्टिकोण से काम लेना पड़ेगा। कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था कि हम बस ऐसे स्मारकों और रिकार्डों को अपने अधिकार में करलें। कुछ और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि मूल्य या प्रतिकर न देकर, निजी स्वामियों से अपील भर की जाय और उनकी दानशीलता के आधार पर ऐसे स्मारक तथा रिकार्ड उनसे ले लिये जायें। कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जिन्होंने ऐसे निजी स्वामियों को पर्याप्त मूल्य प्रतिकर देने की बात कही है। इन सब परस्पर विरोधी सुझावों से स्पष्ट है कि यह कुछ कठिन कार्य ही है और हमें सावधानी से काम लेना चाहिये। हम इसके लिये कई उपाय बरतेंगे। हम प्राचीन वस्तुओं के निजी स्वामियों की देशभक्ति जगाने का प्रयास तो करेंगे ही। हमने ऐसी कुछ अपीलें की भी हैं। लेकिन अपीलें सदा ही कामयाब नहीं होतीं, उनके साथ कभी विवशता और कभी स्वेच्छा के आधार पर उनको सरकार द्वारा खरीदने की बात भी कहनी पड़ती है।

श्री मुकर्जी ने ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग और राष्ट्रीय अभिलेखागार का प्रश्न भी उठाया है। उनकी शिकायत है कि रिकार्डों के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। श्री अरुण गुह और श्री केशव ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये रिकार्ड अध्ययन करने वालों को सुलभ रहने चाहियें और हमें नियमों की व्याख्या में अधिक सख्ती नहीं करनी चाहिये। मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिये उत्तरदायी अपने सहयोगियों के पास यह सुझाव पहुंचा दूंगा। निस्संदेह वे इन सुझावों की ओर उचित ध्यान देंगे।

इस सम्बन्ध में श्री केशव ने यह राय दी है कि पुरातत्व अभिलेखों को विभिन्न स्थानों में भेज दिया जाये। मैं स्वयं यथासम्भव विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हूँ। तथापि पुरातत्व अभिलेखों की प्रक्रिया और सिद्धांतों के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले सभी लोग और श्री केशव भी मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि इस क्षेत्र में अभिलेखों को विभिन्न स्थानों में भेजने की अनुमति नहीं है। वस्तुतः सारे पुरातत्वज्ञ इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि जब आप किसी पुरातत्व अभिलेख को विभिन्न स्थानों में भेजते हैं तो उससे उस अभिलेख का सारा मूल्य समाप्त हो जाता है। इसका हल यह है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उन अभिलेखों की फोटो-प्रतिलिपियां हों, इसके लिये हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार हम पुरातत्व विज्ञान तथा एक विशेष प्रदेश दोनों की मांग पूरा कर रहे हैं।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि इन पत्रों को विभिन्न स्थानों में नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि इससे यदि वे पत्र शृंखलाबद्ध हैं तो उनकी एकता टूट जायेगी। किन्तु जिन राज्य सरकारों के अपने अपने अभिलेख कार्यालय हैं उन्हें इतिहास अभिलेख आयोग सदैव से ही स्थानीय अभिलेखागारों और स्थानीय अभिलेख कार्यालयों के सुधार के लिये प्रोत्साहित करता रहा है।

[श्री हुमायून् कबिर]

पुरातत्व के महानिदेशक या राज्य सरकारों के अलावा अन्य दलों द्वारा हुई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयों के सम्बन्ध में श्री मुकर्जी तथा अन्य सदस्यों ने प्रश्न उठाया है । मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य दलों को यथासंभव प्रोत्साहन दिया जाता है। पुरातत्व के महानिदेशक से प्रार्थना किये जाने पर टैकनिकल तथा धन सम्बन्धी सहायता भी दी जाती है।

निस्संदेह इस क्षेत्र में एक व्यापक योजना और समायोजन होना आवश्यक है । हमें ज्ञात होना चाहिये कि समस्त देश में खुदाइयां किस प्रकार की जाती हैं अन्यथा इससे हमारी राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचेगा वस्तुतः अवैज्ञानिक रूप से बेतरतीब की जाने वाली खुदाइयों से तो खुदाई न किया जाना ही कहीं अच्छा है।

१८ अप्रैल को आशुतोष संग्रहालय के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने उत्तर में कहा था कि संग्राहलय को ढाई हजार का अनुदान दिया गया है तत्पश्चात् संग्रहालय ने अनुदान की मांग नहीं की। संसद् में यह उत्तर देने के पश्चात पुनः अनुदान की प्रार्थना की गई है जिस पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि उचित आधार पर मांग की जायेगी तो उस पर उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री मुकर्जी के मुंह से मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि कोणार्क पर काम असंतोषजनक तरीके से चल रहा है और वहां वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया है। वस्तुतः पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों या स्मारकों पर वस्तुओं को नष्ट करने की अनुमति नहीं है । तब भला यह बात कोणार्क में जो पुरातत्व की दृष्टि से हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर है यह चीज़ कैसे सम्भव हो सकती है । मैंने इसे हिन्दू ताजमहल कहा है । भारत के प्राचीन स्मारकों के बीच यह सुन्दरतम वस्तुओं में से एक है, वहां एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार मरम्मत हो रही है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च अधिकारयुक्त समिति बैठी थी क्योंकि ऐसे मन्दिरों की मरम्मत करना सरल कार्य नहीं है और यह कार्य साधारण इंजीनियर और केन्द्रीय लोक कर्म विभाग को नहीं सौंपा जा सकता है ।

इस विशिष्ठ समिति ने कुछ विशेष सिफारिशें की थीं। मरम्मत इस टेकनीकल समिति की सिफारिशों और आदेशों के अनुसार हो रही है। जहां तक मुझे ज्ञात है कार्य संतोषजनक रूप से हो रहा है । मंदिर से कोई प्रतिमा नहीं हटाई गयी है। अतः मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि कलकत्ते में कोणार्क की प्रतिमायें बिकती हैं ; संभव है, क्योंकि हमारे पुरातत्व सम्बन्धी या मूर्ति सम्बन्धी स्मारक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। तथा देश के एक भाग में पायी जाने वाली प्रतिमाओं में इतनी समानता रहती है कि एक स्थान में पायी गई प्रतिमा को दूसरे स्थान की प्रतिमा समझा जा सकता है। और एक अव्यवसायी कलाप्रिय व्यक्ति कोणार्क में मिली प्रतिमा और उसके बीस पच्चीस मील गांव में मिली प्रतिमा में भेद नहीं कर सकता है ।

देश में ये स्मारक विशाल क्षेत्र में फैले हुये हैं अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि एक प्रतिमा की भी चोरी नहीं हो सकती है। हम इसको रोकने का यथा-सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं और इसका एक तरीका पुरातत्व स्मारकों के निकट स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना करना है। इससे स्थानीय निवासियों में गौरव पैदा होता है और इससे चोरी इत्यादि में रुकावट होती है। लेकिन आप इसे पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं। कभी कभी आपको राष्ट्रीय राजपथों के निकट कोई लावारिस मूर्ति दिखाई देती है

यदि कोई यात्री अपनी मोटर रोक कर मूर्ति उठा ले जाय तो उसे कौन रोक सकता है। इस बात के लिये हमें भारतीय नागरिकों की श्रद्धा तथा कर्त्तव्य-ज्ञान पर रहना पड़ेगा जिसका धीरे धीरे विकास होगा। केवल पुलिस की सहायता से यह नहीं रोका जा सकता है। अधिक महत्वपूर्ण स्थानों में हमें चोरी रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

हम कोणार्क में एक स्थानीय संग्रहालय की स्थापना कर रहे हैं। मैं उस क्षेत्र का शीघ्र ही दौरा करूंगा और वहा की मरम्मत के सम्बन्ध में कही गई बातों का ध्यान रखूंगा।

नागार्जुनकोंडा को बचाने का सतत प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः यह मृतक और जीवितों के बीच में एक संघर्ष है क्योंकि यह बताया गया है कि नागार्जुन सागर का निर्माण न करने से आंध्र प्रदेश को बहुत हानी होगी। मैं उस स्थान पर गया हूं और मेरा विचार है कि इस क्षेत्र को बचाने के लिये दो अतिरिक्त बंध और बनाने होंगे। ये दोनों बंध लगभग आधे मील लम्बे होंगे। मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं हैं तथापि इसमें कम से कम तीस चालीस करोड़ रुपये व्यय होंगे तभी नागार्जुनकोंडा की रक्षा हो सकेगी।

इस स्थान की रक्षा के लिये यथासम्भव प्रयत्न किया गया। यह प्रश्न केवल संसद में ही नहीं उठाया गया था अपितु पुरातत्व के केन्द्रीय परामर्शबोर्ड में भी उठाया गया था। तथापि यदि जीवित व्यक्तियों की मांगें पूरी करनी हैं तब तो कोई चारा नहीं है। इसलिये हम निर्माण कार्य के लिये तैयार हो गये। अतः उस स्थान की यथासंभव शीघ्र खुदाई करने का निश्चय किया गया। काफी खुदाई हो चुकी है और कार्य समाप्त किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पानी भरने के पूर्व रक्षा करने योग्य सभी वस्तुयें हटा ली जायेंगी और हम उसी स्थान पर एक संग्रहालय बना लेंगे जो मूल स्थान के समान भले ही न हो तो भी सर्वोत्तम होगा।

मैंने श्री गुहा के संशोधनों पर सामान्य चर्चा कर दी है अतः आशा है कि वे उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे। उनके विशेष सुझावों को दुहराने के पूर्व मैं उनकी यह बात दुहराना चाहता हूं कि हम कुछ अंग्रेजों के बहुत कृतज्ञ हैं। श्री गुह स्वयं एक क्रांतिकारी और देशभक्त रहे हैं इसीलिये वे दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई देश की सेवाओं को भी समझते हैं। उन्होंने प्रिन्सेप, विलियम जन्स और कनिंघम जैसे अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर अपने हृदय की उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने विद्याप्रेम, प्राचीन सभ्यता तथा देश की प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम के कारण किया है। मैं उक्त तीन नामों के अलावा लार्ड कर्जन का भी उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे स्मारकों तथा प्राचीन धरोहरों के सम्बन्ध में लार्ड कर्जन की सेवायें सदैव स्मरणीय रहेंगी। हमने इन नामों पर गौर किया है यदि इनके प्रति कुछ करना, विशेषतः इतिहास और पुरातत्व के भारतीय विशेषज्ञों के प्रति कुछ करना संभव होगा तो हम अवश्य करेंगे।

अब मैं श्री गुह के विशेष सुझावों को लेता हूं जो संभावित संशोधन हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या प्राचीन वस्तुऐं और पुरातत्व सम्बन्धी अभिलेख इसमें शामिल हैं। श्री दी० चं० शर्मा ने पेड़ों तथा श्री देव ने चित्रों का उल्लेख किया है। यदि आप खंड २(ख) को पढ़ें तो ज्ञात होगा कि प्राचीन वस्तुओं के अन्तर्गत ये सभी वस्तुयें आ जाती हैं। मुद्रायें, मूर्तियां, पांडुलिपियां, पुरालेख तथा कला की वस्तुयें सभी इस में शामिल हैं। कला की वस्तुयें होनें के कारण चित्र भी प्राचीन वस्तुओं के अन्तर्गत आते हैं। अभिलेख भी इसके अन्तर्गत आते हैं क्योंकि इसमें पांडुलिपियों का उल्लेख है। खंड २ (ख) (४) किसी ऐसी वस्तु या चीज़ से सम्बन्ध रखता है जो एतिहासिक महत्व की हो। वस्तुतः परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसके अन्दर सौ वर्ष पुरानी प्रत्येक वस्तु आ सकती है। एक अन्य उपखण्ड में लिखा है

[श्री हुमायूं कबीर]

कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर घोषित की गई प्रत्येक वस्तु इस प्रयोजन के लिये प्राचीन स्मारक समझी जायेगी। सारी वस्तुओं की गणना करने के पश्चात् यह शक्ति सरकार के हाथों रखी गई है कि गजट में एक अधिसूचना निकाल कर वे प्रत्येक वस्तु को प्राचीन वस्तु घोषित कर सकते हैं। अतः मेरे विचार से श्री गुह का संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

श्री गुह ने यह भी कहा है कि हमें किसी भी क्षेत्र से खुदाई से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। खंड २३ (३) में इसका उपबन्ध है, उन्होंने कहा है कि खंड ६ और १७ का इस प्रकार संशोधन किया जाय कि प्राचीन स्मारकों की भली प्रकार देख भाल हो और जनता का उन तक प्रवेश हो सके। महानिदेशक किसी भी इमारत को सुरक्षित इमारत घोषित कर सकता है। खंड ९ में पर्याप्त शक्ति दी गई है। इसके अधीन सभी आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं अतः मेरे विचार से यह संशोधन अनावश्यक और व्यर्थ है।

श्री गुह का एक विशेष संशोधन यह था कि हमें अधिग्रहण की शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिये। यह बेकार होगा क्योंकि खंड ५ (१) के अधीन सरकार किसी भी रक्षित इमारत को खरीद सकती है, पट्टे में ले सकती है अपना उपहार प्राप्त कर सकती है। अधिग्रहण करना भी खरीदने के समान है। हमें आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि के सम्बन्ध में एक पृथक खंड है इसके लिये पृथक उपबन्ध बनाया गया है। अत. वे मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक हैं।

जहां तक भूमि और उसमें स्थिति वस्तु का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में पृथक खंड है। जो वस्तुयें भूमि नहीं हैं और भूमि पर खड़ी हैं वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन नहीं लाई जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में वर्तमान खंड ५ बिल्कुल उचित है।

श्री गुह खंड २४ को हटा देना चाहते थे। लेकिन एक अन्य संशोधन द्वारा वे इस खंड को जम्मू और काश्मीर में भी लागू करना चाहते हैं। यदि आप इसे जम्मू और काश्मीर पर लागू करना चाहते हैं तो इसे हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि दो विरोधी बातों का समन्वय नहीं किया जा सकता है।

जहां तक विभिन्न खंडों को जम्मू और काश्मीर में लागू करने का सम्बन्ध है सभा में कुछ भ्रांति पैदा हो गई है। विधेयक में केवल चार खंड संख्या २२, २४, २५ और २६ ऐसे हैं जिन्हें जम्मू और काश्मीर में लागू किया गया है। इसके उचित कारण हैं। ये सारे खंड समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या ४० में निर्देशित हैं। वे संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ६७ से सम्बन्ध नहीं रखते हैं जो ऐसे प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेषों से सम्बन्ध रखता है जो संसद द्वारा बनाये गये कानून से राष्ट्रीय महत्व के हैं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी प्राचीन स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिये एक अधिसूचना निकालना ही पर्याप्त होगा। हमने काश्मीर सरकार के साथ यह समझौता कर लिया है कि जो ऐतिहासिक स्मारक और स्थान राष्ट्रीय महत्व के समझे जायेंगे, उनकी देखभाल पुरातत्व के महानिदेशक करेंगे। इसलिये यह विशेष उपबन्ध केवल उन्हीं स्मारकों इत्यादि पर लागू होगा जो संसद द्वारा बनायी गई विधि के अलावा, राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या १२ के अधीन, जो ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों से सम्बन्ध रखती हैं, अथवा अनुवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या ४० के अधीन आती हैं। हमने राज्य सरकार से यह समझौता किया है

कि मार्तण्ड के मन्दिर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों पर यह विधेयक लागू किया जायेगा । प्रविष्टि संख्या १२ का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि यह राज्य सरकार का मामला है । अनुवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या ४० काश्मीर में लागू नहीं हो सकती है क्योंकि अनुच्छेद ३७० के अनुसार जम्मू और काश्मीर के लिये विधान बनाने की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संविधान (जम्मू और काश्मीर) में उसकी प्रयुक्ति आदेश, १९५४ में उल्लिखित विषयों तक सीमित हैं । इस आदेश के अधीन समवर्ती सूची में लिखे गये किसी विषय पर संसद को विधान बनाने का अधिकार नहीं है ।

अतः इस मामले पर जम्मू और काश्मीर सरकार से सलाह करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । श्री शर्मा ने यह सुझाव दिया है कि हमें जम्मू और काश्मीर की सरकार को इस बात पर राजी करना चाहिये कि यह अधिनियम पूर्ण रूप से राज्य में लागू हो । इस बात में संवैधानिक कठिनाइयां होंगी साथ ही सिद्धांत रूप से भी इन बातों में केन्द्रीय सरकार को शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । वार्ता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देख भाल महानिदेशक करेंगे । मेरे विचार से हमारी ओर से जल्दबाजी किये जाने पर वहां भ्रांति पैदा हो सकती है ।

इस संबंध में सम्मिलित होने वाली इकाइयों द्वारा ही स्वयं कदम उठाने से एकता अधिक दृढ़ होती है । इस संबंध में केन्द्र को विभिन्न स्थानीय इकाइयों की इच्छाओं पर चलना चाहिये । मेरे विचार से विकेन्द्रीकरण के समर्थक श्री केशव जम्मू और काश्मीर के साथ ऐसे समायोजन का समर्थन नहीं करेंगे जिसके लिये वे स्वयं तैयार न हों । निःसंदेह एक समय ऐसा आ सकता है जब समायोजन प्राप्त कर लिया जायेगा । ऐसे मामले में हमें सावधानी से बढ़ना चाहिये और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे ऐसा ज्ञात हो कि हम शीघ्रता कर रहे हैं ।

खंड २४ के संबंध में आपने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया था । मेरे विचार से आपका तात्पर्य यह था कि खंड २४ से प्रविष्टि संख्या १२ के संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होता है । मेरे विचार से यह ठीक नहीं है क्योंकि खंड २४ ऐसे क्षेत्रों पर जो सुरक्षित न हो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पूर्व पुरातत्व संबंधी प्रयोजनों के लिये की गई खुदाई से संबंध रखता है । यह पुरातत्व संबंधी स्थानों और अवशेषों से संबंध रखता है पुरातत्व संबंधी स्मारकों से नहीं । पुरातत्व संबंधी स्मारक राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या १२ से प्रशासित होते हैं । सुरक्षित स्थान होने के कारण खंड २४ राज्य सूची की प्रविष्टि १२ पर लागू नहीं होगा । मुझे मेरे विधि संबंधी विशेषज्ञ ने यह सलाह दी है कि यह संविधान के प्रतिकूल नहीं होगा । अतः आपकी आशंकायें निर्मूल हैं ।

खंड २४ में उल्लिखित पर्यवेक्षण की शर्तियां भी आवश्यक हैं । संवैधानिक या विधि संबंधी आवश्यकता के अलावा प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिये आवश्यक है ।

वस्तुतः बेतरतीब या अवैज्ञानिक तरीके से खुदाई करने से हमारी राष्ट्रीय धरोहर को बहुत हानि हो सकती है । पुरातत्व संबंधी वस्तुओं को यदि एक बार हानि पहुंच जाती है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है । अतः इस संबंध में हमें रूढ़िवादी रहना चाहिये और धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिये । अतः कई व्यक्तियों को बेतरतीब खुदाई करने की अनुमति देकर स्मारकों को हानि पहुंचाने से अच्छा तो यही है कि इस संबंध में धीमी किन्तु दृढ़ गति से चला जाय ।

श्री प्र० के० देव ने खंड १३ के संबंध में, जो अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में है आपत्ति उठायी थी । उन्होंने खंड २८ का भी उल्लेख किया । खंड २८ के दो भाग हैं । सर्वप्रथम उसमें प्राचीन वस्तु के बाजार मूल्य का प्रश्न है । विवाद या मतभेद होने पर कुछ निर्धारित होंगे जिनमें से एक उस

[श्री हूमायों कबीर]

व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशित होगा जिससे वस्तु खरीदी जा रही है। इस प्रकार उसकी इच्छाओं का आदर किया जायेगा। किसी संग्रहकर्त्ता या प्राचीन स्मारक या वस्तु के स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिये हम इतना ही कर सकते हैं।

श्री देव ने उड़ीसा के लिये नया खंड खोलने और तेल नदी की घाटी के महत्वपूर्ण स्मारकों की ओर ध्यान देने को कहा है। मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों पर पुरातत्व के महानिदेशक पूरा ध्यान देंगे। हम यथासंभव अधिक खंड बनाना चाहते हैं लेकिन धन की समस्या खड़ी होती है। यदि हमें संसद आवश्यक राशि प्रदान करे तो प्रत्येक राज्य में एक खंड स्थापित करना संभव है। अतः जब तक हमारे पास धन की राशि सीमित है तब तक मितव्ययिता और प्रशासन की सुविधा के विचार से खंडों में वृद्धि करना उचित नहीं होगा। विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रश्न भी पैदा होता है। निसन्देह हम इन सुझावों पर गौर करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा के कल के भाषण से मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि वे अपने भाषण में कई परस्पर विरोधी बातें कह गये थे। मैंने उन जैसे विद्वान व्यक्ति से यह आशा नहीं की थी कि वे ऐसे सुझाव देंगे जिन पर पहले सावधानी से विचार नहीं किया गया है।

मैं बता चुका हूं कि हम जम्मू और काश्मीर को क्यों इन विशेष खंडों के अधीन नहीं ला सकते हैं। श्री दी० चं० शर्मा यह चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु राष्ट्रीय स्मारक मान ली जाय और वह पुरातत्व के महानिदेशक के देख भाल के अन्तर्गत ले ली जाय। यदि ऐसा करना संभव होता तो यह सबसे अच्छा हल होता। उन्होंने फिर आगे यह कहा कि यदि काश्मीर--यह संभव नहीं है तो इसे राज्य पर छोड़ देना चाहिये। मेरे विचार से वे इस बात पर सहमत होंगे कि प्रत्येक वस्तु को राष्ट्रीय स्मारक मानना संभव होने पर भी परिस्थितियां हमें ऐसा नहीं करने देती हैं। अतः हमें कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय सरकारों की देख रेख में छोड़ना ही पड़ता है। राष्ट्रीय स्मारकों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुये सब पर समान रूप से ध्यान देना भी संभव नहीं है। निसन्देह हमें राज्य सरकारों को इस बात पर राजी करना चाहिये कि वे राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर अधिक ध्यान दें। इस संबंध में राज्यों से निवेदन किया जा चुका है और कई राज्यों ने इस संबंध में विधेयक भी पारित कर दिये हैं। मैं आशा करता हूं अधिकाधिक राज्य इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा ने यह भय प्रगट किया है कि इससे संग्रहकर्त्ताओं के अधिकारों पर आघात होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि वे खंड ६, २६, २८ और २९ का अध्ययन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हम संग्रहकर्त्ताओं को भी काफी काम दे रहे हैं। यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी ही इन शक्तियों को प्रयुक्त करेंगे तथापि जिन कार्यों को महानिदेशक भली प्रकार कर सकते हैं, और जिन्हें पहिले संग्रहकर्त्ता लोग करते थे वे कार्य अब महानिदेशक के दायित्व पर सौंपे जा रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा ने दो महीने का नीटिस देने के संबंध में भी आपत्ति की है। पहिले विधेयक में इसके स्थान पर एक महीने का नोटिस देने का उपबन्ध था। मेरे विचार से वह इस पर अधिक आपत्ति नहीं करेंगे क्योंकि एक महीने या दो महीनों में बहुत अन्तर नहीं होता है।

श्री शर्मा जी ने पूछा है कि १०० वर्ष की मियाद क्यों निश्चित की गई है। यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व संबंधी स्थान और अवशेष विधेयक है अतः कोई न कोई संख्या तो निश्चित अवश्य करनी

होती। अतः हमने सोचा कि 'प्राचीन' की परिभाषा के लिये 'सौ' वर्ष सबसे उपयुक्त होगा। प्राचीन वस्तु निर्यात नियंत्रण अधिनियम में भी सौ वर्ष की मियाद रखी गई है अतः एकरूपता के विचार से भी यही उचित था।

श्री शर्मा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने पिछले सौ साल के भीतर बनाई गई महत्वपूर्ण इमारतों या स्मारकों का प्रश्न उठाया है। उनके लिये मेरे विचार से पृथक एजेंसी होनी चाहिये। क्योंकि ऐसी इमारत अवश्य किसी उपयोग में आ रही होगी। इस प्रकार उसका रूप वर्तमान प्राचीन स्मारक और पुरातत्व संबंधी स्थान और अवशेष विधेयक में उल्लिखित स्मारकों और अवशेषों से भिन्न होगा।

पिछले कुछ समय से हम, पिछले सौ वर्षों में बनी इमारतों की देखभाल के लिये एक राष्ट्रीय प्रन्यास स्थापित करने की बात सोच रहे हैं। इससे संबंधित प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण कर लिया गया है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ऐसी वस्तुओं के देखभाल के लिये राष्ट्रीय प्रन्यास की स्थापना करने के संबंध में संसद् के सम्मुख कुछ ठोस प्रस्ताव रखना संभव हो सकेगा।

तत्पश्चात् पाकिस्तान से अभिलेखों और प्राचीन वस्तुओं की अदल बदल का प्रश्न है। इस संबंध में हम यथासंभव कार्यवाही करेंगे किन्तु किसी देश को मूल पांडुलिपियों को देने के लिये राजी करना बहुत कठिन होता है। ऐसे मामलों में चित्र-प्रतिलिपियां और फिल्म लेकर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री शर्मा ने कहा है कि ५००० रुपये का अर्थदंड तथा तीन माह की कैद पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से यह अनुचित भी नहीं है। मेरे विचार से दंड अधिक कठोर नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से कठोर विधियां बना कर उनके पालने में ढिलाई करने और अवसर आने पर उस ओर से आंखें मूंद लेने से विधियां हल्की होनी चाहियें लेकिन उनका पालन बुद्धिमानी और कठोरता से होना चाहिये।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस मद में अधिक धन राशि दी जानी चाहिये। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अनुदान को जोड़ कर ९६ लाख रुपये मिले हैं। यदि संसद इस अनुदान की राशि में वृद्धि करेगी तो निसन्देह मुझे अत्याधिक प्रसन्नता होगी। मैं आशा करता हूं कि श्री दी० चं० शर्मा तथा अन्य सदस्य पुरातत्व विभाग के मांग की वृद्धि के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्री दासप्पा ने कहा है कि विधेयक पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ठोस परिणाम भी प्राप्त करने चाहियें। वस्तुतः इसी प्रयोजन को ध्यान में रख कर विधेयक को इतना नर्म बनाया गया है। श्री दासप्पा ने बेलूर, हालेबी और श्रवण बेलागोला के महवपूर्ण स्मारकों का निर्देश किया है। हम इस संबंध में यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे और उनके सुझाव याद रखेंगे। श्रवण बेलागोला की मरम्मत की जा रही है। कैलाशनाथ मन्दिर में भी काम किया जा रहा है। इसके फर्श को मजबूत बनाने के लिये सीमेंट का उपयोग किया गया है। तथापि सीमेंट लगाना सदैव वांछनीय नहीं होता है। एक बार जब ताजमहल को खतरा पैदा हो गया था तो उसमें सीमेंट डालने की राय दी थी। बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि यह घातक होगा। हम पुरातत्व के इंजीनियरिंग और रसायन विभाग को अधिक मजबूत बना रहे हैं। हम देश की इस अमूल धरोहर को विनाश से बचाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

[श्री हुमायों कबीर]

कर्मचारियों की मजूरी का भी जिक्र किया गया था। नियमित चौकीदारों को सामान्य रूप से वेतन मिलता है। मैंने यह भी सुना है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक मिलता है। अतः मुझे श्री दासप्पा से यह सुन कर दुख हुआ। यदि वे काम के निमित्त रखे गये कर्मचारी हों तो उन्हें लोक कर्म विभाग की दरों से मजूरी दी जाती है।

सभापति जी मैंने आपके द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। आशा है आप उत्तरों से संतुष्ट हुये होंगे। आपने खंड २९ (ख) का जिक्र किया है जिसके अनुसार राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई हैं। मेरे विचार से आप इस बात पर सहमत होंगे कि कुछ मामलों में राज्य सरकार या उसके अधीन कोई अधिकारी जिसका नाम विहित किया गया हो वह आवश्यक शक्तियों का उपयोग करे।

आपने प्राचीन वस्तुओं का भी जिक्र किया है। मेरे विचार से आपको भ्रांति हुई थी जब आपने प्राचीन वस्तुओं को नई मद कहा था। यह नयी मद नहीं है अपितु १९०४ के पुराने अधिनियम में भी है। नये विधेयक में केवल परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया गया है। जहां तक स्थानीय संग्रहालयों के सम्बन्ध म श्री रंगा के सुझाव का सम्बन्ध है हम उनके सुधार का प्रयत्न करेंगे। मेरे विचार से श्री रंगा को भ्रांति हुई थी जब उन्होंने कहा था कि सहायक रसायनिक का कार्यालय हैदराबाद से हटा दिया जाना चाहिये। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है और कार्यालय वहीं रहेगा। केवल कुछ अधिकारी बदले जायेंगे। संभव है वहां दूसरे प्रकार के अधिकारी के नियुक्त किये जायें लेकिन कार्यालय वहीं रहेगा।

श्री रंगा ने एक विचित्र सुझाव यह दिया है कि प्राचीन स्मारकों के अतीत की झलक दिखाने के लिये उनका पुनर्निर्माण किया जाय। मेरे विचार से इतिहास या पुरातत्व का कोई भी विद्यार्थी इससे सहमत नहीं होगा। निसंदेह संग्रहालयों में पुनर्निर्माण का प्रयत्न हो सकता है। तथापि प्राचीन स्मारकों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना उनको नष्ट भ्रष्ट करने के समान है।

जहां तक श्री केशव के सुझावों का प्रश्न है, हम यथासंम्भव चित्र प्रतिलिपियां रखने का प्रयत्न करेंगे। लिखित पांडुलिपियां इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जाती हैं।

म श्री पट्टाभिरामन की बात का उल्लेख कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। उन्होंने यह बात बिलकुल सही कही है कि पुरातत्व विभाग के प्रशासन के लिये ज्ञान के साथ भावना व आदर की भी आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी इतिहास और पुरातत्व के विद्वान लोग हैं। उनमें से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अपने प्राचीन स्मारकों के प्रति बहुत आदर का भाव है। आप पुरातत्व के किसी भी अधिकारी के पास जायेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वे स्मारकों के परिरक्षण के लिये कितने जागरूक हैं। कुछ अधिकारियों के कार्यों की देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसंशा हुई है। हम धर्म भेद के विरुद्ध भी पुरातत्व विभाग में ऐसी परम्परा कायम करना चाहते हैं कि स्मारक चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो उसके प्रति अधिकारियों का समान आदर और श्रद्धा रहे।

अन्त में मैं सभा को उनके उदारतापूर्ण सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई के विनियमन तथा मूर्तिकला, पत्थरों पर खुदाई के काम तथा ऐसी अन्य कृतियों के संरक्षण के लिये प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ (परिभाषायें)

†**सभापति महोदय :** इस सम्बन्ध में श्री श्रीनारायण दास का एक संशोधन था वे इस समय अनुपस्थित हैं । अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ (प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की शक्ति)

†**सभापति महोदय :** खंड ४ पर श्री श्रीनारायण दास व श्री अ० चं० गुह के संशोधन थे हैं । वे दोनों इस समय यहां नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५ (सुरक्षित स्मारक के सम्बन्ध में अधिकारियों का अधिग्रहण)

†**सभापति महोदय :** इस सम्बन्ध में श्री अ० चं० गुह का एक संशोधन है । वे यहां नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ६ (समझौते के द्वारा सुरक्षित स्मारकों का परिरक्षण)

†**सभापति महोदय :** श्री अ० चं० गुह अनुपस्थित हैं उनका एक संशोधन था। प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ से १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १७ (किसी स्मारक में सरकार द्वारा अधिकारों का परित्याग)

†**सभापति महोदय :** इस खंड के सम्बन्ध में श्री अ० चं० गुह का एक संशोधन था, लेकिन वे अनुपस्थित हैं। प्रश्न यह है।

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १८ से २८ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८ से २८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २९ (शक्तियों का प्रत्यायोजन)

†**सभापति महोदय :** इस खंड के सम्बन्ध में श्री अ० चं० गुह का एक संशोधन है। वे अनुपस्थित हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड २९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

खंड ३० से ३९ तक विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३० से ३९ तक विधेयक में मैं जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

† **सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अखिल भारतीय सेवा संशोधन (विधेयक)

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियमन, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इस संक्षिप्त विधेयक के बारे में आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा । अनुच्छेद ३१२ के अधीन संसद भारतीय प्रशासन सेवायें और भारतीय पुलिस सेवायें स्थापित कर सकती थी । तदनुसार २९ अक्टूबर १९५१ को (१९५१ का ६१ वां अधिनियम) एक अधिनियम बनाया गया । जिसके अनुसार भारत-सरकार भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में नियम बना सकती थी । यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर में लागू नहीं होता था । तदनुसार अनुच्छेद ३७० के अनुसार एक समझौता किया गया जो एक अधिसूचना में सन्निहित था । यह अधिसूचना केन्द्रीय सरकार के २७ फरवरी, १९५८ के गजट में प्रकाशित हुई । इसके अनुसार अनुच्छेद ३१२ जम्मू और काश्मीर राज्य में भी लागू हो गया ।

जम्मू और काश्मीर सरकार के साथ इस प्रश्न पर बातचीत करने के उपरांत यह तय हुआ कि राज्य अखिल भारतीय सेवाओं में भाग ले सकती है । उक्त समझौते के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया ।

संशोधक विधेयक का क्रियाकारी अंश खंड २ है । हम विधेयक के पारित होने के उपरांत जम्मू और काश्मीर के निवासी भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय पुलिस सेवा में हिस्सा ले सकेंगे । तथा पदालि बनाई जायेगी । अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन हमारे पास अन्य राज्यों की अनेक पदालियां हैं । विधेयक पारित होने के पश्चात् भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय पुलिस सेवा की पदालि बनायी जायेगी । विधेयक का यही प्रयोजन है आशा है सभा हमें स्वीकृति प्रदान करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद संख्या ३०८ का संशोधन किये बिना या अनुच्छेद संख्या ३७० के अधीन आदेश निकाले बिना ऐसा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

†**श्री दातार :** अनुच्छेद संख्या ३०८ में "जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो" शब्द प्रयोग किये गये हैं। किन्तु राज्य सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू और काश्मीर में प्रयुक्ति) द्वितीय संशोधन आदेश, १९५८ जारी किया गया था । उसमें अधिसूचना के खंड २ (६) में यह उल्लिखित था कि "भाग १४ से सम्बन्धित उपखंड ९ में अनुच्छेद ३०८ से सम्बन्धित रूपान्तर हटा दिया जायेगा ।" अनुच्छेद ३०८ के स्थान पर निम्नलिखित रूप भेद किया जायेगा, यथा

"अनुच्छेद ३१२ में 'राज्यों' शब्द के पश्चात् कोष्टक और शब्द (जिसमें जम्मू और काश्मीर शामिल हैं) रखे जायें ।"

इस प्रकार माननीय सदस्य की आपत्ति दूर हो जाती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : श्रीमान्, मैं जम्मू तथा काश्मीर सरकार को बधाई देता हूं कि उसने अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का निर्णय किया है । इससे हमें और काश्मीर राज्य को भी अनेक लाभ होंगे । जम्मू तथा काश्मीर के एकीकरण के एक कदम के अलावा इससे वहां के प्रशासन का स्तर भी ऊंचा उठेगा । मुझे आशा है कि इस विधान द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार, संघ सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग सब को लाभ होगा ।

मेरे राज्य में कुछ समय पहले केन्द्र के कुछ पदाधिकारी डेपुटेशन पर भेजे गये थे । वे बहुत अच्छे पदाधिकारी थे; बहुत योग्य थे । पर उनका समायोजन वहां नहीं हो सका । राज्य को उनके आने से लाभ के बजाय हानि ही उठानी पड़ी । कुछ पदाधिकारी राज्यों को डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं । कुछ वहां जाकर अच्छा काम करते हैं । कुछ के बारे में शिकायतें की जाती हैं । मेरा अनुमान है कि केन्द्र के पदाधिकारी जब राज्यों में भेजे जाते हैं तो वे कुछ पूर्व धारणायें अपने बारे में और राज्य के बारे में ले जाते हैं । इससे उन्हें कठिनाई होती है । वे राज्य की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं ।

कुछ पदाधिकारियों में अभी लोकतंत्रात्मक भावना नहीं आती है । कुछ मंत्रालय के पदाधिकारी अभी भी समुचित व्यवहार नहीं करते । अतः मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्रालय इन बातों का ध्यान रख कर अखिल भारतीय सेवा का गठन करे ताकि आगे हमारे सामने कठिनाइयां न आवें और राजस्थान की घटना की पुनरावृत्ति अन्य कहीं न हो ।

अखिल भारतीय सेवा के निर्माण पर जम्मू और काश्मीर जाने के लिए पदाधिकारियों की पसंद पूछी जायेगी । इस के अतिरिक्त कुछ अन्य पदाधिकारियों को भी डेपुटेशन पर भेजा जायेगा । कुछ पदाधिकारियों को—राज्यों के—पदोन्नतियां भी दी जायेंगी । मुझे आशा है कि पदाधिकारियों को ऐसे ढंग से भेजा जाये कि राज्यों के लोकतंत्रात्मक संगठन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । पिछले कुछ वर्षों में कुछ पदाधिकारियों ने बहुत उत्साह व परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है ।

राज्यों के पदाधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । अनेक ऐसे पदाधिकारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं जिनका काम पहले खराब था या पहले जिनकी शिकायतें

---

†मूल अंग्रेजी में

थीं। मैं जानता हूं कि पदोन्नतियों की प्रक्रिया काफी त्रुटिहीन है फिर भी किस प्रकार ये सब गड़बड़ियां चल रही हैं; कहीं कहीं पर ऐसे लोगों को आई० ए० एस० बना दिया गया है जो मैट्रिक पास भी नहीं हैं। मैं उनके नाम बताना ठीक नहीं समझता। पर मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। विभागीय पदोन्नति के सम्बन्ध में कुछ पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर अकारण ही रोब जमाते हैं। यह ढंग भी गलत है। इससे अविश्वास व असंतोष की भावना फैलती है।

मैं ऐसे कुछ उदाहरण दे सकता हूं कि राज्यों में ४०० या ५०० रुपये वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को ऐसी पदाली में रख दिया गया है जिन्हें २,५०० तक वेतन मिल रहा है। इससे अन्य लोगों में असंतोष फैलता है। अतः कुछ थोड़े से लोगों को खुश करने के लिए ऐसा काम करना जिससे बहुत से लोग असंतुष्ट हों, ठीक नहीं कहा जा सकता। गृह-कार्य मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि इससे अन्य राज्यों व केन्द्र की सरकार के पदाधिकारियों को अच्छे अनुभव व अवसर मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि इससे प्रशासन की उन्नति होगी। मैं यह नहीं चाहता कि एक ओर आप बहुतेरे पदाधिकारियों को पदोन्नतियां दें और दूसरी ओर प्रशासन के काम में ढील ढाल हो।

यदि आप को किसी राज्य में कोई मुख्य सचिव भेजना है तो किसी ऐसे पदाधिकारी को भेजिए जो उस काम में दिलचस्पी ले सके। किसी भी सचिव को भेजना ठीक नहीं। अन्यथा शासन के काम में गड़बड़ी व कठिनाई पैदा होगी। पहले ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं।

मैं तो चाहता हूं कि यदि आप इन वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक नवीकरण पाठ्यक्रम की शिक्षा देने की व्यवस्था करें तो काफी कठिनाई दूर हो जाये। पदाधिकारियों को चुनने तथा उनकी पदोन्नतियों में भी सावधानी बरतनी चाहिए तभी विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : हमारा संविधान जब से लागू किया गया तभी से अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवाओं तथा संघ सेवाओं में अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। वैसे प्रशासन के मामले में प्रत्येक राज्य को काफी स्वतंत्रता प्राप्त है पर भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के सम्बन्ध में सर्वोच्च प्रभुता केन्द्र के ही पास है। १९५१ में जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो एक आशा बंधी थी कि प्रशासकीय सेवायें तथा असैनिक सेवायें राजनीति से बिल्कुल पृथक होगी। उन्हें तो मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में प्रशासन का काम करना होगा।

अभी हाल में संघ मंत्रालय के एक मंत्री ने त्रिवेन्द्रम में एक भाषण देते हुए कहा कि असैनिक कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि यदि कोई आदेश, जो उन्हें दिया जाये, समाज विरोधी हो तो असैनिक कर्मचारी के सामने इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता कि वह अपनी नौकरी छोड़ कर चला जाये। यह बात असैनिक सेवा के कर्मचारियों के लिए चिन्ताजनक है। यदि कोई मंत्री किसी कर्मचारी को सिर्फ इस आधार पर निकालना चाहे कि वह साम्यवादी है तो.....

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन विधेयक है। अखिल भारतीय सेवा की सम्पूर्ण नीति पर चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। अतः इसी विधेयक के सम्बन्ध में बोलिए।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन्** : दूसरी बात इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि कुछ राज्यों में जब आई० ए० एस० पदाली के पदाधिकारी जाते हैं तो राज्य सरकारों को उनकेवेतन-क्रम के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन कुट्टि मेनन्]

अनुसार वेतन देना पड़ता है । यदि राज्य के पदाधिकारी उसी स्तर पर काम करते हैं तो उनको कम वेतन देना पड़ता है । अतः राज्य पर बोझ बहुत पड़ जाता है । दूसरे राज्य के पदाधिकारियों पर इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अच्छा नहीं होता । उनमें जलन व ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है । अतः या तो सरकार अपने आई० ए० एस० पदाधिकारियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को खुद उठाये या राज्य सरकारों को उसी के अनुसार राजकीय सहायता दे । अन्यथा राज्यों के लिए यह एक कठिन समस्या है ।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि आई० ए० एस० पदाधिकारियों पर अनुशासन सम्बन्धी नियंत्रण केन्द्र का होता है । यदि वह किसी राज्य में भेजा जाता है तो कई बार उसके सामने अजीब समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि केन्द्र की नीति और उस राज्य की नीति में अन्तर होता है । ऐसी स्थिति में उस पदाधिकारी को राज्य की नीति के अनुसार काम करने की छट दी जानी चाहिये । अन्यथा वह राज्य की ठीक सेवा नहीं कर सकेगा । मुझे आशा है कि एक नये राज्य पर इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करते समय माननीय मंत्री इस विषय में स्पष्टीकरण अवश्य देंगे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस आल इंडिया सर्विसेज़ (एमेंडमेंट) बिल का स्वागत करता हूं । इस विधेयक में अमेंडमेंट द्वारा जम्मू और काश्मीर रियासत को जो शामिल किया जा रहा है वह एक सही दिशा की ओर क़दम है और स्वागत योग्य है लेकिन स्वागत करने के साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय और गृह मंत्रालय का ध्यान कुछ खतरों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस तरह का बिल पास करने और क़ानून लागू करने से पैदा हो सकते हैं ।

आल इंडिया सर्विसेज़ अर्थात् अखिल भारतीय सेवाओं को काश्मीर में लागू करने से एक खतरा तो सबसे बड़ा यह हो सकता है कि हमेशा जैसे कि अन्य राज्यों में होता है अगर आप काश्मीर राज्य में केन्द्र से इस तरह के अधिकारीगण डेपुटेशन पर भेजते हैं जो कि एक खास तरह के और खास वर्ग के लोग होते हैं और वह अपने ढंग से एक खास तरीक़े से काम करते हैं तो इससे काश्मीर जो कि एक तरीक़े से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाक़ा माना जायगा, वहां पर अगर आपके उन अधिकारियों ने वहां की परिस्थितियों को समझ कर उनके अनुरूप कार्य नहीं किया और अपने को नहीं ढाला और यदि इस दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा गया तो उससे जो फ़ायदा होने की आशाएं हैं वह आशंकाओं में बदल सकती हैं और लाभ पहुंचने के स्थान पर नुक़सान हो सकता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह चीज़ ध्यान में रखी जानी चाहिए ।

जैसे कि अन्य राज्यों में होता है कि जिस तरह की सरकार चलती है तो सरकार में खास वर्ग के जो लोग होते हैं वह लोग अपनी पसन्द के लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर बिठाते हैं और इस चीज़ को लेकर जो दूसरे तरीक़े के लोग होते हैं उनमें असन्तोष उत्पन्न होता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि काश्मीर के लिए जब हम अखिल भारतीय सेवाओं को लागू कर रहे हैं तो यह दृष्टिकोण सामने रखा जाना चाहिए ।

दूसरी चीज़ जिसकी कि ओर मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने ध्यान दिलाया है मैं भी गृह मंत्रालय का ध्यान उसकी ओर पुनः दिलाना चाहता हूं । वह समस्या यह है कि राज्यों में जो अधिकारी होते हैं उनका वेतन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कम होता है और जब उसी काम को करने

वाले राज्य सरकार के कर्मचारी का वेतन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी से कम होता है हालांकि काम दोनों एक सा करेंगे तो इस को लेकर आपस में एक असन्तोष का भाव रहा करता है और इस तरह से गुटबंदी चला करती है। इसलिए आज राज्य सरकारों के कर्मचारियों और केन्द्रीय सेवाओं के वेतन-क्रम में जो अन्तर है उस अन्तर को यदि दूर करने की कोशिश की जाय तो बहुत अच्छा होगा। दोनों का वेतन-क्रम एक सा करने की कोशिश की जाय।

मैं जानता हूं कि अभी आप वह चीज नहीं करने जा रहे हैं जो कि हम करना चाहते हैं और वह यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का ऊंचे से ऊंचा वेतन १००० रुपये से ज्यादा न हो विशेष कर के काश्मीर के लिये अगर इस तरह की बात कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। एक तरीके के पदों के लिये एक तरह के काम के लिये चाहे वह राजकीय सेवा के अधिकारी हों चाहे वे केन्द्रीय सेवा के अधिकारी हों, उनको एक सा वेतन मिले और यदि ऐसा किया जा सके तो वह असन्तोष जिसके कि भड़कने की आशंका है, कम हो सकता है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में यह कोशिश करेंगे कि राज्यों और केन्द्र की सेवाओं के वेतन-क्रमों में आज जो असमानता है वह न रहे, उनके वेतन-क्रम एक से रहें खास तौर से उन राज्यों में जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आज केन्द्र से आप उन राज्यों पर अधिकारी थोप कर यह चाहते हैं कि उनको एक खास वेतन पर वहां रक्खा जाये और उससे तो वहां की आर्थिक व्यवस्था टूट ही सकती है और जो रुपया उन राज्यों में विकास कार्यों और दूसरे कार्यों में खर्च होना चाहिये वह वेतनों में चला जाता है।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे उन उच्च अधिकारियों का दृष्टिकोण यह न रहे कि वे सिर्फ ऐयर कंडिशंड हाउस में बैठ सकते हैं या ऐयर कंडिशंड कमरे में ही बैठ कर काम कर सकते हैं, हमारे उन अधिकारियों को जब वे राज्यों में जाना चाहते हैं तो उन्हें झोंपड़ों में भी रहने को तैयार रहना चाहिये, टूटे फूटे मकान और कच्चे मकान में भी रहने को तैयार होना चाहिये और उन्हें यह चीज समझनी चाहिये कि आखिर हिन्दुस्तान का हर हिस्सा नई दिल्ली तो नहीं है और नई दिल्ली में जो शान शौकत और ठाट बाट वे कायम किये हुए हैं वह ठाट बाट और शान शौकत हिन्दुस्तान के हर अन्य हिस्से में तो नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान के हर एक हिस्से को आप नई दिल्ली नहीं बना सकते हैं। इसलिये आपको सोचना पड़ेगा कि जिन अधिकारियों को आप विभिन्न राज्यों में डेपुटेशन पर भेजते हैं, उनका दृष्टिकोण इस तरह का बनाया जाये कि जब वे नई दिल्ली में हों तो भले ही वे नई दिल्ली के वातावरण के अनुसार अपने जीवन को ढालें लेकिन जिस वक्त कि वे काश्मीर में जाते हैं या अन्य राज्यों में जाते हैं जिनकी कि आर्थिक अवस्था पिछड़ी हुई है तो उनको अपने जीवन को उन राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिये। आखिर आज जब हम इस देश में जनतंत्र को चला रहे हैं तो हमारा हर अधिकारी जनता का सेवक है भले ही वह कितना बड़ा हो। आज के युग में एक मिनिस्टर भी जनता का सेवक है और यह वांछनीय है कि उसी के अनुसार हमारे अधिकारी वर्ग को भी अपने जीवन को ढालना चाहिये और जनता और उनके बीच में कोई ऐसा फर्क न रहे जिस से कि जनता को यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आज भी वही पुरानी नौकरशाही चली आ रही है और आज भी वही पुरानी नौकरशाही के लोग शासन कार्य चला रहे हैं जो कि हाथ मिलाने के लिये नहीं उठते हैं। माथुर साहब ने ठीक ही मुझ से पूर्व मंत्री महोदय और सदन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए बतलाया है कि अब भी अखिल भारतीय सेवाओं में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो कि यह सोचते हैं कि राज्य सरकारें या राज्य के जो प्रशासन हैं वे उनको कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकते, भले ही वे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार काम करते हों लेकिन उनका जो एक दृष्टिकोण होता है वह इस तरह का होता है जिससे कि जनता यह महसूस करती है कि वह सन् १९४७ के पिछले जमाने में ही रह रहे हैं। आज जब हम अखिल भारतीय

[श्री ब्रजराज सिंह]

सेवाओं को काश्मीर में लागू करने जा रहे हैं तो यह भी ध्यान में रहे कि जो अधिकारी हमारे वहां पर जाते हैं उनका दृष्टिकोण कुछ इस तरह का हो जिससे कि वे वहां के जीवन में घुलमिल सकें और वहां के जीवन में घुल मिल कर रह सकें।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अकसर देखा गया है कि राज्यों में राजकीय सेवा वाले और खास तौर से केन्द्रीय सेवा के लोग उस वक्त की सरकार की जो नीति होगी उस निर्धारित नीति को अमल में लायेंगे लेकिन होता यह है कि कुछ लोग अपने खास २ लोगों को रखते हैं और उनकी अपनी जो नीति होती है उस नीति को चलाने के लिये इस तरह के खास अधिकारी रख लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से काश्मीर रियासत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और काश्मीर को अपनी एक विशेष स्थिति होने के कारण वह हमारे लिये एक बहुत नाजुक सवाल रहा है, कोमल बिन्दु रहा है। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद से आज तक काश्मीर के मसले पर हिन्दुस्तान की हर एक राजनैतिक विचारधारा के आदमी बहुत ही कंट्रोल के साथ अपनी बात कहते रहे हैं। आज जब आप वहां पर यह अखिल भारतीय सेवायें लागू करने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वहां पर ऐसे अधिकारी भेजें जो कि उस समय की वहां की सरकार द्वारा निर्धारित नीति को पूरी तरह अमल में लायें और खास तौर से दिल्ली के किसी गुट्ट की नीति का वहां पर पृष्ठपोषण न किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री दातार :** मुझे प्रसन्नता है कि सब लोगों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। विधेयक पर बोलते समय माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह या तो सेवाओं सम्बन्धी या राज्यों सम्बन्धी उनके अनुभवों की बातें हैं। अतः मैं इन बातों को सामान्य रूप से लूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कुछ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया। फिर भी उन्होंने यह बात स्वीकर की है कि केन्द्र से जो पदाधिकारी डेपुटेशन पर उनके राज्य में गये उन्होंने संतोषजनक सेवा की है। उनका कहना है कि कुछ पदाधिकारियों का कार्य पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहा, मेरा कहना है कि समग्र दृष्टि से इन पदाधिकारियों में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण पैदा हो गया है पर यदि कोई पदाधिकारी ऐसा कोई काम करे, जो इस भावना के विरुद्ध हो तो राज्य सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे किसी व्यक्ति विशेष या पदाधिकारी विशेष से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि आगे इस बात का ध्यान रखा जाये ताकि राजस्थान की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

†**श्री दातार :** ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। जहां तक अखिल भारतीय सेवा का सम्बन्ध है इसका गठन काफी समय पूर्व देश के राज्यों के सब जिलों में एकरूप प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये किया गया था। इसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिये १९५१ में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उनका वेतन-क्रम पहले वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया था। आप देखेंगे कि आई० सी० एस० और आई० पी० पदाधिकारियों का वेतन-क्रम २५ प्रतिशत कम कर दिया गया था। उसे स्वीकार कर लिया गया था और जब अखिल भारतीय सेवा नियम बने तो उन्हीं वेतन-क्रमों को स्वीकार किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारियों तथा राज्य के पदाधिकारियों के वेतन-क्रम में कुछ अन्तर होना चाहिये। यह प्रश्न उन राज्यों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें भूतपूर्व राज्यों का विलय किया गया है। उन राज्यों में वेतन-क्रम उतने ऊंचे नहीं थे जितने कि होने चाहियें थे। हमने जो वेतन-क्रम निर्धारित किये हैं वे वेतन-क्रमों को देखने के बाद किये हैं और यदि किसी राज्य में वेतन-क्रम बहुत ही नीचे हैं तो यह काम राज्य सरकार का है कि वह उसे बढ़ाये। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारियों के वेतन-क्रम समान होने चाहियें क्योंकि हमने वेतन ही नहीं कर्त्तव्य तथा व्यवहार की दृष्टि से भी उनके लिये समान स्वरूप को व्यवस्था की है। इसी कारण हम चाहते हैं कि जिले स्तरों में समान सेवा स्वरूप के योग्य पदाधिकारी हों जो प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठायें। इसीलिये १९५१ में यह अधिनियम पारित किया गया था और सेवा की विभिन्न शर्तों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को सभा पटल पर भी रखा गया था।

मेरे मित्र ने कहा कि पदाधिकारियों की दृष्टि में भी नवीनता होनी चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसीलिये उनके पाठ्यक्रमों में समाज सेवा आदि विषय भी रखे गये हैं और प्रशासन के साथ साथ विकास कार्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। अतः इन पदाधिकारियों को एक नये दृष्टिकोण से काम करना पड़ता है जो कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल है। अतः मुझे विश्वास है कि ये सभी पदाधिकारी हमारे अभीष्ट उद्देश्य के अनुसार ही व्यवहार करेंगे।

मेरे मित्र श्री मेनन ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं का अन्तिम नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में होता है। यह बात ठीक नहीं है।

†**श्री नारायण कुट्टि मेनन:** मैंने अनुशासन सम्बन्धी नियंत्रण की बात कही थी प्रशासन सम्बन्धी अनुशासन की नहीं।

†**श्री दातार:** जब ये पदाधिकारी राज्यों के स्तर पर होते हैं तो उन पर प्रशासकीय नियंत्रण राज्यों का होता है। केवल अनुशासन सम्बन्धी मामले हमारे पास आते हैं। तब हम संघ लोक सेवा आयोग की राय ले कर उन मामलों पर निर्णय करते हैं। अतः जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारी राज्यों में काम करते हैं वे राज्य के अधीन होते हैं। अतः यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में उनका नियंत्रण रखती है।

मुझे प्रसन्नता है कि विधेयक के उपबन्धों को जम्मू और काश्मीर पर लागू करने की बात का समर्थन सभी सदस्यों ने किया है।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय:** कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)--१९५४-५५

†**सभापति महोदय** : मैं मांगों को सभा के समक्ष रखता हूं ।

वर्ष १९५४-५५ के लिए रेलवे मंत्रालय की अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :--

मांग की संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
४.	राजस्व कार्यवहन व्यय—प्रशासन .	९,७९,२६३
५.	राजस्व कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण	१,६७,३८,१७७
६.	राजस्व कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	५३,०१,०७८
७.	राजस्व कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	७१,७३,४३०
९-क	राजस्व कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण .	२,११,३१५
१३.	विकास निधि के लिये राजस्व का विनियोग	२,५३,०३,७५९
१७.	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन . . .	२,७१,०२,४१६
१८.	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि . . .	६३,२०,००७

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सभा के सामने लगभग ९ करोड़ रुपये की मांगें हैं । रेलवे मंत्री १९५४-५५ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें अब १९५८ के उत्तरार्द्ध में पेश कर रहे हैं । १९५४-५५ का रेलवे आयव्ययक २५० करोड़ का था जिसमें ९ करोड़ की अतिरिक्त मांग का अर्थ

†मूल अंग्रेजी में

है लगभग ४ प्रतिशत की अतिरिक्त मांग । शायद रेलवे मंत्री आय व्ययक और इस सभा के महत्व को ध्यान में नहीं रखते ।

दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि मांगों की व्याख्या ठीक प्रकार नहीं दी गयी है कि यह अतिरिक्त व्यय क्यों और किन किन मदों में हुआ । "आशा से अधिक व्यय", "आवागमन की अधिकता" तथा "आवश्यक व्यय" आदि कह देना मात्र समुचित व्याख्या नहीं है । सभा आशा करती है कि उसके सामने ठीक ठीक आंकड़े रखे जायें ताकि वह देख सके कि व्यय समुचित ढंग से हुआ है कि नहीं ।

मांग संख्या ४ ईंधन के सम्बन्ध में । इस में ७१ लाख अतिरिक्त व्यय किया गया है । १९५४-५५ में और १९५७ में भी मैंने कहा था कि कोयले के व्यय में सावधानी बरती जानी चाहिए पर कुछ भी ध्यान दिया है ? ७१ लाख में १९ लाख अनवधानता के कारण, १३ लाख गलत समायोजन के कारण व्यय हुए हैं । ऐसी स्थिति में सभा को ध्यान देना चाहिए कि रेलवे में कितनी गड़बड़ी है ।

विकास निधि के लिए २·५३ करोड़ की मांग है। व्याख्या में कहा गया है कि यह व्यय अतिरिक्त राशि का समायोजन है । पर मैं पूछता हूं कि क्या विकास विधि के लिए आवण्टन करने का कोई सिद्धान्त भी है या नहीं । अवक्षयण निधि में भी आवण्टन करने का कोई सिद्धान्त नहीं है ।

१९५४-५५ के वर्ष में विकास निधि के लिए ६$^{1}/_{2}$ करोड़ की राशि रखी गयी थी । आज ढाई वर्ष बाद रेलवे मंत्रालय कहता है कि २$^{1}/_{2}$ करोड़ की कमी है । यह भी कोई बात है । स्पष्ट है कि हमारे अनुमानों में ४० प्रतिशत की गलती है । शायद रेलवे मंत्री समझते होंगे कि आज तीन वर्ष बाद सभा बिना कोई प्रश्न पूछे इन मांगों को चुपचाप स्वीकार कर देगी । अतः माननीय मंत्री हमें बतायें कि विकास निधि में किस आधार पर आवण्टन किया जाता है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस गलती के परिणामस्वरूप सामान्य राजस्व, और अवक्षयण निधि के अभ्यंशों में कितना अन्तर आया है ।

मांग संख्या १७ में २·७ करोड़ की मांग की गयी है । इसका कारण यह बताया गया है चालू लाइनों पर प्रतिस्थापन काम में सामग्री वर्ष के बिल्कुल अन्त में आने के कारण अधिक व्यय हुआ । मैं पूछता हूं कि क्या रेलव को पता नहीं था कि सामग्री कब उपलब्ध होगी । मैं समझता हूं कि रेलवे को पता था । यदि पता नहीं था तो यह रेलवे की अयोग्यता का द्योतक है । अतः यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है ।

इन सब बातों को देख कर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि रेलवे मंत्री शायद यह समझते हैं कि वह जब भी कभी जितनी मांग लेकर आयेंगे स्वीकार कर दी जायगी । यह एक महत्वपूर्ण बात है । बाद में अतिरिक्त मांगों की इतनी बड़ी राशि को स्वीकार करने से आयव्ययक की पवित्रता नष्ट होती है । थोड़ी राशि हो तो भी कुछ हद तक ठीक है । पर इतनी बड़ी राशि की अतिरिक्त मांग करना ठीक नहीं । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में इन मांगों की संतोषजनक व्याख्या अवश्य देंगे ।

रेलवे मंत्रालय की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४	१	श्री नौशीर भरूचा	१९५४-५५ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को पेश करने में अत्यधिक विलम्ब	१०० रु०
७	२	श्री नौशीर भरूचा	कोयले की अत्यधिक खपत	१०० रु०
१३	३	श्री नौशीर भरूचा	विकास निधि का दोषपूर्ण अनुमान और अव्यवस्थिति विनियोग	१०० रु०
१७	४	श्री नौशीर भरूचा	हिसाब-किताब रखने का गलत ढंग, ग़लत समायोजन और रेलवे सामग्री के आने का ठीक समय जानने में असफलता	१०० रु०
५	५	श्री तंगामणि	रेल के डिब्बों तथा लाइनों की दोषपूर्ण मरम्मत व संधारण	१०० रु०
७	६	श्री तंगामणि	कोयले के लिए अत्यधिक ढुलाई भाड़ा दिया जाना	१०० रु०
९-क	७	श्री तंगामणि	डिवीजन के मुख्यालयों के अस्पतालों में लेडी डाक्टरों की अपर्याप्त संख्या	१०० रु०
१३	८	श्री तंगामणि	प्राक्कलों में प्रत्यक्ष गलतियां	१०० रु०

†**सभापति महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैंने संशोधन संख्या ५, ६, ७ और ८ प्रस्तुत किये हैं, जो क्रमश: मांग संख्या ५, ७, ९ और १३ के सम्बन्ध में हैं।

मैं श्री नौशीर भरूचा की इस बात से सहमत हूं कि अतिरिक्त अनुदानों की इन मांगों के सम्बन्ध में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हमें इन विभिन्न मदों के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

इतनी अधिक राशि के बारे में भी सभा को इतने विलम्ब से क्यों बताया जा रहा है ?

मांग संख्या १७ में रेलवे मार्गों के नवीकरण की मद में २७१ लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि दिखाई गई है। मैं पूछता हूं कि इस मद पर इतनी अधिक राशि खर्च करने के बाद भी प्रति दिन औसत रूप में दो या तीन रेलगाड़ियां पटरी से क्यों उतर जाती हैं ?

रेलवे के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पटरी से उतरने की यह घटनायें गलत ढंग के माल डिब्बों के कारण होती हैं। इसलिये इन डिब्बों की मरम्मत और इनके संधारण पर कुछ भी व्यय करना बेकार है ।

हमें यह जानना चाहिये कि किन क्षेत्रों में रेल पटरियों पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है। इसकी जानकारी न होने से ही ऐसी दुर्घटनायें होती हैं। १९५६ में विल्लुपुरम् और त्रिचनापल्ली के बीच जिस स्थान पर रेल दुर्घटना हुई थी, इस वर्ष भी ठीक उसी स्थान पर ठीक उसी प्रकार की दुर्घटना हुई है।

यह बड़ी गम्भीर बात है। हमें रेल-मार्गों की देखभाल, मरम्मत और नवीकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। रेल डिब्बों की मरम्मत ठीक ढंग से की जानी चाहिये ।

एक दूसरी मांग में रेलवे श्रमिक कल्याण के लिये २,११,००० रुपयों की अतिरिक्त राशि मांगी गई है। इन रेलवे अस्पतालों के बारे में एक सब से बड़ी शिकायत यह है कि उनमें स्त्री डाक्टरों की बहुत कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस राशि में से स्त्री डाक्टरों की व्यवस्था के लिये कितना दिया जायेगा ?

हालत तो यह है कि डाक्टरों के चाहने पर भी रोगियों के पलंगों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारी व्यय सम्बन्धी गणना इतनी त्रुटिपूर्ण क्यों होती है ? हमारा मूल प्राक्कलन साढ़े छः करोड़ रुपयों का था, लेकिन अब उसे नौ करोड़ रुपये करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्री को सभा को ब्यौरे से बताना चाहिये इस धन का व्यय किस प्रकार हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि वास्तव में यह व्यय नहीं हुआ; लेकिन उसका कुछ ब्यौरा तो दिया जाना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी (कानपुर)** : इन अतिरिक्त मांगों द्वारा जो राशि मांगी जा रही है, वह १९५४-५५ के वास्तविक व्यय की है। अब लगभग साढ़े तीन साल बाद उसकी ठीक ढंग से जांच भी नहीं की जा सकती।

इनमें से एक मांग चिकित्सा की सुविधाओं के बारे में भी है। इस व्यय की उपयोगिता तो इसी से जाहिर है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक का जोर बढ़ता जा रहा है। रेलवे उनकी चिकित्सा के लिये कुछ भी व्यय नहीं करती। यहां तक कि उन्हें जो छट्टी भी दी जाती है वह बिना वेतन के।

श्रमिक कल्याण की बात यह है कि रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की बात भी सुनने से इन्कार करते हैं। अभी २ अगस्त को आगरा छावनी स्टेशन के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने क्वार्टरों की खराब दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिये एक छोटा सा प्रदर्शन किया था। वहां के अधिकारी ने उनसे मिलना तो दूर रहा, उनमें से चार कर्मचारियों को नोटिस भी दे दिये हैं कि उनकी नौकरी खत्म क्यों न कर दी जाये। फिर श्रम-कल्याण के लिये यह राशि मंजूर करने से फायदा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

श्री तंगामणि ने रेल डिब्बों की दशा के बारे में कहा है। हालत यह है कि ट्रेन-परीक्षकों की संस्था का कहना है कि डिब्बों की हालत इतनी खराब है कि यदि वे दिन में आठ घन्टे के हिसाब से ही काम करे तो देश भर में मौजूद डिब्बों में से कुल आधे ही चल पायेंगे। नतीजा यह है कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। अब ट्रेन का सफर लोगों को निरापद नहीं मालूम पड़ता।

रेलवे मंत्री को इन दुर्घटनाओं की ओर अधिक गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

मांग संख्या ४ रेलवे आरक्षण पुलिस के बारे में है। यह पुलिस रक्षा किसकी करती है? रेलवे पुलिस रेलवे मेल सर्विस के कर्मचारियों तक की रक्षा नहीं कर पाती। फिर उस पर व्यय करने से क्या फायदा? अभी भी मथुरा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहा है, और वह भी इसलिये कि उसे गुण्डों और डाकुओं से आरक्षित किया जाये।

इन अतिरिक्त राशियों का औचित्य सिद्ध करने के लिये माननीय मंत्री को अधिक ब्यौरेवार स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री यादव (बाराबंकी): अधिष्ठाता महोदय, रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में १९५४-५५ की जो ये पूरक मांगें हमारे सामने आई हैं, उस से बड़ा ही आश्चर्य होता है। नौ करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रक़म है और वह भी १९५४-५५ का। उसको काफी अर्सा हो गया है। इस से साफ ज़ाहिर है कि इस विभाग में—वैसे तो सारी सरकार की यही अवस्था है—निपुणता की बहुत कमी है और एफिशेन्सी (कार्यक्षमता) गिर गई है। इस विभाग के अधिकारियों को भविष्य में होने वाले खर्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम देखते हैं कि इस विभाग के द्वारा मुसाफिरों और छोटे कर्मचारियों को सुविधा देने की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही रेलों के देरी से चलने और आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के विषय में कोई कार्यवाही की गई है। ऐसी अवस्था में नौ करोड़ रुपये की रक़म बिना इस सदन की मंजूरी लिये हुये खर्च कर डालना और फिर साढ़े तीन साल के बाद यहां आ कर मांग करना कि यह पूरक मांग मंजूर की जाय कहां तक उचित हो सकता है? जहां तक इस रक़म के खर्च का सम्बन्ध है, हमें कोई वाजिब कारण दिखाई नहीं देता, जिन के आधार पर इतना रुपया खर्च किया गया।

आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि मिनिस्टर महोदय ने इस विषय में जो स्टेटमेंट दिया है, उस पर इस सदन में बहस होनी चाहिये। आज रेल-गाड़ियों पर सफ़र करना जितना मुश्किल हो गया है, उस में जितना ख़तरा महसूस होता है, उस तरफ़ मंत्री महोदय का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। एक आइटम में कहा गया है कि पटरियों को दुरुस्त करने में ज्यादा खर्चा हो गया है। आज हालत यह है कि जहां पर खर्च होना चाहिये, वहां खर्च नहीं किया जाता है। आज स्टेशनों को सजाने के लिये—और वह भी किसी खास खास दिन और किसी विशेष व्यक्ति के आने पर—और कुछ लोगों को विशेष सुविधायें देने के लिये सारी एनर्जी—सारी शक्ति—व्यर्थ में खर्च की जाती है। जहां तक रेल की पटरियों को दुरुस्त करने का ताल्लुक़ है, जिन को दुरुस्त करने से एक्सिडेंट्स रुक सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर जाना चाहिये। अगर मंत्री महोदय इस बात का साफ़ जवाब नहीं देते हैं कि यह रुपया क्यों खर्च हुआ है, तो यह समझना चाहिये कि वह एक तरह से इस सदन का अपमान है। उन की ओर से जो वेग एक्सप्लेनेशन (अस्पष्ट कारण) दे दिये जाते हैं, वे नाकाफ़ी हैं।

मेरे पूर्ववक्ता महोदय ने रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस का ज़िक्र किया है। यात्रियों की सुविधा और उन की सुरक्षा के लिये पुलिस रेल में चला करती है। मुझे भी इन लोगों के बारे में आये दिन

तजुर्बा हुआ करता है। क्या होता है ? रेलवे पुलिस के लोग साधारणतया एक जगह पर बैठ जाते हैं और मुसाफिरों की जगह घेर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों के नौकरों के लिये जो कम्पार्टमेंट होता है, उस में वे आम तौर पर जम कर बैठ जाते हैं और किसी और को उसमें आने नहीं देते हैं। मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने आर० एम० एस० एम्प्लाईज़ की दुर्घटना के बारे में बताया है। अभी अखबार में समाचार छपा है कि कुछ यात्री लोगों को रेल में लूट लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल में किसी की जानो-माल की सुरक्षा असम्भव है। लोग या तो किसी एक्सिडेंट के शिकार हो सकते हैं, या किसी चोर डाकू या गिरहकट के शिकार हो सकते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में रेल-यात्रा करने वाले सभी श्री जगजीवन राम जी के शिकार हैं। मैं श्री जगजीवन राम और उन की सरकार से यही निवेदन करूंगा कि काफी दुर्घटनायें घट चुकी हैं, काफ़ी जन-धन का दुरुपयोग हो चुका है, काफ़ी जानें जाया हो गई हैं, इन मंत्री महोदय की कृपा से जो सुविधायें मिली हैं, काफी लोग उन का फल भोग चुके हैं, इस लिये अगर वह इस प्रकार की और सुविधायें न दें, तो अच्छा है—इस देश के लोगों के लिये भी और खास तौर से जो लोग रेल पर यात्रा करते हैं, उन के लिये भी बहुत सुखदायी होगा अगर मंत्री महोदय और कृपा न करें। वैसे तो इस सदन में श्री जगजीवन राम का बहुमत है। वह इस नौ करोड़ की रक़म को पास करा लेंगे, हम चाहे जो कुछ भी कहें और जितनी भी गम्भीर बातें हैं, जिन की तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिये, उन की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जायेगा।

पिछली बार जब रेलवे बजट पर बहस हो रही थी, तो मैं ने कहा था कि आज स्टेशनों पर पानी की सुविधा नहीं है। इस के उत्तर में हमारे डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने कहा कि हर जगह पानी की सुविधा है। मैं ने एक आध जगह की मिसाल भी दी थी। उस के बावजूद इस तरह की कमियां पाई जाती हैं और इस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह ज़रूर होता है कि कभी कोई मिनिस्टर—विशेषकर रेलवे मिनिस्टर—या डिप्टी मिनिस्टर जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है—जैसा कि आम तौर पर इत्तिला हो जाती है—तो स्टेशन पर बाकायदा स्टूल पर एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा कर उस पर तश्तरी में ग्लास रखा हुआ मिल जाता है और उस को देख कर मिनिस्टर साहब यह समझ जाते होंगे कि सब लोगों को यह सुविधा मिलती होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और सब लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन यह कहां सम्भव है ?

मैं जानता हूं कि गाड़ियां क्यों लेट चला करती हैं। मैं जानता हूं कि बहुधा इस का कारण हमारे मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर वग़ैरह हुआ करते हैं। मुझे ज्ञात है कि दिल्ली-लखनऊ लाइन पर गजरौला स्टेशन पर हमारे मंत्री महोदय, श्री केशवदेव मालवीय के कारण एक बार गाड़ी लेट हो गई। वहां पर कोई शव आने वाला था। मुझे उस सिलसिले में बड़ी हमदर्दी है, लेकिन यह तथ्य है कि उस के कारण गाड़ी चार छः घंटे लेट हो गई और रुकी रही और कितने ही लोगों को असुविधा हुई। एक शटल चला करती है, उस को रोक दिया जाता है। अगर कुछ विशेष अधिकारियों को कुछ विशेष सुविधायें दे कर यही कहा जाये कि रेलवे में बड़ी तरक्क़ी हो रही है, तब तो मैं कहूंगा कि यह सही है, लेकिन यह सही नहीं है। एक दो आदमियों को सुविधा पहुंचती है, लेकिन जन-साधारण को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, तरह तरह की यातनायें झेलनी पड़ती हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ़ ध्यान दें।

जो नौ करोड़ की पूरक मांग आज इस सदन के सामने प्रस्तुत है, उसे तो पास होना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, तो अपने बहुमत के बल पर करा ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप उस समाज की ओर भी दें, जिन के कन्धों पर सवार हो कर आप इस सदन में विद्यमान हैं और ज़िम्मेदारी लिये हुये हैं।

[श्री यादव]

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन जिन विषयों की ओर मैंने उन का ध्यान खींचा है, वह उन का सही सही जवाब दें और बतायें कि गाड़ियों में जो भीड़ होती है, रेलवे में लोगों के जानो-माल की सुरक्षा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और ट्रेन्ज़ की दुर्घटनाओं आदि के बारे में भविष्य में वह क्या विशेष कदम उठाने जा रहे हैं। वह यह भी बतायें कि आये दिन जो दुर्घटनायें होती हैं, उन को रोकने की कोशिश वह करेंगे या नहीं या ये दुर्घटनायें बढ़ती ही जायेंगी और एक ऐसी हालत हो जायेगी कि लोग इस मामले में बात करना भी बन्द कर देंगे।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दौली) : इन अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर तो इस तरह चर्चा की जा रही है जैसे कि यह रेलवे की मांगों पर कोई सामान्य बाद-विवाद हो। दोनों में बड़ा अन्तर है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

वास्तव में इसके लिये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें वर्ष विशेष का विनियोग लेखा बन्द करने के बाद ही अतिरिक्त व्यय का पता चलता है।

हमें याद रखना चाहिये कि अभी सभा के सामने जिन अतिरिक्त व्ययों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मांगें रखी गई हैं, लोकलेखा-परीक्षा समिति ने उनको पूरी तौर से जांच लिया है। समिति ने इनका पूरा ब्यौरा देख लिया है। यह समिति भी संसद्-सदस्यों की ही है।

यह समस्या वास्तव में सरकार की लेखा रखने और परीक्षा करने की प्रणाली से ही पैदा होती है। होता यह है कि वर्ष के अन्त में विभागों का लेखा एक नियत तिथि पर बन्द करने के बाद भी कई अन्य लेख खुले रहते हैं।

हम सभी इस प्रणाली में सुधार करने के उपाय सोचते रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लेखा रखने की प्रणाली में कुछ त्रुटि ही है। इसका एक कारण तो यह भी है कि दफ्तरों में काफी देर लगाई जाती है। और दूसरा कारण यह है कि हमारे दफ्तरों में यह ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जाता कि कौन सी चीज़ किस समय तक पूरी हो जानी चाहिये। इसके फलस्वरूप साल के अन्त में कई व्यय ऐसे होते हैं जो दूसरे दूसरे मंत्रालयों के नाम डाल दिये जाते हैं और फिर उन्हें अतिरिक्त व्यय के रूप में दिखा कर उनके लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। लोक लेखा परीक्षा समिति इन अतिरिक्त व्ययों की बड़ी बारीक़ी से छानबीन करती है। यदि समिति किसी मामले में यह महसूस करेगी कि व्यय उचित नहीं था, तो वह उसकी सिफारिश नहीं करेगी।

लेकिन, मैं ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूं कि यदि लोक लेखा-परीक्षा समिति कुछ व्ययों से सहमत न हो और उनकी सिफारिश न करे तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी, क्योंकि व्यय तो वास्तव में बहुत पहले हो चुका होता है। सभा को इस समस्या पर विचार करना चाहिये।

लेकिन इन अतिरिक्त राशियों के बारे में लोक-लेखा-परीक्षा समिति ने कोई बड़ी आपत्ति नहीं की है। समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं और उसकी सभी सिफारिशें सर्व सम्मत होती हैं।

लोक लेखा-परीक्षा समिति ने इन अतिरिक्त राशियों के सम्बन्ध में कोई कड़ा रुख इसलिये नहीं अपनाया है कि ये सभी वर्ष के अन्त में विनियोग लेखों के बन्द होने के बाद समायोजित की गई

†मूल अंग्रेज़ी में

राशियां हैं, जो सभी अन्य विभागों द्वारा रेलवे के नाम लिखी गई हैं । अब इन अतिरिक्त व्ययों के कारणों को जांच करने की अवस्था नहीं रह गई है । माननीय सहयोगियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों पर चर्चा करने से पहले वे इनके सम्बन्ध में की गई समिति की टिप्पणियों को अवश्य देख लिया करें ।

लोक लेखा-परीक्षा समिति १९५७-५८ की रेलवे सम्बन्धी अपनी चौथी रिपोर्ट में प्रशासक कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले विलम्ब पर खेद प्रकट किया है । समिति चाहती है कि उसके द्वारा पूछे गये प्रश्नों या की गई जांच के प्रत्युत्तर में प्रशासकीय कार्यालय अधिक तत्परता से काम लें । यदि ऐसा हो तो समायोजना में होने वाला विलम्ब धीरे-धीरे कम हो जायेगा । तब फिर संसद् द्वारा स्वीकृत राशि और उसके उद्देश्य का अधिक ध्यान रखा जायेगा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी ।

लोक-लेखा-परीक्षा-समिति के सामने वित्त के क्षेत्र में रही सब से बड़ी कठिनाई महसूस होती है । वित्तीय समितियों को अपना कार्य वर्ष भर में पूरा करना पड़ता है, लेकिन उनकी प्रश्नावलियां कभी कभी प्रशासकीय कार्यालयों में छैः छैः महीनों तक पड़ी रहती हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में तत्परता दिखाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये ।

इसी सिलसिले में एक दूसरी बात यह है कि बार बार अनुवर्ती अतिरिक्त अनुदानों और बड़ी बड़ी बचत की राशियों की समस्या भी बड़ी टेढ़ी है । स्वीकृत अनुदानों में से बहुत अधिक बचत की राशि रह जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है । हमें वित्तीय नियंत्रण में अभी काफी सुधार करना है ।

लोक लेखा-परीक्षा समिति ने १९५१ में वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन माननीय सदस्यों ने उसकी ओर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया । मैं मानता हूं कि आंकड़ों से सम्बन्धित ये सभी मामले बड़े नीरस होते हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है । मैं तो चाहता हूं कि सभी वित्तीय मामलों का दायित्व वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाये, लेकिन मंत्रालय को भी तो अपना दायित्व तत्परता से निभाना चाहिये । उसे वित्तीय नियंत्रण के मामले में पूरी सतर्कता दिखानी चाहिये । तभी हम पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बना सकेंगे ।

इस लिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अतिरिक्त अनुदानों की तरफ़ ही इन पर चर्चा करें, इसे अनुपूरक अनुदानों या आय-व्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा न बना दें । मैं इसी पर ज़ोर देना चाहता हूं ।

† **श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : मैं इस अवसर पर त्रिपुरा की हालत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पाकिस्तान सरकार हमेशा ही जानबूझ कर भारत के साथ किये गये व्यापारिक करारों का उल्लंघन करती रही है । अभी भी उसने इधर कुछ दिनों से त्रिपुरा की सीमा बन्द कर दी है । चूंकि त्रिपुरा में कोई रेलवे लाइन नहीं है, इसलिये हमारे यहां का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । नित्य की अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर चढ़ गये हैं । इसलिये, त्रिपुरा में रेलवे लाइन डालना बहुत ज़रूरी है ।

देश की प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी त्रिपुरा में रेलवे लाइन होना बहुत ज़रूरी है । सरकार को बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये । भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कुछ दिन पहले यह करार हो चुका था कि पाकिस्तान और त्रिपुरा के बीच कुछ रेलवे साईडिंग बनाई

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दशरथ देव]

जायेंगी। लेकिन अब उसकी कोई सम्भावना नहीं दीखती। रेलवे मंत्रालय को कम से कम काल्काली-घाट से पानी सागर तक तो २५–३० मील लम्बी एक रेलवे लाइन की व्यवस्था करनी ही चाहिये तभी त्रिपुरा की जनता की कठिनाइयां कम होंगी।

रेलवे मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यह लाइन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही बना दी जाये।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: माननीय सदस्यों ने एक बात यह कही है कि इन अतिरिक्त मांगों को बहुत देर से सभा के सामने रखा गया है। शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि इन अतिरिक्त मांगों को सभा के सामने रखने से पहले मंत्रालय को किन-किन औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है। लोक लेखा-परीक्षा समिति के सभापति ने संक्षेप में यह बात बताई भी है। मैं उसी का कुछ ब्यौरा आपके सामने रखता हूं।

लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३०८(४) के अनुसार सभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक अतिरिक्त राशि की परीक्षा पहले लोक लेखा-परीक्षा समिति करती है और उसके बाद ही सभा के सामने उसकी मांग रखी जा सकती है। और लोक लेखा समिति से उसे प्रमाणित कराने से पहले भी कुछ औपचारिक कार्यवाही करनी पड़ती है। अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तभी सभा के सामने पेश की जा सकती हैं जबकि लोक लेखा-परीक्षा समिति उनकी सिफारिश कर दे। १९५४–५५ का विनियोग लेखा (रेलवेज़) रेलवे मंत्रालय ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से ३१ अगस्त, १९५६ को तैयार कर लिया था। उसमें तो कोई विलम्ब शायद नहीं ही हुआ था। उस लेखे पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने १५ अगस्त, १९५६ को हस्ताक्षर किये थे और २२ दिसम्बर, १९५६ को उसे संसद् में पेश कर दिया गया था। संसद् में १९५४–५५ का विनियोग लेखा (रेलवेज़) पेश करने के हाल ही बाद, मंत्रालय ने १९५४–५५ वर्ष में संसद् द्वारा स्वीकृत राशियों से अधिक व्यय की अतिरिक्त राशियों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार करके २०–५–५७ को लोक लेखा-परीक्षा समिति के पास भेज दी थीं। लोक लेखा-परीक्षा समिति को उन टिप्पणियों से संतोष नहीं हुआ था और उसने उनका और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण चाहा था। यह समिति को २४ जून, १९५७ को भेज दिया गया था। समिति ने उन पर अगस्त, १९५७ की अपनी बैठकों में विचार किया था। समिति की रिपोर्ट उसी वर्ष तैयार होनी थी। इसी अनुमान पर, रेलवे मंत्रालय ने संसद्-कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह १९५४–५५ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को नवम्बर-दिसम्बर, १९५७ में होने वाले संसद् के सत्र में पेश कराने का प्रबन्ध कर दें। लेकिन हुआ यह कि लोक लेखा-परीक्षा समिति ने अपनी सिफारिशें तब तक नहीं भेजीं और इसीलिये उसे स्थगित करते जाना पड़ा। समिति ने अपनी सिफारिशों को २६ अप्रैल, १९५८ को ही संसद् के सामने उपस्थापित किया और इसीलिये हमने संसद्-कार्य मंत्रालय से २८ अप्रैल का दिन उन्हें उपस्थापित करने के लिये मांगा था। लेकिन अतिरिक्त अनुदानों की मांगें २ मई, १९५८ को ही संसद् के सामने पेश की जा सकीं।

इससे स्पष्ट है कि सरकार की ओर से इन्हें पेश करने में कोई भी विलम्ब नहीं हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): क्या लोक लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों के लिये रुकना ज़रूरी होता है?

†**श्री जगजीवन राम**: जी हां। १९५६ के शरद्कालीन सत्र में भी एक बार इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। उस समय एक अन्य मंत्रालय की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के उपस्थापन

†मूल अंग्रेजी में

में विलम्ब होने के सिलसिले में प्रश्न उठा था। उसे वाद-विवाद में अध्यक्ष महोदय ने यह दृष्टिकोण रखा था कि लोक लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों के लिये वर्षों तक अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को संसद् में पेश करने से रोक रखना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी प्रक्रिया निकाली जाए जिससे कि लोक लेखा-परीक्षा समिति और महालेखा परीक्षक कुछ ही दिनों में इन पर विचार करके अपनी राय दे दें। श्री म० च० शाह, राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से इस सम्बन्ध में एक नोट तैयार करने के लिये सहमत भी हो गये थे। वित्त मंत्रालय ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके इस विषय में लोक-सभा सचिव के पास अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ कुछ सुझाव भी भेजे थे। लोक लेखा-परीक्षा समिति ने भी अतिरिक्त राशियों के विनियम के इस प्रश्न के संबन्ध में अपनी २९वीं रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये थे। उसने इस बात पर ज़ोर दिया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इन अतिरिक्त राशियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश करने देने के बाद अधिक से अधिक चार सप्ताहों के अन्दर, जल्द से जल्द मंत्रालयों को उन अतिरिक्त व्ययों के कारणों का ब्यौरा लोक-सभा सचिवालय के पास भेज देना चाहिये। रेलवे मंत्रालय हमेशा ही लोक लेखा-परीक्षा समिति की रिपोर्ट द्वारा निश्चित प्रक्रिया का पालन करता आ रहा है। और, इस बार जो विलम्ब हुआ है उसमें रेलवे मंत्रालय का कोई दोष नहीं है।

†**सभापति महोदय** : दिसम्बर और मई के बीच लोक-लेखा समिति के सामने इन अतिरिक्त मांगों को पेश करने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**श्री जगजीवन राम** : महोदया, आप इस बात को समझती होंगी कि हमें विस्तृत टिप्पणी तैयार करनी पड़ती है। अतएव कुछ समय आवश्यक है और हमने बहुत कम समय लिया है। दिसम्बर में इसे अन्तिम रूप दिया गया था और मई में हमने अपने विचार लोक-लेखा समिति के समक्ष रखे थे। लोक-लेखा समिति ने उसका आगे स्पष्टीकरण एवं विवेचना मांगी। इसे भेजने में हमें एक माह से अधिक समय नहीं लगा। हमने २० जून को अपनी राय भेज दी। अतएव, इस विशेष मामले में हमारी ओर से कोई ज्यादा देर नहीं हुई परन्तु प्रणाली ऐसी है कि लेखों को महालेखापाल द्वारा परीक्षा की जाती है। वहां भी इसमें कुछ समय लग जाता है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं माननीय मन्त्री को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं अतिरिक्त अनुदानों के इस विशेष मामले का ही निर्देश नहीं कर रहा। केवल इसी मामले में आपने शीघ्र ही टिप्पणी भेज दी है परन्तु साधारणतया जैसा कि हमने अपने प्रतिवेदन में लिखा भी है कि रेलवे के मामले में पूछी गई बातों का उत्तर देने में महीनों लग जाते हैं। हमें केवल इसी विशेष मामले में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को नियमित नहीं करना।

†**सभापति महोदय** : माननीय मन्त्री ने कहा है कि उन्होंने लोक लेखा-समिति को मई में टिप्पणी भेज दी थी। इसके बाद लोक लेखा समिति ने मंत्रालय से कुछ और जानकारी मांगी थी और वह एक माह के भीतर भेज दी गई थी अतएव इस मामले में मन्त्रालय की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : कुछ भी हो वह सूचना मई में पेश की गई थी और यह अगस्त है। सारी चीज़ आय व्ययक सत्र के अन्त में ही प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने केवल एक विशेष प्रश्न, जोकि अतिरिक्त अनुदान से सम्बन्धित है, के बारे में अपनी टिप्पणी भेज दी थी परन्तु लोक-लेखा समिति की यह शिकायत है कि पूरे मामले से सम्बन्धित अन्य बातों की जानकारी नहीं दी गई। जब तक सारी बातों पर विचार नहीं कर लिया जाता तब तक लोक-लेखा समिति कोई सिफारिश नहीं कर सकती। अतएव लोक-लेखा समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रि० ना० सिंह]

को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि वह सभा द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय की गई राशि को मंजूर करने की सिफारिश करते समय उसके औचित्य पर भली भांति सोच ले। हमारा एक विशेष प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मालूम हैं जहां एक एक चीज़ के जबाव के लिए दो या तीन माह तक लग जाते हैं। हजारों चीजें उनसे पूछी गई हैं और वे उनका उत्तर देने में देर लगा रहे हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे लोक-लेखा समिति के सभापति को जवाब नहीं देना। सभा ने उनके द्वारा विद्वतापूर्ण ढंग से बताये गये लोक-लेखा समिति के कार्यों की विवेचना सुनी। मैं उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकता। जब कभी भी लोक-लेखा समिति कोई बात चाहती है तब हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोक-लेखा समिति के सामने आते हुए हमारे अधिकारी कांपते हैं। उनके साथ सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए।

†**सभापति महोदय** : लोक-लेखा समिति के सभापति ने कोई अशिष्टता नहीं दिखाई। उन्होंने सभा के समक्ष इस बात को विचार के लिए रखा है क्योंकि लोक-लेखा समिति सभा की ही समिति है। अतएव यदि कोई अशिष्टता हुई है तो वह निश्चय ही यहां पेश की जा सकती है; परन्तु इस मामले के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे खेद है कि मैंने यह धारणा उत्पन्न कर दी है। मेरा यह आशय बिल्कुल नहीं था कि कोई अशिष्टता दिखाई गई है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : लोक-लेखा समिति सभा की समिति है और आपने मुझे उसका सभापति नियुक्त किया है। यदि मेरे निर्देशन में हुई किसी अशिष्टता का दोषारोपण किया गया है तो मैं उसका तीव्रता से विरोध करता हूं। मैं समिति का सभापति हूं और अन्य सदस्य भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वे कभी भी किसी के प्रति कोई अशिष्टता नहीं दिखा सकते।

†**सभापति महोदय** : यह स्पष्ट ही हो गया है कि लोक-लेखा समिति द्वारा अधिकारियों के प्रति कोई अशिष्टता नहीं दिखाई गयी है। मैं समझती हूं कि मन्त्री महोदय का भी ऐसा कोई आशय नहीं था।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा आशय यह नहीं था। मैंने केवल यह बताया था कि साधारणत: न केवल रेलवे मन्त्रालय के वरन् अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी लोक-लेखा समिति के सामने आने से डरते हैं।

†**सभापति महोदय** : वह एक अलग चीज है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं एक तथ्य बता रहा हूं कि सभी मन्त्रालयों के अधिकारी लोक-लेखा-समिति से डरते हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : ऐसा क्यों है ?

†**सभापति महोदय** : क्योंकि वे राजकोष के रक्षक हैं और उनसे सभी डरते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं आप को बता रहा था कि हम जानकारी देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को हमेशा इस बात पर जोर देता रहा हूं कि जब कभी लोक-लेखा समिति किसी बात को पूछे तब हमें उससे सम्बन्धित सारी जानकारी देनी चाहिए। सारी बात विस्तृत रूप में बताई जानी चाहिए जिससे लोक-लेखा समिति को यह भान न हो कि कोई बात उनसे छिपायी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विशेष अनुदान के बारे में, हो सकता है जब वे सारे वर्ष के लेखों पर विचार कर रहे थे और तब उन्होंने जो खास जानकारी चाही थी, वह रेलवे बोर्ड में तुरन्त ही नहीं मिल सकी हो। हमें यह जानकारी रेलवे प्रशासन से मंगानी पड़ती है और प्रशासन को अपने डिवीजनों से तथा जिला अधिकारियों से मंगानी पड़ती है। अतएव इसमें कुछ समय तो लगता ही है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि हम आगे किसी भी अवसर पर देर नहीं करेंगे। जब कभी भी जानकारी जिलों अथवा डिवीजनों से मांगे जाने की आवश्यकता होगी, देर तो होगी ही। परन्तु हमारा प्रयत्न लोक-लेखा समिति को यथासम्भव उपलब्ध जानकारी देना है। इस मामले में देर क्यों हुई है यह मैं स्पष्ट कर चुका हूं। वास्तव में, जब यह मामला मेरे पास आया, मैंने स्वयं यह प्रश्न किया था कि सन् १९५४–५५ के अतिरिक्त अनुदान इस वर्ष क्यों पेश किए जा रहे हैं? इसके फलस्वरूप मुझे जो स्पष्टीकरण मिले, वे मैं सभा के समक्ष रख चुका हूं।

अब अतिरिक्त अनुदान को देखिए। वह केवल ९ करोड़ रुपए हैं जो ४ प्रतिशत से भी कम है। ५ प्रतिशत तक का हेर फेर बहुत उचित समझा जाता है। सरकारी अर्थव्यवस्था के सभी मामलों में ५ प्रतिशत का हेर फेर उचित ही समझा जाता है। यहां तो हेर फेर केवल ४ प्रतिशत ही है। यद्यपि ९ करोड़ की रकम अधिक दीखती है तथापि यदि हम उसे सम्पूर्ण रेलवे आय-व्ययक से मिलावें तो हेर-फेर ४ प्रतिशत से कम है। हम इसे यथा सम्भव कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका स्पष्टीकरण लोक लेखा-समिति के सभापति ने स्वयं कर दिया है कि हमारे यथा शक्ति प्रयत्न करने के बाद भी कुछ अतिरिक्त खर्च होगा और मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि आगामी वर्षों में रेलवे की कोई अतिरिक्त मांग न होगी। यदि हमारी लेखा प्रणाली का वैज्ञानिकन हो सके और लोक-लेखा समिति अथवा अन्य प्राधिकारों द्वारा, जो कि इस मामले में विशेषज्ञ हैं, कोई ऐसा तरीका या प्रणाली निकाली जा सके तो हम वास्तव में उसका स्वागत करेंगे परन्तु आज लेखे की जो प्रणाली चल रही है वह इस प्रकार की है कि उसके कारण हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जिनके कारण हमें सभा के सामने अतिरिक्त मांगें रखनी पड़ती हैं। रेलवे में इस प्रकार के मामले अन्य मन्त्रालयों की अपेक्षा अधिक आते हैं और लोक-लेखा समिति के सभापति इससे परिचित हैं। उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। अन्य मन्त्रालयों के लेखे अन्तिम रूप से ३१ मार्च को बन्द कर दिये जाते हैं। हम उन्हें आगे तक ले जाते हैं और इसलिये उनमें अतिरिक्त मांगों के मौके अधिक आते हैं। तुलनाएं द्वेषपूर्ण होती हैं अतएव मैं अन्य मन्त्रालयों से तुलना नहीं करना चाहता। इस मामले में लोक-लेखा समिति के सभापति मेरी अपेक्षा अधिक अधिकार से बोल सकते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम यथाशक्ति यह प्रयत्न करते आए हैं कि ऐसी अतिरिक्त मांगों के अवसर सभा के सामने न आएं।

यह भी कहा गया है कि हमने पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं इससे सहमत हूं कि हमें और अधिक ब्यौरा देना चाहिए था परन्तु ऐसा न करने का कारण यह है कि सभा की एक समिति ने जिसमें सभा के सभी दलों का प्रतिनिधित्व था, इस पर विचार कर लिया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

उन्होंने इसकी परीक्षा न केवल कागज-पत्रों और ज्ञापनों से ही की है परन्तु जहां आवश्यक था वहां रेलवे मन्त्रालय के अधिकारियों से भी जांच-पड़ताल की गई है। उन्होंने पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होकर ही यह सिफारिश की है कि ये अतिरिक्त मांगें मंजूर कर दी जाएं। यही एक कारण था जिससे हमने सभा के माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी देना जरूरी नहीं समझा।

वास्तव में मेरी यह धारणा थी कि सभा में यह केवल एक औपचारिक मामला ही होगा। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार में बहुमत होने के कारण हम इस मांग को स्वीकृत करा लेंगे। यह बात इस लिये दुहराई गई है क्योंकि वे प्रक्रिया को नहीं जानते। प्रक्रिया यह है कि

[श्री जगजीवन राम]

इन सारी बातों की लोक-लेखा समिति द्वारा पूरे ब्यौरों सहित जांच पड़ताल कर ली गई है। लोक-लेखा समिति में केवल कांग्रेस दल के ही सदस्य नहीं होते वरन् सभी दलों के सदस्य हैं और वह सारी सभा की समिति है। उनकी सिफारिश के बाद ही हमने सभा के सामने अतिरिक्त मांगे रखी हैं। वाद विवाद ने ऐसा रूप ले लिया है मानों हम रेलवे के सामान्य आय-व्यक पर चर्चा कर रहे हों और विभिन्न मसलों को उठाया गया है।

जहां तक श्रमिक कल्याण और अन्य बातों का संबंध है, हम अपनी ओर से रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तपेदिक का प्रसार देश का सामान्य प्रश्न है परन्तु जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है, यदि वे रेलवे के प्रतिवेदन को देखें को उन्हें ज्ञात होगा कि हम प्रतिवर्ष रेलवे के तपेदिक रोगियों के लिए आरोग्य शालाओं (सेनेटोरिया) में बिस्तरों की वृद्धि कर रहे हैं। हम केवल आरोग्य शालाओं में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था ही नहीं कर रहे वरन् अस्पताल खोलकर उसके रोकने के उपाय भी कर रहे हैं।

अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की भी आवश्यकता होती है और अंतिम दो वर्षों में हमारे अस्पतालों में उनकी संख्या में ६२ की बढ़ती हुई है। डाक्टरों के मिलने में काफी कठिनाई होती है इस लिए मैंने रेलवे प्रशासनों को सीधी भर्ती करने का अधिकार दे दिया है क्योंकि रेलवे सेवा आयोग से डाक्टरों की भर्ती करने में देर हो सकती है।

श्री भरुचा ने दो निधियों के अंशदानों के बारे में प्रश्न किया है। अवक्षयण निधि का अंशदान कन्वेंशन कमेटी द्वारा विहित एक निश्चित रकम है। विकास निधि के नामें की जाने वाली राशि वसूल की गई अतिरिक्त राशि के कम या ज्यादा होने के अनुसार बदलती रहती है। इस निधि से खर्च के लिए रकम आवंटित करने के सिद्धांत वे ही हैं जो कन्वेन्शन कमेटी द्वारा सन् १९५४ में विहित किए गए हैं और माननीय सदस्य उनसे अवगत हैं।

कोयले के बारे में, माननीय सदस्य को यह मालूम ही है कि एक समिति नियुक्त की गई है जो ब्यौरेवार जांच कर रही है और इस माह में उसका प्रतिवेदन मिलने की आशा है। ज्यों ही उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा त्यों ही उसकी जांच कर उस समिति के सुझावों पर कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे। मैं स्वयं इस बात के लिए चिन्तित हूं कि कोयले की खपत कम करने के लिए कोई ठोस चीज़ की जाए। यदि माननीय सदस्य इस समिति के सदस्यों का नाम जानना चाहते हैं तो वे सभा की कार्यवाही में उनके नाम देख सकते हैं।

अब रेलवे लाइनों के पुनर्नवन और इंजन, डिब्बे आदि की हालत का प्रश्न आता है। रेलवे लाइनों के पुनर्नवन के काम में हम पीछे हैं फिर भी मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि विभिन्न भागों में लाइनों की हालत काफी अच्छी है। यद्यपि गाड़ियों के पटरियों से उतर जाने के कुछ मामले हुए हैं तथापि हम यह कह सकते हैं कि ऐसे मामले पिछले दो वर्षों में बहुत कम हो गए हैं। हम ऐसे मामलों की छानबीन कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस विषय में अधिक न कह कर माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि इस माह में पिछले १०-१२ वर्ष की रेलवे दुर्घटनाओं का एक विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें दुर्घटनाओं के प्रकार, कारण, उनके स्वरूप आदि पर पूरा प्रकाश डाला जाएगा। इससे माननीय सदस्य रेलवे की दक्षता का अंदाजा लगा सकेंगे।

† **श्री तंगामणि** : क्या सुरक्षा संगठनों से इस सम्बन्ध में सलाह ली जाएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम:** जहां तक सुरक्षा संगठनों का प्रश्न है रेलवे में वे अभी अभी बनाए गए हैं। वे सामान्य निरीक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त संगठन हैं। इन सुरक्षा संगठनों के प्रयत्न कुछ समय पश्चात् ही मालूम पड़ सकते हैं। रेलों का पटरियों से उतरना या अन्य प्रकार की रेल दुर्घटनायें, पटरियों अथवा इंजन या डिब्बों में खराबी के कारण या आदमियों की लापरवाही के कारण होती हैं ; इस पर चर्चा करने के पहिले यदि माननीय सदस्य मेरे द्वारा परिचालित की जाने वाली समीक्षा को पढ़ लें तो अच्छा रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम स्टेशनों की सजावट एवं अन्य ऐसी ही चीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि मैंने पिछले आय-व्ययक सत्र में यह कहा था कि हमने सभी भव्य इमारतों का निर्माण बन्द कर दिया है। हमें अधूरी स्टेशन की इमारतों का निर्माण जरूर पूरा करना पड़ेगा। अतएव उनका यह कथन गलत सिद्ध होता है।

स्टेशनों पर न्यूनतम यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करनी ही होगी और मैं यह दावा नहीं कर सकता कि रेलवे ने देश के सम्पूर्ण ७ या ८ हजार स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। हमारा यह प्रयत्न है कि हम एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दें।

रेलवे में अभी बहुत सी बातें की जानी हैं। भीड़-भाड़, यात्री सुविधाओं की कमी और जान माल की सुरक्षा के प्रश्न चिन्ता का विषय बने हुए हैं। ऐसे कुछ मामले आए हैं जिन में रेलगाड़ियों के डिब्बों में यात्रियों पर घातक आक्रमण हुए हैं। एक माननीय सदस्य ने टूंडला में रेलवे डाक सेवा के कुछ कर्मचारियों के खून की घटना का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि रेलवे चाहे जितनी भी सावधानी बरते फिर भी प्रत्येक डिब्बे और प्रत्येक यात्री की रक्षा करना असम्भव है। इस विशेष मामले के सम्बन्ध में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ प्रतीक्षा के बाद ही इस मामले में खून के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लग सकेगा।

कुछ रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में चोरियां और लूट-मार भी हुई है। दिल्ली और मथुरा के बीच के कुछ स्टेशनों पर ऐसे मामले हुए हैं। इसका सम्बन्ध जान माल की सुरक्षा और शान्ति से है जो कि राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमारे अधिकारियों ने सम्बन्धित राज्यों की पुलिस को इन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए लिख दिया है। मैं सम्बन्धित कर्मचारियों को यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकारों से इस मामले में लिखा पढ़ी चल रही है और आशा की जाती है कि पुलिस इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यदि रेलवे मन्त्री यह आश्वासन दें कि उस स्टेशन मास्टर को दण्ड नहीं दिया जाएगा जो भूख हड़ताल कर रहा है तो मैं उसे तार भेजकर उसकी भूख हड़ताल समाप्त करा सकता हूं।

†**श्री जगजीवन राम :** आपने इस तथ्य को गलत समझा है। जब वह स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर भूख हड़ताल करते हुए भी अपने सामान्य कर्तव्य अर्थात् सरकारी कार्य को पूरा कर रहा है तब उसे दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पहिले ही कह चुका हूं कि जनता की सुरक्षा और शान्ति का प्रश्न राज्यों का है, रेलवे का नहीं। हमारे १० लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी हैं जो सारे देश में फैले हुए हैं और देश के ऐसे सुदूर भागों में जनता की सेवा कर रहे हैं जहां उन्हें सामान्य जीवन की सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं। रेलवे के कर्मचारी हमारी सहानुभूति के पात्र हैं और यह आशा की जाती है कि जब वे देश के लिए अत्यावश्यक सेवा कर रहे हैं तो समाज विरोधी तत्व भी इसका

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

ध्यान रख कर उन्हें नुकसान न पहुंचाएगा फिर भी जैसा मैंने कहा है सम्बन्धित राज्य सरकारों को पुलिस से कार्यवाही करने को कह दिया गया है।

मैं यह महसूस करता हूं कि मैंने संक्षेप में उन समस्त बातों को स्पष्ट कर दिया है जो कि सभा में रखी गई थीं। रेलवे का यह इरादा नहीं था कि वह इन मांगों को सभा में देर से रखे। मैं देर होने के कारणों को स्पष्ट कर चुका हूं और देर ऐसे कारणों से हुई है जिन पर हमारा कोई वश नहीं है अतएव यह कल्पना करना कि रेलवे मंत्रालय ने सभा का उचित आदर नहीं किया या उसके प्रति अशिष्टता दिखाई है, असत्य है। मैं अनुरोध करता हूं कि ये मांगें स्वीकार की जाएं।

†**श्री आचार** (मंगलौर): जहां तक मैं रेलवे मन्त्री को समझ सका हूं, वे इन मागों को प्रस्तुत करने में इस विलम्ब से दुखी है और जैसा सभा जानती है विलम्ब का कारण वर्तमान लेखा प्रणाली है। तब क्या इसमें सुधार करना उचित नहीं है ? यह अच्छी बात नहीं है कि सन् १९५४-५५ की वे मांगें जो पिछली सभा से सम्बन्धित हैं सन् १९५८ में सभा के समक्ष रखी जाएं। यदि प्रणाली उचित नहीं है तो उसे सुधारने और परिष्कृत करने के प्रयत्न किए जान चाहियें।

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य न मुझे ठीक से नहीं समझा। श्रीमान्, मैंने केवल १९५६ में आपके द्वारा कही गई बातों को ही उद्धृत किया है जो कि आपने अतिरिक्त मांगों में विलम्ब होन के सम्बन्ध में कही थीं। इस विलम्ब को दूर करने के लिए किसी प्रणाली को बनाना लोक लेखा समिति और नियन्त्रक महालेखा परीक्षक तथा लोक-सभा का है। एसी किसी प्रणाली का हम स्वागत करेंगे।

†**श्री आचार** : मैं चाहता हूं कि इस दिशा में कुछ किया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि लोक-लखा समिति, महालेखा परीक्षक और अन्य लोग एक साथ बैठ कर किसी प्रणाली को बनायेंगे। पिछले वर्ष मैंन कहा था कि इस विलम्ब को दूर करना चाहिए। मैंन एक उपाय भी सुझाया था। उसे अमल में लाया जा रहा है। हम सन् १९५४–५५ तक पहुंच गए हैं। केवल दो तीन वर्ष ही रह गए हैं और व भी यथाशीघ्र पूरे हो जायेंगे।

मैं कौन कौन से कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष अलग से रखूं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : एक भी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मान लता हूं कि सभी कटौती प्रस्ताव वापस लें लिये गए।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या ४, ५, ६, ७, ९ क, १३, १७, और १८ मतदान के लिए रखीं गईं तथा स्वीकृत हुईं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १३ अगस्त, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १२ अगस्त, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	११९—१४२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३८	विजगापत्तम पत्तन का विकास . .	११९—१२१
३९	खानपुर, नई दिल्ली, में ग्राम पुनर्निर्माण प्रयोग	१२१—१२३
४०	खेलकूदों के लिये विशेष सूचना टेलीफोन सेवा	१२३—१२४
४१	भारत-पाक नहरी पानी विवाद .	१२४—१२५
५४	भारत-पाक नहरी पानी विवाद .	१२५
५५	भारत-पाक नहरी पानी विवाद .	१२५—१२६
६२	नहरी पानी विवाद .	१२६—१३०
४४	राजस्थान में खाद्य की कमी	१३०—१३१
४५	दिल्ली में नकली दवाइयां	१३१—१३३
४७	दिल्ली फ्लाइंग क्लब . .	१३३—१३४
४८	आलम बाग रेलवे स्टोर में आग . . .	१३४—१३५
४९	यूगोस्लाविया को बिजली घर विशेषज्ञों का प्रतिनिधि-मण्डल	१३५—१३६
५१	सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	१३६—१३८
५२	देश में गर्मी का जोर . . .	१३८—१३९
५३	आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा में विमान सेवायें .	१३९—१४०
५६	चीनी का मूल्य . . .	१४१—१४२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	१४३—१९९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४२	तदर्थ न्यायाधिकरण . . .	१४३
४३	इमारती लकड़ी	१४३
४६	नारियल जटा उत्पादों के लिये जहाजों में स्थान का रक्षण	१४३—१४४
५०	आंधियां .	१४४
५७	भूमि की काश्त .	१४४
५८	रेलवे में बचाव संस्थाय . .	१४५
५९	राज्यों में परिवहन प्रशासन की तदर्थ समिति	१४५
६०	गेहूं का आयात .	१४५—१४६
६१	जगरांव में रेल दुर्घटना .	१४६—१४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६३	डाक तथा तार विभाग में हिन्दी	१४७
६४	पत्तनों पर जहाजों से माल लादना और उतारना	१४७
६५	दिल्ली में तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक करण केन्द्र .	१४७–१४८
६६	प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र .	१४८
६७	परादीप पत्तन	१४८
६८	खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने की घटनाओं सम्बन्धी जांच आयोग	१४८–१४९
६९	टेल्कों द्वारा रेलवे को रेल के इंजनों का संभरण	१४९
७०	नेपाल में विमान दुर्घटना	१४९–१५०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७६	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . .	१५०
७७	'अति विशिष्ट जनों' के लिये विमानों में स्थान सुरक्षित रखना .	१५०
७८	परादीप पत्तन . .	१५०
७९	वातानुकूलित सवारी-डिब्बे .	१५१
८०	पंचायतें .	१५१
८१	टिड्डी दल .	१५१
८२	चीनी का उत्पादन	१५१–१५२
८३	चावल का स्टाक .	१५२
८४	भाण्डागार व्यवस्था निगम	१५२–१५३
८५	रेल के इंजन .	१५३–१५४
८६	चलते फिरते डाक घर .	१५४
८७	श्री जोधाराम के परिवार को सहायता	१५४
८८	चीनी का निर्यात .	१५४–१५५
८९	पार्टियों और दावतों पर व्यय	१५५
९०	रेलवे सुरक्षा	१५५
९१	चीनी का भाव . .	१५६
९२	भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी	१५६–१५७
९३	राजस्थान में उचित मूल्य वाली दुकानें	१५७
९५	राजस्थान में कृषकों को ऋण .	१५७
९६	राष्ट्रीय प्रयोक्ता परिषद् और समितियां	१५७–१५८
९७	सामुदायिक विकास सम्मेलन	१५८
९८	पंजाब में तपेदिक . . .	१५८
९९	काजीपेट रेलवे स्टेशन यार्ड का नव-निर्माण . . .	१५८–१५९
१००	क्षेत्रीय रेलवेओं के जनरल मैनेजरों के पद के बराबर के रिक्त स्थान	१५९
१०१	टनकपुर में डाक तथा तार घर का भवन .	१५९–१६०
१०२	टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जल संभरण	१६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०३	रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था	१६०
१०४	पूर्वोत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था .	१६२
१०५	आवारा पशु पकड़ने की योजना . . .	१६२–१६३
१०६	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्तर्गत महिला कल्याण योजना	१६३
१०७	दिबनापुर हाल्ट स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे .	१६३–१६४
१०८	उत्तर रेलवे लाइन में छोटे नदी-नालों से टूट फूट .	१६४
१०९	रेलवे के विरुद्ध प्रतिकर के लिये दायर किये गये मुकदमे	१६४
११०	पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध डिग्रियां	१६४–१६५
१११	पदाधिकारियों के लिये अवकाश गृह	१६५
११२	भारत-अमरीका मालवाही पोत सेवा	१६५
११३	तार जांच समिति . . .	१६५–१६६
११४	जापान को रेलवे कमचारियों का प्रतिनिधि-मण्डल	१६६
११५	विमान दुघटनायें .	१६६–१६७
११६	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	१६७––१६९
११७	दिल्ली रिंग रोड . .	१६९
११८	पश्चिम रेलवे पर गाड़ियों में भीड़ भाड़	१६९
११९	भारत मे बच्चों में क्षय रोग .	१६९
१२०	चीनी . .	१७०
१२१	कृषि मंत्री सम्मेलन . . .	१७०–१७१
१२२	स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद्	१७१
१२३	परिवार नियोजन . . .	१७१
१२४	मशोबरा में प्रादेशिक फल गवे णा केन्द्र . .	१७२
१२५	मनीआर्डरों के मिलने में विलम्ब	१७२
१२६	केरल एवं अन्य राज्यों में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाने के मामले	१७३
१२७	स्थानीय निकायों के लिये प्रारूप आदर्श अधिनियम	१७३
१२८	हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी	१७३–१७४
१२९	केरल में खाद्य पदार्थों में विष मिल जाना .	१७४
१३०	आदर्श कृषि संगठन विशेष समिति	१७४
१३१	त्रिपुरा में आटे का संभरण . .	१७५
१३२	त्रिपुरा में चावल और धान का समाहार	१७५
१३३	नलकूप	१७५
१३४	राज्यों में कुष्ठ रोग का सर्वेक्षण	१७५–१७६
१३५	पंजाब में राष्ट्रीय फाइलेरिया और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम . .	१७६
१३६	पंजाब में भूमि संरक्षण . .	१७६–१७७
१३७	नैनीताल के समीप हवाई अड्डा . .	१७७–१७८
१३८	'अण्डमान' जहांज निर्माण में दोष .	१७८
१३९	त्रिपुरा में बाढ़ . . .	१७८–१७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४०	त्रिपुरा में धान का उत्पादन	१७९
१४१	चीनी के सहकारी कारखाने . .	१७९–१८०
१४२	गन्ने की कीमत का भुगतान न किया जाना .	१८०
१४३	ओखला मल-संस्कार संयंत्र . .	१८०–१८१
१४४	विदेशों में गर्भ निरोध के तरीकों का अध्ययन	१८१
१४६	अमरीकी प्रविधिक सहायता योजना	१८१
१४७	फल परिरक्षण एकक .	१८१–१८२
१४८	रेलवे साइडिंग का निर्माण	१८२
१४९	तिलकनगर में जल संभरण . .	१८२–१८३
१५०	रतलाम और गोधरा के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाना	१८३
१५१	नर्बदा नदी पर पुल का निर्माण .	१८३
१५२	रेलवे स्टेशनों पर जल नाद . . .	१८३–१८४
१५३	रेलवे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति समिति	१८४
१५४	वन्य पशुओं का निर्यात	१८४
१५५	देश में गर्मी का जोर .	१८५
१५६	काजू की खेती .	१८५
१५७	कटक रेलवे स्टेशन का सुधार	१८५–१८६
१५८	फाइलेरिया .	१८६
१५९	त्रिपुरा के लिये रेल मार्ग	१८६–१८७
१६०	रेलवे में कार्यकुशलता शील्ड . .	१८७
१६१	रेलवे कर्मचारियों को हानिकर जलवायु भत्ता	१८७–१८८
१६२	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई	१८८
१६३	डौकी का पोस्टमास्टर	१८९
१६४	नलकूप .	१८९
१६५	भटिण्डा-फाजिल्का लाइन	१९०
१६६	पंजाब में नदियों का पुल .	१९०
१६७	डमडम विमान अड्डा .	१९०
१६८	खाद्यान्नों का वितरण .	१९१
१६९	नलकूप	१९२–१९३
१७०	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में प्रतिवेदन	१९३–१९४
१७१	भोजन प्रबन्धक . .	१९४
१७२	गाड़ियों में शीशा साफ करने वाले यंत्र	१९४
१७३	रेलवे के मुकदमों के लिये वकील करना	१९४–१९५
१७४	मध्य रेलवे पर फेरी वाले और भिखारी . .	१९५
१७५	वाल्टेयर और खड़गपुर के बीच गाड़ियों का लेट चलना	१९५–१९६
१७६	भारतीय वन .	१९६–१९७
१७७	वायु परिवहन परिषद . .	१९७–१९८
१७८	खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें	१९८
१७९	रेलवे कर्मचारियों की पिटाई	१९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्नसंख्या

१८० बीकानेर रेलवे स्टेशन का विस्तार १९८--९९

१८१ सूरतगढ़ का यंत्र चालित फार्म १९९

१८२ बीकानेर रेलवे वर्कशाप १९९

स्थगन प्रस्ताव १९९--२०२

अध्यक्ष ने १९ मई, १९५८ को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में हड़-ताल के दौरान में जमशेदपुर में सेना के बुलाने के बारे में उन दो स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी, जिन में से एक की सूचना श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य सदस्यों ने दी थी और दूसरे की सूचना श्री स० म० बनर्जी ने दी थी

निधन सम्बन्धी उल्लेख---

अध्यक्ष ने श्रीमती अनुसुया बाई काले के, जो वर्तमान लोक-सभा की सदस्या थीं, निधन का उल्लेख किया . . . २०२

इस के पश्चात सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२--२०३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :--

(१) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड की ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष की सातवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखों सहित ।

(२) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम १९५६ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१६ की एक प्रति

(३) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ की एक प्रति, जो दिनांक २ जून, १९५८ के त्रिपुरा गजट अधिसूचना संख्या एफ ५ (३) एम पी एच ५५ में प्रकाशित किया गया था

(४) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जून, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१४ की एक प्रति ।

(५) मई, १९५८ में मिनेपोलिस (अमरीका) में हुई ग्यारहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(६) न चलने वाले सिक्कों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२४७ पर श्री तंगामणि द्वारा २७ मार्च, १९५८ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

(७) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा ६८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५८

(दो) दिनांक, १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५९

(तीन) दिनांक २८ जुलाई, जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५१३

(चार) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५५९

(पांच) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५६० ।

रेलवे उपमंत्री द्वारा वक्तव्य २०४

रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने रेलवे वर्कशाप पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ पर श्री गोरे द्वारा ३० अप्रैल, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ २०४

छब्बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ २०४

विधेयक पारित किये गये । २०४—२३०

(१) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक, १९५८ पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई । वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) ने वाद विवाद का उत्तर दिया । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । खण्डवार विचार के पश्चात विधेयक पारित हुआ ।

विषय पृष्ठ

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) २३०—२४४

१९५४–५५ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) पर चर्चा हुई और मांगे पूरीपूरी स्वीकृत हुई ।

बुधवार, १३ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि—

चीनी निर्यात संवर्द्धन विधेयक, १९५८ का पुरस्थापन; खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक, १९५८ पर विचार तथा पारित किया जाना तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ सम्बन्धी गैर-सरकारी सदस्य के संविहित संकल्प पर विचार ।